खण्ड-190, अंक-5
गुरूवार, 5 पौष, शक संवत् 1879
(26 दिसम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३७१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नामानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशफाक़ अली खां, श्री
असग़रअली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जागेश्वर , श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्दसिन्हा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रताप बहादुर सिंह श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुलाकी राम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद हुसेन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायक सिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्री कृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथ बहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २६ दिसम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्र की भांति राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में जानकारी

**१--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में अपने कुछ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है?

वित मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है।

**२--श्री रामगोपाल गुप्त--यदि हां, तो क्या सरकार भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री धर्मसिंह--वेतन और भत्ता मिलाकर कुल ९५ रु० मासिक तक पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दरों में सरकार १ अगस्त, १९५७ से ५ रु० प्रतिमास की वृद्धि कर चुकी है।

श्री रामगोपाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ की है?

श्री धर्मसिंह--कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामगोपाल गुप्त--प्रश्न संख्या २ में जो बढ़ाने का जिक्र किया गया है वह तो उस समय हुआ था जबकि केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के भत्ते में पांच रुपये नहीं बढ़ाये थे, क्या इस बदली हुई परिस्थिति में यह सरकार अपने कर्मचारियों के भत्ते को भी बढ़ाने पर विचार करेगी?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन में स्वीकृत परिवर्तनों को लागू करने के लिये जानकारी

**३---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नागरी लिपि में जो परिवर्तन किया गया था और जो लिपि प्राइमरी स्कूलों में परिवर्तित रूप से चालू भी हो गयी थी, उसमें पुनः कुछ सुधार हुआ है ? यदि हां, तो पुनः परिवर्तित लिपि कब से स्कूलों में चालू की जायगी क्या इसके लिए कोई आदेश भेजा गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---१९ और २० अक्तूबर, १९५७ को देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन पुनः हुआ, जिसमें कुछ प्रस्ताव स्वीकार हुए। उक्त सम्मेलन के निश्चयों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित विषय विचाराधीन है। विचारोपरान्त आदेश निर्गत होंगे।

जिला बोर्डों की आगामी चुनाव व्यवस्था

**४---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नोटिफाइड व टाउन एरिया जिला बोर्डों के आगामी चुनाव क्षेत्रों में सम्मिलित रहेंगे ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---यह विषय विचाराधीन है।

**५---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बोर्डों के पोलिंग स्टेशन किस आधार पर अर्थात् कितनी आबादी और कितने-कितने फासले पर होंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---यथासम्भव लगभग ३००० वोटरों के लिए एक पोलिंग स्टेशन और लगभग ७५० वोटरों के लिए एक पोलिंग बूथ रहेगा। पोलिंग स्टेशनों के फासले स्थानीय शासकीय सुविधा तथा वोटरों की सुविधा को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जायेंगे।

श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जबकि टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया जिला बोर्डों के क्षेत्रों में शामिल थे तो अब उनके सम्बन्ध में परिवर्तन करने की क्या वजह है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सही है कि पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव क्षेत्र में टाउन एरिया शामिल थी, लेकिन सरकार के सामने एक सुझाव विचाराधीन है कि चूंकि उसकी संस्था अलग है, चुनाव अलग होता है, उनका बजट अलग है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अलहदा कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पोलिंग विधान सभा के पोलिंगों के अनुसार ही फासले पर होंगे या उनमें कुछ अन्तर होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो निवेदन कर दिया कि परिवर्तन यह होगा कि अधिक से अधिक सुविधा वोटरों को मिले और जो काम करने के लिए जायेंगे उनको भी सुविधा हो। एक क्षेत्र में करीब-करीब चार पोलिंग स्टेशन होंगे।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो पोलिंग स्टेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलक्शन में बनाये जाने वाले हैं वह उसी आधार पर होंगे और उन्हीं जगहों पर होंगे जहां पर जनरल एलेक्शन के पोलिंग स्टेशन थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने अभी निवेदन किया कि यह जरूरी नहीं है कि वही जगहें हों। वह भी हो सकती हैं। लेकिन आधार में कुछ फर्क पड़ गया है। करीब तीन हजार वोटर होंगे, जो एक स्टेशन पर आयेंगे और चार बूथ्स होंगे। १९५७ के चुनाव में दो हजार वोटर एक जगह थे।

श्री सुल्तान प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि टाउन एरिया को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्वाचन क्षेत्र से अलग करने के सम्बन्ध में कोई मांग की गयी है?

श्री रामस्वरूप यादव--मांग नहीं की गयी है, लेकिन सरकार के सामने यह सुझाव है। एक बात बतलाने को रह गयी थी। अगर टाउन एरिया को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अलग नहीं किया जायगा तो टाउन एरिया का भी टैक्स देना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी देना पड़ेगा। इस वजह से सरकार विचार कर रही है कि इसे अलहदा क्यों न कर दिया जाय।

श्री गेंदसिंह (जिला देवरिया)--बोर्ड के चुनावों में जो पोलिंग स्टेशन पहले से कम किये जा रहे हैं आम चुनाव के मुकाबिले में, इसका क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव--१९५७ में जो पोलिंग स्टेशन बनाये गये थे १९५२ के मुकाबिले में उन पर ज्यादा खर्चा हुआ था और सरकार यह भी विचार कर रही है कि एक कांस्टीटचुऐन्सी में तीन दिन अलग-अलग पोलिंग स्टेशन पर चुनाव हो। इसलिए एक ही पोलिंग स्टेशन पर एक दिन और दूसरे पर दूसरे दिन और तीसरे पर तीसरे दिन कराये जायं और ४ पोलिंग स्टेशन बनाकर चार दिन या तीन दिन में चुनाव हो जायेंगे। इस तरह खर्चा भी कम पड़ेगा और उम्मीदवारों को भी सुविधा होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार ने पोलिंग स्टेशन्स बनाये जाने के आधार के फैसले के सम्बन्ध में कोई नियम बना लिये हैं? यदि हां, तो उनको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सम्बन्ध में सरकार ने नियम नहीं बनाये हैं लेकिन जिलाधिकारियों को अधिकार है कि वे जो स्टेशन बनायें उनको प्रकाशित करें और उन पर एतराज सुनें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो अभी उन्होंने बतलाया कि एक ही क्षेत्र में पोलिंग स्टेशनों पर अलग-अलग तीन दिन या चार दिन चुनाव करायेंगे तो इस सिलसिले में क्या उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से भी सलाह ली है?

श्री रामस्वरूप यादव--राजनीतिक पार्टियों से सलाह लेने का सवाल नहीं है। पोलिंग स्टेशन जो बनेंगे उनके एतराज तो सुने जायेंगे। लेकिन यह निर्णय तो सरकार ने स्वयं लिया है।

श्री गेंदसिंह--जो चुनाव की विधि मन्त्री जी ने बतायी उसमें बड़ी कठिनाई मालूम होती है। तो क्या इस प्रश्न पर कि किस प्रकार पोलिंग स्टेशन बनाये जायं और एक ही दिन या कई दिन चुनाव हो इस पर सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन करने और विचार-विनिमय करने की मेहरबानी सरकार करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव--सम्मेलन का प्रश्न तो नहीं उठता है। लेकिन अगर माननीय गेंदासिंह जी की ऐसी कोई राय है तो उनसे मश्विरा कर लिया जायगा।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)--अभी मन्त्री जी ने यह फरमाया कि जिलाधीशों को अख्तियार दिया गया है पोलिंग स्टेशन बनाने का, और इसके बाद जिसको आपत्ति होगी तो सुनी जायगी। तो यह आपत्ति किसकी सुनी जायगी राजनीतिक दलों द्वारा, या व्यक्तिगत आपत्तियां सुनी जायंगी?

श्री राम स्वरूप यादव--आपत्ति चाहे दल करें, चाहे व्यक्ति करें, क्योंकि आपत्ति उठाने का सबको अधिकार है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--विलीनीकरण के फलस्वरूप देशी रियासतों के जो गांव जिन जिलों में आ गये हैं क्या उन जिलों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--चुनाव तो इसी आधार पर होगा जैसी कि जिले की आज स्थिति है। सभी वोट देने के अधिकारी होंगे और सभी उस क्षेत्र में आ जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जी बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उम्मीदवारों के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित हो चुकी है ? और यदि नहीं, तो कब तक हो सकेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने पिछले सप्ताह निवेदन किया था कि इस वक्त जितने मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं, जिनमें कोआप्टेड मेम्बरों की संख्या भी शामिल है वे सब मिल कर बोर्ड को बनायेंगे और उस संख्या में कोई फर्क नहीं किया गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मन्त्री जी इस सुझाव पर अपनी राय देने की कृपा करेंगे कि जिले में एक क्षेत्र का कई दिन तक चुनाव होने और पोलिंग स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर जिला लेविल पर कोई सुझाव लिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने गेंदासिंह जी को इस सम्बन्ध में जवाब दे दिया है।

ग्रामीण सहकारी समितियों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये योजना

**६--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या कोई योजना ग्रामीण सहकारी समितियों को आर्थिक दृष्टि से प्रभावकारी बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जी हां।

श्री विश्रामराय--क्या सहकारिता मन्त्री कृपया उस योजना पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम--अब तक जिस तरह से किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था थी वह यह थी कि एक गांव में एक सोसाइटी बनी थी। उसमें कुछ कठिनाइयां नजर आयीं। न तो एक होल टाइम आदमी वहां सेक्रेटरी मुकर्रर हो सकता था और न वहां कुछ रुपया ही रखा जा सकता था और न उनके पास कोई इस तरह की बचत होती थी कि अगर कोई घाटा वगैरह हो तो उसको बरदाश्त कर सकें। इस तरह की कुछ दिक्कतें देख कर रूरल क्रेडिट सर्वे ने यह सुझाव दिया कि ऐसी समितियां बनायी जायं जो कि सेल्फ सपोर्टिंग हो सकें। उसका आधार यह है कि ३ हजार रुपया साल जिसकी आमदनी है वह सेल्फ सपोर्टिंग मानी जायगी। ३ हजार रुपये की आमदनी हो सकती है अगर उसको २ परसेंट का मुनाफा मिल जाय, जिस शरह पर उनको रुपया मिले और जिस पर वह दूसरों को रुपया दें, दोनों में अगर दो परसेंट का मार्जिन उनको मिल जाय तो डेढ़ लाख रुपये पर उनको ३ हजार रुपये साल की आमदनी हो सकती है। इसके लिए इतना क्षेत्र चाहिए कि जिसमें डेढ़ लाख रुपये का कर्जा दिया जा सके। अभी हम जिस तरह से कर रहे हैं उसमें पन्द्रह बीस या कहीं उससे भी ज्यादा गांव शामिल हुए हैं। यह अभी शुरू हुआ है पिछले साल से और उसमें ३०० सोसाइटी पिछले साल बनी थीं। इस साल ४०० का आयोजन है। गवर्नमेंट भी इन सोसाइटियों में हिस्सा लेगी, दस दस हजार रुपये का और उसका जो माल्टीपुल आयेगा उससे भी कुछ सहूलियत होगी और जो होल टाइम सेक्रेटरी होगा उसको भी ३ साल तक उसकी तनख्वाह में कुछ दिया जायगा। यह मामूली ढंग से वह योजना है। वैसे अगर आप आज्ञा दें तो.....

श्री अध्यक्ष---संक्षेप में ही आप कहें।

श्री मोहन लाल गौतम---तो इतना मैंने निवेदन कर दिया कि इस तरह से किसानों को कर्जा देने के लिए व्यवस्था की गयी है जिस से कि आप के लिए जितनी उनको जरूरत है उतना रुपया उन्हें मिल जाय और आज की व्यवस्था से ज्यादा मिल सके, यह योजना है। अगर कोई सदस्य चाहेंगे तो मैं उनसे इसे विस्तार में डिसकस कर लूंगा।

श्री गोविंद सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मन्त्री जी इस योजना की महत्ता को देखते हुए इसकी एक प्रति सबकी जानकारी के लिए सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं इसकी जानकारी सदस्यों को कराने का प्रयत्न करूंगा।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या मन्त्री महोदय प्रदेश में कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाने की योजना पर विचार करेंगे क्योंकि इस तरह की सोसाइटियां कामयाब साबित हुई हैं और उनमें डेढ़ लाख से ऊपर का काम हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने इस डर से अध्यक्ष महोदय, कि अधिक समय न लूं क्वेश्चन आवर में इसको संक्षेप में ही रखा। उसमें मार्केटिंग सोसाइटी भी है। जहां यह बनेंगी उनको मार्केटिंग सोसाइटी से भी जोड़ा जायगा। पिछले साल जो ३०० सोसाइटियां बनीं, उनमें ४० मार्केटिंग सोसाइटीज भी हैं। अगले साल जो ४ सौ बनेंगी, उनमें भी मार्केटिंग सोसाइटीज रहेंगी। वह तो उस योजना का एक अंग है। दोनों मिली हुई चीजें हैं।

झांसी वाटर वर्क्स की नवीन योजना

**७---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या स्वशासन मन्त्री प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न ४ के पूरक प्रश्नोत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात ठीक है कि झांसी वाटरवर्क्स की उस योजना का जिसमें कि झांसी म्युनिसिपल बोर्ड, झांसी कैन्टोन्मेंट रोड तथा सेन्ट्रल रेलवे सम्मिलित होंगे, उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट एक करोड़ दस लाख रुपये का है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, यह पहला अनुमान है। कुल खर्चा इसका दुगुना भी हो सकता है क्योंकि यह अनुमान केवल माताटीला बांध से झांसी तक पानी लाने का है।

**८---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त एस्टिमेट के अनुसार म्युनिसिपल व कैन्टोन्मेंट बोर्ड तथा रेलवे के भागों में कितना-कितना रुपया बैठा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसका कोई अनुमान अभी नहीं दिया जा सकता। एक अनुमान के अनुसार यह खर्चा क्रमशः नगरपालिका, रेलवे विभाग और मिलिटरी विभाग का ४६ लाख, १३ लाख और ५१ लाख का होगा। लेकिन यह अनुपात अभी किसी संस्था ने स्वीकार नहीं किया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि गत ५ जनवरी को कलेक्टर इन्चार्ज, झांसी की अध्यक्षता में झांसी म्युनिसिपल एरिया, छावनी, मिलिटरी कैम्प, बबीना, और रेलवे एरिया में जलकष्ट निवारण के लिए एक मीटिंग हुई थी जिसमें सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर एल० एस० जी०, मिलिटरी इन्जीनियर, मेजर आर्म्ड डिवीजन, डिवीजनल इन्जीनियर, सेन्ट्रल रेलवे और म्युनिसिपल एक्जीक्यूटिव आफिसर वगैरह उपस्थित थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस मीटिंग का तो मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन जैसा भी हो, प्रस्ताव मैंने बता दिया कि तीन विभागों का जो रुपया है उसके लिए तखमीने तैयार कर लिये गये हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकृति अभी सरकार को नहीं भेजी है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार को यह पता है कि झांसी शहर को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सफाई फ्लश सिस्टम में शामिल कर लिया गया है, इसलिए इसको कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार को यह तो मालूम है कि झांसी में पानी का कष्ट है। इसी वजह से उसने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि झांसी नगरपालिका का जो हिस्सा है वह रुपया झांसी नगरपालिका को केन्द्रीय सरकार ऋण के रूप में दे दे।

सचिवालय के अधिकारियों तथा मंत्रियों इत्यादि के चपरासियों में कमी की योजना

**९—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अफसरों एवं मंत्रियों से जो एक-एक चपरासी वापस लेने का आदेश जारी किया गया था, वह किस तिथि को जारी किया गया था ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सचिवालय के अधिकारियों एवं मंत्रियों इत्यादि से एक-एक चपरासी, जिनके पास एक से अधिक थे, वापस करने के आदेश २७ अगस्त, १९५७ को जारी किये गये थे।

**१०—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त आदेश में कोई संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को और वह क्या था ?

**११—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहले और दूसरे आदेश की तिथियों के बीच में कितने चपरासियों को नौकरी से अलग कर दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—३० अक्तूबर, १९५७ को आदेश द्वारा सभासचिवों को पूर्ववत् २ चपरासी मिलने तथा उनमें कमी न किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। जहां तक सचिवालय का सम्बन्ध है कोई चपरासी हटाया नहीं गया। जिन चपरासियों को मन्त्री, राज्य-मन्त्री, उपमन्त्री, तथा अन्य अधिकारियों के यहां से वापस लिया गया उनका एक पूल (Pool) बना लिया गया है और यह चपरासी छुट्टियों के स्थानों तथा अन्य नये स्थानों पर जो सृजन किये जाते हैं, कार्य कर रहे हैं। पूल (Pool) के चपरासियों की संख्या इस प्रकार घटती रहेगी और अन्त में शून्य हो जायगी। इन चपरासियों को दूसरे दफ्तरों में जहां जगहें खाली हों, खपाने की कोशिश भी की जा रही है जिससे कि पूल (Pool) शीघ्र ही खत्म हो जाय।

श्री रामगोपाल गुप्त—श्रीमन्, ९वें प्रश्न के सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना थी, उसमें मैंने प्रदेश भर के आफिसरों के सिलसिले में पूछा था, लेकिन मुझे सिर्फ सचिवालय के अधिकारियों और मंत्रियों के चपरासियों के सम्बन्ध में उत्तर मिला है तो यह उत्तर अधूरा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा यह सुझाव है कि इस प्रश्न के उत्तर को स्थगित कर दिया जाय और २ तारीख को ले लिया जाय जब पूरा उत्तर मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—जो एतराज किया गया है उसका माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कोई उत्तर अभी तक नहीं दिया है। पहले उसे आ जाने दीजिये। माननीय रामगोपाल जी गुप्त कृपया बतलायें कि उनका प्रश्न क्या था ?

श्री रामगोपाल गुप्त—मेरा प्रश्न यह था "क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अफसरों एवं मंत्रियों से जो एक-एक चपरासी वापस लेने का आदेश जारी किया गया था, वह किस तिथि को जारी किया गया था ?"

जिस रूप में उपरोक्त सवाल पूछा गया था उससे मेरा मंशा प्रदेश भर के आफिसरों के सम्बन्ध में था और उत्तर जो मिला है वह केवल सचिवालय के सम्बन्ध में है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस रूप में सवाल पूछा गया था, खासतौर से मंत्रियों और अफसरों के सम्बन्ध में उसका अर्थ पूरे प्रदेश के अफसरों से नहीं लगाया जा सकता था। हमने तो यही समझा कि इसका तात्पर्य केवल सचिवालय से है।

श्री अध्यक्ष—अफसरों एवं मंत्रियों का उल्लेख जो कि प्रश्न में किया हुआ है इससे गलतफहमी हो सकती है और केवल सचिवालय के सम्बन्ध का प्रश्न है, ऐसी कल्पना हो सकती है।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त आदेश में यह संशोधन कर दिया गया है कि प्रेसाइडिंग आफिसर्स से चपरासी वापिस नहीं लिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसका ठीक अन्दाज नहीं कि प्रेसाइडिंग आफिसर्स से उनका क्या मतलब है ? इसलिये मैं इसका ठीक जवाब इस वक्त दे नहीं सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह आदेश केवल सचिवालय के लिये ही हुआ है या प्रदेश भर के लिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रदेश भर के लिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो यह जो पूल (pool) बनाया गया प्रदेश भर के लिये उसमें सरकार की सूचनानुसार कितने चपरासी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक सचिवालय का सम्बन्ध है उसमें १४८ चपरासी हैं। सारे प्रदेश की संख्या इस समय नहीं बतला सकता क्योंकि उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न था ऐसा मेरी समझ में नहीं था।

मोदीनगर में दफा १४४ लगाना

**१२—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोदी नगर में सी० आर० पी० सी० की दफा १४४ कब से लागू है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—नवम्बर ११, १९५७ से।

**१३—श्री त्रिलोकीसिंह (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां हुयीं और ९-१२-५७ को अश्रुगैस के प्रयोग तथा लाठीचार्ज से कितने व्यक्तियों को चोट लगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सिलसिले में दिसम्बर २३, १९५७ तक कुल २१६ गिरफ्तारियां हुईं। दिसम्बर ९, १९५७ को प्रयोग किये गये अश्रुगैस से किसी भी व्यक्ति को चोट लगने का समाचार नहीं मिला है। लाठीचार्ज नहीं किया गया।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५-७—श्री नारायणदत्त तिवारी—[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

विलेज लेविल वर्कर का वेतन स्केल

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विलेज लेविल वर्कर के वेतन का इस समय क्या स्केल है तथा क्या उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—विलेज लेविल वर्कर का वेतन क्रम ७५—५—१२० है। इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

कानपुर जिले में बनने वाले रोडवेज के बस स्टेशन

*९—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या यातायात मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रोडवेज के जो स्टेशन बनने वाले हैं उनमें क्या कानपुर जिले में भी कोई रोडवेज स्टेशन बनेंगे ?

परिवहन राज्यमंत्री (डाक्टर सीताराम)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कानपुर जिले में चुन्नीगंज स्थान पर एक रोडवेज का बस स्टेशन बन चुका है। अब स्थान बारा में एक अस्थायी बस स्टेशन और बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कानपुर जिले के पुखरायां स्थान में जो कि बसों का सेन्ट्रल स्टेशन है और जहां से हमीरपुर, बांदा और जालौन को गाड़ियां जाती हैं, वहां पर भी बस स्टेशन बनाने की व्यवस्था पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, शिकायतें तो इस सम्बन्ध में अवश्य आयी हैं। अगले साल इस पर विचार किया जा सकता है।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के नार्मलाइज्ड ब्लाकों पर व्यय

*१०—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कुल कितने कम्युनिटी प्रोजेक्ट राज्य में बन्द किये जा चुके हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बन्द नहीं किया गया है। अवधि बीतने पर कुछ ब्लाक नार्मलाइज्ड ब्लाक बन गये हैं।

*११—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन प्रोजेक्ट्स के बन्द करने के बाद भी राज्य सरकार को कितना वार्षिक उन पर खर्च करना पड़ रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इन नार्मलाइज्ड ब्लाकों में पदाधिकारियों की तनख्वाह पर लगभग ३३,००० रु० सालाना व्यय के अलावा ५,००० रु० सामाजिक शिक्षा पर और २५,००० रु० स्थानीय निर्माण-कार्यों पर सालाना खर्च किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी स्कीमें इन क्षेत्रों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक में चलायी गयीं थी वह भी विभिन्न विभागों के अन्तर्गत चल रही हैं।

श्री सुरेन्द्र दत बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने ब्लाक हैं जो नार्मलाइज्ड कर दिये गये हैं और नार्मलाइज्ड कर देने से इसमें क्या अन्तर पड़ गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस समय ऐसे ३३ नार्मलाइज्ड ब्लाक्स हैं और फर्क तो इसमें इतना होता है कि इसमें ब्लाक स्कीमें जितनी होती हैं, अलग-अलग विभाग उनको चालू रखत हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नार्मलाइज्ड ब्लाक कर देने के कारण केन्द्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर भी कोई असर पड़ा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मेरे खयाल में तो कोई असर ज्यादा नहीं पड़ता है। रुपया जो मिलता है, वह मिलता ही रहता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ब्लाक क्यों नहीं खोले जा रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह तो एक प्रारम्भिक परीक्षण था और अब वह पूरा हो गया है। अब तो सारे देश भर में एन० ई० एस० ब्लाक ही खुल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विभागों की उन स्कीमों पर कितना खर्चा होता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो जैसे मेडिकल का है, अस्पताल में जितना खर्चा होगा, तो ऐसी बहुत-सी चीजें हैं। अगर नोटिस देंगे तो ब्योरेवार मालूम होगा।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आई० टी० ब्लाक जब नार्मलाइज्ड होता है, उसके कारण भी ५० प्रतिशत कमी हो जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह तो सब्सीडी के लिहाज से पहले था। अब भी हाफ एण्ड हाफ, जैसा और ब्लाकों में रहता है, वही रहेगा।

श्री गेंदा सिंह—कम्युनिटी प्रोजेक्ट के ब्लाक खोलने का इरादा सरकार ने छोड़ दिया, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो केन्द्रीय सरकार की नीति है कि उन्होंने पहले कम्युनिटी प्रोजेक्ट खोले थे। अब सारे देश भर में वही नीति रखी गयी है।

*१२—श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती)—[६ जनवरी, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस्ती जिले में राप्ती नदी का कथित दरियाबुर्द इलाका

*१३—श्रीमती गेंदा देवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तहसील खलीलाबाद के अन्तर्गत राप्ती नदी ने ग्राम बेलोहा, ठाठर तथा परोली के किसानों की समस्त खेती की जमीन काटकर राप्ती नदी के उस पार जिला गोरखपुर में भाठ डाल दिया है और किसानों के पास बसने एवं खेती करने के लिये कतई जमीन नहीं रह गयी है ? यदि हां, तो कुल कितनी जमीन इस प्रकार कटी है ?

मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी नहीं, केवल थरौली गांव की ७ बीघा १० बिस्वा जमीन १३५८ फसली के पहले कटी थी और यह बाद में गोरखपुर में बरामद हुई है। यह जमीन १३५८ फसली के अठसाला बन्दोबस्त में थरोली के कागजात से काट दी गई थी और थरोली के किसानों को इसकी कोई मालगुजारी नहीं देनी पड़ती।

*१४—श्रीमती गेंदा देवी—क्या यह सही है कि उपर्युक्त ग्राम के किसानों को राप्ती नदी से कटे हुये (दरियाबुर्द) खेतों की सरकारी मालगुजारी अमीनों को अब भी बराबर देनी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इसे रिफन्ड करने का आदेश देगी ?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गेंदा देवी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १३५८ फसली के बाद कुछ जमीन आबादी और खेती की कट गई है ? इस प्रश्न को सूचना मानकर गवर्नमेंट फिर से जांच करायेगी ?

श्री चरणसिंह---जांच करा ली गयी है, जमीन कटी नहीं है और कट कर दूसरी ओर बरामद भी नहीं हुई है। केवल खरीफ की फसल में पानी नीचे आ जाता है और जब पानी उतर जाता है तो रबी की फसल उसमें होती है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या सरकार बतायेगी कि उस स्थान पर कुछ ऐसी उफतादा जमीन पड़ी है जहां पर इन मुसीबतजदा किसानों को बसाया जा सके ?

श्री चरणसिंह---कुछ लोगों के मकान कट गये थे उन्होंने अजसरे नौ मकान बना लिये हैं। बाकी कोई जमीन कटी नहीं है।

खीरी जिले में भ्रष्टाचार निरोधक समिति का नवसंगठन

*१५---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में ऐन्टीकरप्शन कमेटी का नवसंगठन हो चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*१६---श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कमेटी के प्रधान का चुनाव अबतक क्यों नहीं हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री कमाल अहमद रिजवी, सर्वसम्मति से पुनस्संगठित जिला भ्रष्टाचार निरोधक समिति, खीरी के प्रधान चुने जा चुके हैं।

*१७---श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक पुराने प्रधान ही क्यों कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिलाधीश तथा एस०डी०एम० तरबगंज से किसानों की मांगें

*१८---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, तहसील तरबगंज, परगना महादेवा, ग्राम खिरिया, मझगंवा, डुमरियाडीह, सोहना, माथेपुर, रामपुर, खरहटा, अचलपुर, नगवा, कटरा, जगदीशपुर, बनकसिया, करौदा, निदुरा, आदि ग्राम के किसानों का जो जलूस दिनांक १४-७-५७ को जिलाधीश, एस० डी० एम०, तरबगंज और वितरण अधिकारी के बंगले पर गया उसकी मांगें क्या थीं ?

श्री चरणसिंह---दिनांक १४-७-५७ को करीब सौ किसानों का एक समूह जिलाधीश गोंडा, परगनाधीश तरबगंज तथा जिला पूर्ति अधिकारी गोंडा के निवासस्थानों पर जाकर मिला था। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं :---

(१) हरिजन अधिवासी किसानों की भूमि पर जिनका उनको सीरदारी हक प्राप्त हो चुका है, भूतपूर्व जमींदारों द्वारा बलपूर्वक अधिकार प्राप्त करने के विषय में जांच की जावे।

(२) मझगंवां बाजार, नगवा, खोरासा, मोतीगंज, गांधीग्राम, धानेपुर बाजार, जिगना बाजार तथा बनकटी सूरजबली सिंह नामक ग्रामों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जावें।

(३) नये सीरदारों से भूमि-कर निर्दयतापूर्वक वसूल किया जा रहा है जो बन्द होना चाहिए।

*१९--श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ग्रामों के काश्तकारों ने इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र एस० डी० एम० महोदय को दिये हैं, प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है और उन प्रार्थना-पत्रों में किसानों की क्या तकलीफ लिखी है ?

श्री चरणसिंह--इस सम्बन्ध में खिरिया, मझगवां, डुमरियाडीह, ढ़ोढियापारा, माथेपुर, भिटिया, अचलपुर, नगवा, भीखमपुर तथा काशीपुर ग्राम के कुछ व्यक्तियों के २५ प्रार्थना-पत्र हाकिम तहसील तरबगंज के यहां प्रस्तुत हुये थे जिनमें प्रार्थीगणों ने इस बात की शिकायत की थी कि उनके काश्त की भूमि पर जिसका उनको सीरदारी का हक प्राप्त हो चुका है, भूतपूर्व जमींदार लोगों ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि उनकी मांगों की पूर्ति हो गयी है ?

श्री चरणसिंह--जहां तक सम्भव था उतनी हो गयी। मसलन कुछ-कुछ किसान ऐसे थे जिनके खेतों पर दो साल से ज्यादा से जमींदारों ने कब्जा कर लिया था, उसमें राज्य कर्मचारी कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिये उनको मश्विरा दिया गया है कि वह बाकायदा अदालत में चाराजूई करें। आठ किसान ऐसे थे जिनके मामले में कागजात की दुरुस्ती होनी थी उसके लिये हुक्म हो गया है और अब जाड़े में अधिकारी वहां जायेंगे। जहां तक सस्ते गल्ले की दुकानों का सम्बन्ध है कलेक्टर ने लिख कर भेजा है कि उन गांवों के आस-पास के गांवों में सस्ते गल्ले की दूकानें मौजूद हैं। जहां तक मालगुजारी के जबर्दस्ती वसूल किये जाने का सवाल है उसके लिये तहकीकात से मालूम हुआ है कि ऐसा नहीं है। जो जमींदार वहां आतंक फैलाना चाहते थे उनके खिलाफ १०७ और १५१ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई और वहां शान्ति है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन काश्तकारों की जमीन पर दो वर्ष से अधिक का कब्जा जमींदारों ने दर्ज करा लिया है उन गरीबों की सहायता के लिये सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की जायगी कि मुकदमें दायर करके और बेदखल कराके वे खेत काश्तकारों को दिला दिये जायं ?

श्री चरणसिंह--जिनमें अभी तीन साल नहीं हुये हैं उनमें काश्तकारों को खुद ही दावा दायर करना चाहिये। इसलिये सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन एक मश्विरा मैं जरूर दूंगा कि इस मामले में माननीय बलदेवसिंह जी और उनके साथी गवर्नमेंट की बहुत मदद कर सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो काश्तकार सन् ६२ में अधिवासी करार दिये जा चुके हैं और जिनका कोर्ट से निश्चय हो गया है और उनका अभी तक इन्दराज खतौनी में सीरदार की हैसियत से नहीं हो पाया है उनके बारे में मंत्री महोदय कोई आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--ऐसा आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। अगर उनके हक में अदालत की डिग्री हो चुकी है तो केवल उसकी दाखिल खारिज कराना है और दखल लेना है, अगर जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी आदेश की जरूरत नहीं है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान

*२०--श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य में पिछले दस वर्षों में प्रतिवर्ष ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी का सरकारी अनुमान क्या-क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी का अनुमान, जिन वर्षों के लिये उपलब्ध है, निम्नलिखित है। ये सारे आंकड़े १९४८-४९ के भावस्तर पर आधारित हैं--

प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अनुमानित आय

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
१	२	३
	रुपये	रुपये
१९४८-४९	१९१	५५६
१९४९-५०	१९२	६०८
१९५०-५१	१९०	६५७
१९५१-५२	१८५	६३०
१९५२-५३	१८८	६५९
१९५३-५४	१८८	६४७
१९५४-५५	१९९	७१३
१९५५-५६	१८६	७४५

ये सारे आंकड़े अस्थायी और प्रतिवर्ष परिवर्तनीय हैं।

एक पत्नी के होते हुए सरकारी कर्मचारियों के दूसरे विवाह पर प्रतिबन्ध

*२१--श्री रघवेन्द्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि जो सरकारी मुलाजिम एक बीबी होते हुये, दूसरी शादी करते हैं उनके ऊपर अनुशासन की कार्यवाही होगी? यदि हां, तो क्या वह असली आदेश की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेंगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने यह नियम बनाया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी एक पत्नी जीवित हो, बिना पहले सरकार की अनुमति प्राप्त किये दूसरा विवाह नहीं करेगा चाहे उसे इस प्रकार के विवाह का कानूनी अधिकार ही क्यों न हो। यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो वह अनुशासन की कार्यवाही का भागी होगा इस नियम की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

*२२--श्री रघवेन्द्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२३--श्री लक्ष्मण राव कदम--[२७ दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रान्तीय रक्षक दल के स्थायी जोन वर्कर्स की लिस्ट

*२४--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल में कोई लिस्ट प्रान्तीय रक्षक दल के कनफर्म (स्थायी) जोन वर्कर्स की छपी थी? यदि हां, तो उसका आधार क्या था?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, यह लिस्ट ज्येष्ठता (Seniority) के आधार पर बनी थी ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठता के आधार पर बनायी हुई कन्फर्म्ड लिस्ट में जो जोन वर्कर्स बचे हैं, उनको कनफर्म करने पर कब तक विचार होगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उनका भी समय आने पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्थायी वर्कर्स की लिस्ट बनी है, उसके मुताबिक कितने आदमी कन्फर्म हो गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—७५ हो गये हैं और ५ बाकी हैं ।

आजमगढ़ जिले में छोटी सरयू नदी पर महाराजगंज पुल के निकट की निर्माण योजना में विलम्ब

*२५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला नियोजन समिति ने मई, १९५७ में सगड़ी तहसील के अन्तर्गत महाराजगंज के उत्तर की ओर छोटी सरयू नदी पर महाराजगंज पुल के निर्माणार्थ सिफारिश की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां ।

*२६—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या नियोजन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुल के निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उक्त पुल के निर्माणार्थ अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (Executive Engineer, Public Works Department) आजमगढ़ को उक्त पुल के निमित्त अनुमान एवं पुल की डिजाइन के सम्बन्ध में लिखा गया है । उक्त सूचना प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जायगी ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लगभग ७ महीने हो गये अभी पुल के एस्टीमेट और डिजाइन की रिपोर्ट नहीं आयी है, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो जैसा उत्तर में लिखा है काम की अधिकता के कारण विलम्ब हुआ होगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इसके संबंध में रिपोर्ट मंगाने में जल्दी की जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हां, यह तो कोशिश की जायगी कि जल्दी आ जाय ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुल के संबंध में सरकार के पास कोई नक्शा या एस्टीमेट भी आ चुका है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—केवल एक प्रस्ताव वहां का था ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभियन्ता महोदय को सरकार की तरफ से कब लिखा गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

कमिश्नरों के लिये नवीन आदेश

*२७—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने २९ जुलाई, १९५४ को क्षेत्रीय कमिश्नरों को दौरा करके प्रशासन, निर्माण, माल व अन्य

विभागों की देख-रेख करने तथा भ्रष्टाचार रोकने के निमित्त कोई आदेश दिये थे ? यदि हां, तो वे आदेश क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---२९-७-५४ को कोई आदेश जारी नहीं हुये । हां, २१-७-५४ और १५-९-५४ को निम्नलिखित तात्पर्य के आदेश जारी हुये थे :

कमिश्नरों का मुख्य कार्य जिलों के नियोजन और विकास सम्बन्धी कार्यों की देखरेख और उसमें रचनात्मक सहयोग होगा । इसके अतिरिक्त वे सामान्य प्रशासन, अमन, माल तथा आय के दूसरे जरियों की देखभाल भी करेंगे और सरकारी कार्य में क्षमता और तेजी लाने के उपायों पर भी ध्यान देंगे । इन कामों के लिये उन्हें महीने में लगभग बीस दिन दौरा करना होगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हर महीने के जो २० दिन दौरे के हैं यह एक रोटेशन से प्रत्येक जिले के लिये होते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे पास ब्यौरा तो नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि हर जिले में बारी-बारी से ही दौरा करते होंगे ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर घोड़े पर सवार होकर पटवारियों के कागजों को देखा करें दौरे पर, जैसा कि पहले के कमिश्नर किया करते थे, ताकि गलतियां इतनी ज्यादा न हों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सुपरिंटेंडेंट पुलिस के लिये तो यह आदेश दिये गये हैं। इस प्रयोग को हम देख लें कि कहां तक सफल होता है तो आगे के लिये कुछ सोचा जाय । क्योंकि घोड़े के आदेश के साथ-साथ पैसा भी देना पड़ेगा घोड़े के लिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या कमिश्नरों को कोई डायरी रखने का भी आदेश दिया गया है, जिसकी नकल वह प्रान्तीय सरकार के पास भेजा करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि कमिश्नर लोग अपने दौरे इत्यादि की डायरी रक्खा करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं । इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या उनके लिये ऐसे आदेश हैं कि सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय विधायकों की मीटिंग कर लिया करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, ऐसे आदेश नहीं हैं । मेरा ख्याल है कि अगर दिये जायं तो बहुत से माननीय विधायक जाना पसन्द भी नहीं करेंगे ।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जहां देहात से सरकारी उच्च अधिकारियों या सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार या अनैतिकता की दरख्वास्त आती है, कमिश्नर साहब उस मौके पर जाकर उसकी जांच करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हर शिकायत की जांच करना कमिश्नर का काम नहीं है, लेकिन अगर ऐसी शिकायत हो कि जहां पर कमिश्नर के लिये जांच करना जरूरी हो तो वह जरूर जायेंगे और जांच करेंगे ।

*२८-३०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१-३३--श्री रामसुन्दर पांडेय--[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४-३६--श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)--[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३७-३८--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--[१५ जनवरी, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २६-२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३९--श्री गनेशचन्द्र काछी--[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०--श्री प्रतापभानप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)--[२ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में विकास क्षेत्र उमर्दा की इमारतें

*४१--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र उमर्दा, जिला फर्रुखाबाद की इमारत पूर्णतया बनकर तैयार हो चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्णतया बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उमर्दा ब्लाक में दफ्तर की इमारत, बी० डी० ओ०, मडिकल आफिसर्स और असिस्टेन्ट डेवेलपमेन्ट आफिसर्स के क्वार्टर्स, करीब-करीब बनकर तैयार हो चुके हैं। केवल क्लर्कों और सर्वेन्ट्स के क्वार्टर्स बनना बाकी हैं। इनपर शीघ्र ही काम शुरू किया जायगा।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो उमर्दा ब्लाक की इमारत बनी है उसके लिए कितना बजट स्वीकार हुआ था और कितना खर्चा हो चुका है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसमें दफ्तर की इमारत के लिए १२,५८५ रुपया खर्च होना था, जिसमें से १२,२४२ रुपया खर्च हो चुका है। बी० डी० ओ०, मेडिकल आफिसर और असिस्टेन्ट डेवलपमेंट आफिसर्स के क्वार्टर्स के लिए ७,१६० रुपये, ६,९०७ रुपये और १९,४४५ रुपये व्यय होना था, जिसमें से ६,७६६ रुपये, ६,६०४ रुपये और १९,२९५ रुपये तीनों मदों में खर्च हो चुका है। तो बहुत थोड़ा रुपया बाकी रह गया है।

श्री होरीलाल यादव--क्या इस बजट के अन्दर अपरोच रोड का खर्चा भी शामिल था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो बिल्डिग का खर्चा मैंने बताया।

फर्रुखाबाद जिले में विकास क्षेत्र उमर्दा को सघन विकास क्षेत्र में बदलने पर विचार

*४२--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र उमर्दा, जिला फर्रुखाबाद कब तक सघन विकास क्षेत्र के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस विषय पर राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार अगले बजट के अवसर पर इस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--विचार तो हमेशा होता है, लेकिन निश्चयरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

*४३-४४—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले की सिकन्दराबाद तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता

*४५—चौधरी खजान सिंह (जिला उन्नाव)—क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में ओले पड़ने से फसल १३६४ फसली रबी को क्षति पहुंची थी? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक गांव को कितनी-कितनी लगान व आबपाशी में छूट और सहायता व तकावी दी गयी?

श्री चरणसिंह—जी हां। विभिन्न गांवों को जो लगान व आबपाशी में छूट और सहायता व तकावी दी गयी है उसकी सूची † संलग्न है।

चौधरी खजान सिंह—क्या माननीय माल मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों को छूट व तकावी नहीं दी गयी उसका क्या कारण है?

श्री चरणसिंह—जरूरत नहीं होगी। ऐसा ओला नहीं पड़ा होगा, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ हो।

ब्लाक लेविल कोआपरेटिव आफिसर्स प्रशिक्षण केन्द्र फैजाबाद में हरिजन प्रशिक्षणार्थी

*४६—श्री सुखलाल (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो फैजाबाद में ब्लाक लेविल कोआपरेटिव आफिसर्स प्रशिक्षण केन्द्र है उसमें कितने प्रशिक्षणार्थी हैं और उनमें कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ब्लाक लेविल कोआपरेटिव आफिसर्स प्रशिक्षण केन्द्र, फैजाबाद में इस समय कुल १२५ प्रशिक्षणार्थी हैं जिनमें ९ परिगणित जाति के हैं।

श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १२५ छात्रों में केवल ९ छात्र ही हरिजन क्यों हैं? इसका क्या कारण है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लिस्ट के देखने से ऐसा पता चलता है कि और बाकी लोग तो एम० ए० और एम० काम० हैं और यह ग्रेजुएट ही आये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि और ज्यादा योग्यता के विद्यार्थी नहीं आये।

बांदा जिले की कर्वी, मऊ तथा बबेरू तहसीलों में गेरुआ लगने से रबी की फसल को हानि

*४७—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या बांदा जिले की कर्वी, मऊ तथा बबेरू तहसीलों में रबी सन् १९५७ में अधिक वर्षा से गेहूं में गेरुआ लगने से खराब हो गया था? यदि हां, तो उन गांवों की तादाद हर तहसील में क्या है और किस हिसाब से लगान में छूट दी गयी है?

श्री चरणसिंह—जिले बांदा की कर्वी, मऊ तथा बबेरू तहसीलों में जो रबी, १९५७ में गेहूं की फसल खराब हो गयी थी वह केवल गेरुआ लगने से ही नहीं वरन् देर की वर्षा, देर की बुआई और मार्च, १९५७ ई० में प्रबल तथा गर्म हवा चलने से भी हुई। तहसील कर्वी, मऊ तथा बबेरू में क्रमशः २१०, १४६ तथा ६० गांवों में रबी की फसल में एक रुपये में ६ आने से अधिक क्षति पायी गयी है। लगान में छूट देने के सम्बन्ध में अभी राजस्व परिषद् से पत्र-व्यवहार जारी है।

---

†सूची छापी नहीं गयी है।

श्री जगपति सिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक ही तरह के दो किसानों के खेतों में एक ही तरह की हानि होना, एक के छूट के नक्शे में तो दिखायी है और दूसरे के में नहीं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल स्पष्ट नहीं है।

श्री जगपति सिंह—इसका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—बोर्ड आफ रेवेन्यू जब अन्तिम निर्णय पर पहुंच जायगा, तब हो जायगा, जल्दी हो जायगा। उससे कोई हानि नहीं है, क्योंकि मालगुजारी की वसूली तो स्थगित कर ही दी गयी है।

*४८—श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*४९—चौधरी खजान सिंह—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*५०-५१—श्री हरकेश बहादुर—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

*५२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[हटा दिया गया।]

ग्राम सेवकों का वेतन

*५३—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सन् १९५७ के पहले के जो ग्राम सेवक रखे गये हैं उनका वेतन ग्रेड ५० रुपया तथा अक्तूबर, सन् १९५७ की आवश्यकता के अनुसार जो ग्राम सेवक रखे जा रहे हैं, उनका वेतन ग्रेड ७५ रुपया मासिक है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं। ग्राम सेवकों का जो वेतन-क्रम पहले था, वही अब भी है। उनका वेतन क्रम ७५—५—१२० रुपया है तथा उन्हें, इसके अतिरिक्त १० रुपया प्रतिमास फिक्स्ड टी० ए० मिलता है।

श्री माताप्रसाद—क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य नहीं है कि जून, सन् १९५७ ई० में जिन ग्राम सेवकों का चुनाव किया गया है उनके लिए ५० रुपये मासिक वेतनक्रम का विज्ञापन किया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हां, मगर वह अमल में नहीं लाया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५० रुपये का विज्ञापन करने का क्या कारण था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पहले दो श्रेणी के विलेज लेविल वर्कर्स रखने का विचार था और अन्त में एक ही श्रेणी का फैसला किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह विचार केन्द्रीय सरकार का था या प्रादेशिक सरकार का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—दोनों के परामर्श से होता है।

जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*५४—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर विभाग के कर्मचारियों को किसी दूसरे विभाग में स्थायी स्थान देने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं।

*५५---श्री गौरीशंकर राय---क्या इस विभाग के कुछ लोगों की छटनी भी होगी?

श्री चरणसिंह---जैसे-जैसे काम कम होगा, अस्थायी कर्मचारियों की छटनी उनकी सीनियरिटी को देखकर की जावेगी।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को मालूम है कि विभाग के कर्मचारियों के इतने दिन तक काम करने के बाद छटनी होने पर उनकी उम्र इतनी कम हो गयी है कि वे कहीं दूसरी जगह दरख्वास्त भी नहीं दे सकते हैं?

श्री चरणसिंह---मुमकिन है कि कुछ लोगों की उम्र ऐसी हो गयी हो।

श्री गौरीशंकर राय---तो फिर क्या सरकार उम्र बढ़ जाने की वजह से जो लोग बेरोजगार हो गये हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, जिस समय उनकी नियुक्ति की गयी थी उनको मालूम था कि वे अस्थायी हैं।

*५६---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[८ जनवरी, १९५८ के लिए प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५७-५९---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

लखनऊ तथा इलाहाबाद जिलों में मद्यनिषेध योजना न लागू करना

*६०---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह लखनऊ तथा इलाहाबाद जिलों में मद्य निषेध योजना कब से लागू करने जा रही है?

डाक्टर सीताराम---अभी ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या माननीय मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ तथा इलाहाबाद जिलों में मद्यनिषेध योजना न लागू करने के क्या कारण हैं?

डाक्टर सीताराम---धनाभाव।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार अपनी उन जिलों की गतिविधि को देखने के बाद इस पर विचार करेगी कि आगे के लिए मद्य-निषेध की क्या नीति निर्धारित की जाय?

डाक्टर सीताराम---गत बृहस्पतिवार को प्रश्नों के उत्तर में मैंने बताने का प्रयास किया है कि अभी तक उसमें सेंट परसेंट सफलता नहीं हो पायी है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि काफी प्रगति हुई है। इसलिए जिन जिलों में यह योजना लागू की जायगी वहां स्टाफ रखना होगा जिसके लिए धन आवश्यक होगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हम जल्दी ही इसे लागू कर देंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद---इस धनाभाव के कारण क्या कुछ जिलों से मद्य-निषेध योजना समाप्त की गयी है?

डाक्टर सीताराम---नहीं।

*६१-६२---श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोडा)---[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये]।

*६३-६४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

वाराणसी में धानापुर डिस्पेंसरी की इमारत का १९४२ के सामूहिक जुर्माने से निर्माण

*६५—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के महाइच परगने में सन् १९४२ में सामूहिक जुरमाने की कुल कितनी रकम थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला वाराणसी के महाइच परगने में सन् १९४२ में कुल ५०,००० रुपया (पचास हजार रुपया केवल) सामूहिक जुरमाने के रूप में वसूल हुआ था।

*६६—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस रकम में से धानापुर डिस्पेंसरी के भवन निर्माणार्थ कितना व्यय हुआ है और कितना शेष रह गया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस रकम में से कुल ३०,००० (तीस हजार रुपया केवल) धानापुर डिस्पेंसरी भवन निर्माणार्थ व्यय हुआ, शेष धन बीस हजार रुपया निम्नलिखित कार्यों में व्यय हुआ:—

		रु०
(१)	कमालपुर हाई स्कूल	१३,०००
(२)	धानापुर गर्ल्स स्कूल	३,०००
(३)	धानापुर हाई स्कूल	३,०००
(४)	संस्कृत पाठशाला महिरियाव	१,०००
	योग ..	२०,०००

*६७—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[३० दिसम्बर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

भ्रष्टाचार विरोधी समिति मैनपुरी द्वारा खर्च

*६८—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मैनपुरी जिले में भ्रष्टाचार रोकने के हेतु सरकार ने जो रुपया गत वर्ष प्रचार में खर्च करने को दिया वह खर्च किया गया या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रचार कार्य के लिए ५०० रुपये की स्वीकृत धनराशि में से भ्रष्टाचार विरोधी समिति, मैनपुरी ने केवल ६० रुपये खर्च किये थे।

श्री रामदीन—क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५०० रुपया पूरा खर्च क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिए मैं क्या कहूं। वह एक अलग कमेटी है, उन्होंने उचित नहीं समझा होगा।

*६९—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—[३ जनवरी, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७०—श्री त्रिलोकीसिंह—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*७१—श्री प्रतापसिंह—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*७२-७३—श्री उग्रसेन—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

कानपुर जिले की पुखरायां तहसील में कथित खारिज शुदा वाद

*७४—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील पुखरायां, जिला कानपुर में ऐसे कितने वाद हैं जिनको दाखिल खारिज का आदेश हुए दो वर्ष हो गये और अभी तक अमलदरामद सम्बन्धित कागजों में नहीं किया गया है ?

श्री चरणसिंह—कोई ऐसा भी वाद नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या इस प्रकार की शिकायत कोई इस सम्बन्ध में विभाग के पास आयी थी ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट के पास तो आयी नहीं थी।

किसानों को खाद व औजार खरीदने के लिये तकावी देने की प्रार्थना

*७५—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह कोई संशोधन तकावी कानून में ऐसा करने जा रही है जिससे किसानों को गल्ले की भांति ज्वाइन्ट रिसपान्सिबिलिटी पर खाद व औजार भी प्राप्त हो सकेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औजार और खाद देने में किसानों की परेशानी होती है इस पर विचार करेंगे कि तकावी में उन्हें ये दे दिया करें?

श्री चरणसिंह—कृषि विभाग में इस पर विचार हो रहा है लेकिन इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं।

कानपुर जिले में पुखरायां तहसील कार्यालय से मिसलों के गायब होने की कथित शिकायत

*७६—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पुखरायां तहसील कार्यालय जिला कानपुर में मुकदमों की मिसलें गायब होने की खबर सरकार को किसी प्रकार प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करने के पश्चात् उत्तर देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता। जांच करने के पश्चात् भी यह मालूम हुआ कि कोई भी मिसले तहसील कार्यालय में नहीं गायब हुई हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की शिकायत जिल के अधिकारियों के पास पहुंची थी ?

श्री चरणसिंह—यह सवाल जिला अधिकारियों के पास भेजा गया और जवाब मंगाया गया, उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची और न वहां से कोई मिसल ही गायब हुई।

*७७-७८—श्री बलदेवसिंह—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

सचिवालय के मेडिकल डिपार्टमेंट में विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति

*७९—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सचिवालय के मेडिकल डिपार्टमेंट में विशेष पदाधिकारियों के पद (आफिसर आन स्पशल ड्यूटी) रखने के क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रशासकीय कारणों से गत अप्रैल में अस्थायी रूप से एक पद का सृजन किया गया था जो नवम्बर में समाप्त कर दिया गया।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस पद के निर्माण करने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस विभाग के एक डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनका तबादला एक जिले में कलेक्टर की हैसियत से करना था, उनकी जगह पर नियुक्ति में देर लगती और काम बहुत जमा हो गया था, इसलिय थोड़े दिनों तक के लिये स्पेशल आफीसर नियुक्त किया गया, जब उनकी नियुक्ति हो गयी तो वह ओहदा तोड़ दिया गया।

*८०—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन में मोटर वेहिकिल ऐक्ट के तहत मुकदमों की सुनवाई न होना

*८१—श्री गोविंदनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला जालौन के मोटर ऐक्ट के मुकदमों की सुनवाई जिला जालौन में नहीं होती ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। जो मुकदमे मोटर वेहिकिल ऐक्ट के अन्तर्गत चलाये जात हैं, उन्हें मोटर मैजिस्ट्रेट सुनते हैं और उनका हेडक्वार्टर जालौन नहीं है।

*८२—श्री गोविंदनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के मोटर वालों से सम्बन्धित कितने ऐसे मुकदम हैं जो जिला जालौन के बाहर मोटर मजिस्ट्रेट के यहां चल रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—ऐसे ४१ मुकदमे हैं।

श्री गोविंदनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे यह निवेदन करना है कि मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका पूर्ण उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न यह था कि "क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला जालौन के मोटर ऐक्ट के मुकदमों की सुनवाई जिला जालौन में नहीं होती ? यदि हां, तो क्यों ?" इस 'क्यों' का उत्तर नहीं दिया गया।

डाक्टर सीताराम—उत्तर में ही बता दिया गया है कि हेड क्वार्टर में नहीं है इसलिये सुनवाई नहीं करते हैं।

श्री गोविंदनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसके पहले जिला जालौन में मुकदमे हुआ करते थे, अब कौन सी ऐसी अड़चन आ गयी कि जिला जालौन में न होकर दूसरी जगह होते हैं ?

डाक्टर सीताराम—क्योंकि कानपुर रीजन में ४ जिले हैं—कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और एटा। मजिस्ट्रेट के पास मुकदमों की तादाद ज्यादा होने से अलग-अलग सेंटर्स में जिलों को बांट दिया गया है। जालौन, झांसी सेन्टर में आता है। इसीलिये जालौन के केसेज झांसी में सुने जाते हैं।

श्री गोविंदनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर ऐक्ट के मुकदमों को सेकेंड क्लास के मैजिस्ट्रेट सुनते हैं और जालौन में सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स काफी हैं, इसलिये मुकदमे वालों को सुविधा हो तथा खर्चे की कमी की दृष्टि से, सरकार इन मुकदमों को रेग्युलर फर्स्ट और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेटों के इजलास में कराने की कृपा करेगी जिससे यह मुकदमे जालौन में ट्राई हो सकें ?

डाक्टर सीताराम—इस तरह से जालौन ही क्या, सब जिलों में ही करना होगा। ट्रान्सपोर्ट के हिसाब से यू० पी० को ८ रीजन्स में बांटा गया है और उसी के अनुसार उसके मुकदमों की सुनवाई होती है। इसलिये केसेज को जालौन में करने का विचार नहीं है।

बरेली जिले में अल्पबचत योजना के अन्तर्गत एकत्र धन

*८३—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में तहसीलवार बचत योजना के अन्तर्गत सन् १९५६ और सन् १९५७ ई० में कुल कितना रुपया एकत्र हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बरेली जिले में अल्पबचत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में २८,९७,३४६ रु० की वास्तविक धनराशि एकत्र हुई और चालू वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में १ अप्रैल से ३० नवम्बर, १९५७ तक २,५०,७७७ रु० की वास्तविक धनराशि एकत्र हुई है। तहसीलवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि डाकघरों से तहसीलवार आकड़े नहीं मिलते।

*८४—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में उपर्युक्त वर्षों में कितना रुपया बरेली शहर तथा कितना रुपया देहातों से प्राप्त हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बरेली शहर तथा देहात के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि नगर के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के रुपये भी बरेली शहर के डाकघरों में जमा होते हैं और डाकघर देहात और शहर के अलग-अलग हिसाब नहीं रखते।

अतारांकित प्रश्न

सोल्जर्स बोर्ड, इटावा में पिछड़ी जाति के क्लर्क

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा के सोल्जर्स बोर्ड दफ्तर में कितने क्लर्क हैं ? उनमें कितने बैकवर्ड तथा कितने परिगणित हैं ?

श्री चरणसिंह—इटावा के सोल्जर्स बोर्ड दफ्तर में २ क्लर्क हैं जिनमें एक बैकवर्ड क्लास का है।

२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[९ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

इटावा जिले की जेड०ए०एफ० स्कीम तथा कलेक्टरी में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के क्लर्क

५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा की जेड० ए० एफ० स्कीम में चारों तहसीलों में कितने क्लर्क हैं ? उनमें कितने बैकवर्ड व कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री चरणसिंह—जेड० ए० एफ० स्कीम का बकाया इटावा जिले में साफ हो चुका है और किसी भी तहसील में इस काम के लिये अब कोई विशेष स्टाफ़ नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उपरोक्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*६-८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[९ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

*९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के कलेक्टरी कचेहरी की सभी शाखाओं में कितने क्लर्क हैं ? इनमें कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री चरणसिंह—जिला इटावा की कलेक्टरी कचेहरी की सभी शाखाओं में कुल मिला कर १७३ क्लर्क हैं जिनमें ३ हरिजन तथा ९ पिछड़ी जाति के हैं।

इटावा जिले की प्लानिंग स्कीम के अन्तर्गत बैकवर्ड व परगणित जाति के क्लर्क

*१०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की प्लानिंग स्कीम की विभिन्न शाखाओं में कितने-कितने अस्थायी क्लर्क काम कर रहे हैं ? उनमें कितने-कितने बैकवर्ड व परिगणित जाति के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

इटावा जिले में चकबंदी स्कीम के अन्तर्गत बैकवर्ड व परिगणित जाति के लेखपाल

*११—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिल की चकबन्दी स्कीम में कितने लेखपाल व कानूनगो हैं ? उनमें कितने बैकवर्ड व परिगणित जाति के हैं ?

श्री चरणसिंह—इटावा जिले की चकबन्दी स्कीम में २३४ लेखपाल हैं, जिनमें से ३६ बैकवर्ड और ८ परिगणित जाति के हैं और वहां की स्कीम में कोई कानूनगो काम नहीं कर रहा है।

जिला मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे व दलपतपुर रेलवे स्टेशनों पर गन्ना सप्लाई सेंटरों द्वारा गन्ना न खरीदने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री खमानीसिंह ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है, जो इस प्रकार है:—

"जिला मुरादाबाद के मूढापांडे व दलपतपुर रेलवे स्टेशनों पर के गन्ना सप्लाई सेंटरों द्वारा अभी तक गन्ने की खरीद न शुरू करने से जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है और सम्बन्धित क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों में जो असन्तोष फैला हुआ है और इस स्थिति के जारी रहने से जो हजारों किसानों का लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है, उस पर तत्काल विचार करने के हेतु सदन अपनी कार्यवाही स्थगित करता है।"

इसके बारे में एक तार भी उन्होंने साथ में भेजा है "सप्लाई बीइंग ऐरेंज्ड फार शिवहारा" इसके साथ-साथ एक चिट्ठी भी उन्होंने भेजी है। यह तो कोई निश्चित नहीं मालूम होता है। माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से कोई पूछताछ या पत्र-व्यवहार नहीं किया है। इसलिये अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, तार आने के बाद और उनकी चिट्ठी आने पर भी अनिश्चित ही प्रतीत होता है।

बाराबंकी जिले में कत्ल व डकैतियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री भगौतीप्रसाद वर्मा का है, जो इस प्रकार है :—

"बाराबंकी जिले में सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति तथा अधिकारियों की असावधानी के कारण नित्यप्रति, कत्ल, डाका, राहजनी, चोरी की घटनायें बढ़ रही हैं, खास कर सर्वश्री अवधशरण वर्मा (लल्ला) भूतपूर्व एम० एल० ए० व साथी सियाराम के कत्ल से सम्बन्धित मुकदमों में सरकार की ओर से ठीक से पैरवी न करने तथा उन मुकदमों से सम्बन्धित अभियुक्त यदुनाथ सिंह उर्फ भोला सिंह, विशुरूप सिंह उर्फ पुतई सिंह के जमानत पर छूटने व ममारकपुर (फतेहपुर) के श्री राजा बख्श सिंह के यहां डकैती पड़ने व सोशलिस्ट पार्टी का झंडा आदि जलाने की घटनाओं के कारण जिले में आतंक का वातावरण व्याप्त है और जनजीवन आशंकित है।

अतः इससे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

सरकारी नीति तथा चोरी, डकैती वगैरह बढ़ने का जिक्र, ये सब बातें इस प्रस्ताव में हैं और यह भी अनिश्चित सी बातें हैं। इसलिये इसको भी मैं अस्वीकार करता हूं।

कोंच, जिला जालौन में चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री गोविन्दनारायण तिवारी ने भेजा है, जो इस प्रकार है :—

"कस्बा कोंच, जिला जालौन में पिछले एक महीने से चेचक महामारी का प्रकोप बढ़ता चला जाता है जिसके फलस्वरूप सौ से अधिक बच्चे काल-कवलित हो चुके हैं और सैकड़ों बच्चे बीमार पड़े हैं। सरकार की ओर से बीमारी की रोकथाम व उसके उपचार की उचित व्यवस्था न किये जाने से अत्यन्त गम्भीर तथा तात्कालिक परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन का आज का कार्य स्थगित किया जाय।"

यानी एक महीना पहले की यह बात है और सदन कई रोज से बैठा है। ऐसी कोई शीघ्रता से विचारणीय बात थी तो सदन जिस रोज पहिले बैठा उसी रोज यह प्रस्ताव आ जाना चाहिये था, इसलिये इसकी अर्जेन्सी नहीं मालूम होती है, लेकिन प्रश्न चूंकि चेचक से बहुत से लोगों के मरने का है, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे यदि इस सम्बन्ध में कोई सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं। इस प्रश्न को मैं मंजूर नहीं करता हूं, सिर्फ सूचना देने के लिये मैंने मंत्री जी को इजाजत दी है।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, २३ नवम्बर से ३० नवम्बर तक की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जालौन में ऐसी किसी बीमारी की रिपोर्ट नहीं है। पहली दिसम्बर से ७ दिसम्बर तक की जो रिपोर्ट है, उसमें भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। १४ दिसम्बर को जो रिपोर्ट आयी है उसमें ५ केसेज की रिपोर्ट है सीजर की, लेकिन कोंच कस्बे में एक भी नहीं है। २१ दिसम्बर की रिपोर्ट में एक केस की रिपोर्ट है, लेकिन यह कहना कि १०० लड़के मरे या सैकड़ों बीमार हैं, यह बात ठीक नहीं मालूम होती, लेकिन फिर भी ऐंटी एपिडेमिक जो काम हैं, जैसे बैक्सिनेशन लगाना, बीमारों को औरों से अलग करना और जो वाकई इनफेक्टेड स्थान हैं, उनको डिसइनफेक्ट करने की सारी बातें कर दी गयी हैं और साथ ही डी० एम० एच० को हिदायत कर दी गयी है कि इन मेजर्स को जोरों के साथ इंटेसिफाई करें और रोकथाम करें ताकि बीमारी न फैले।

श्री गोविंद नारायण तिवारी (जिला जालौन)---मैं एक जानकारी चाहता हूं कि यह रिपोर्ट म्युनिसिपल बोर्ड से सप्लाई की गयी है या सरकारी विभाग से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तफसील मैं नहीं बतला सकता हूं लेकिन मेरे पास डिपार्टमेंट से ही आयी है।

भटनी चीनी मिल्स, देवरिया में हुई दुर्घटना से सर्वश्री फौजदार, सुखदेव य संवर की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---चौथा कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है जो इस प्रकार है:---

"भटनी चीनी मिल्स, भटनी, देवरिया गत ३ दिसम्बर, ५७ को चालू हुई। मिल चलने के बाद ही प्रथम सप्ताह में मिल में दुर्घटना के फलस्वरूप सर्वश्री फौजदार, सुखदेव और संवर अहीर को संगीन चोटें लगीं। तीन दिन पश्चात् फौजदार, सुखदेव देवरिया अस्पताल में तथा संवर बाहर मर गये। मिल के प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई। आज भी मिल प्रबन्धक इस घटना पर पर्दा डाल रहे हैं। इससे मिल मजदूरों एवं आस-पास के हजारों गन्ना किसानों में क्षोभ व्याप्त है और परिस्थिति विषम हो गयी है।

इससे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य सदन स्थगित करता है।"

इसका भी गवर्नमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है और दूसरे यह भी ३ दिसम्बर का है, यह भी अब पुरानी बात हो गयी, सेशन चल रहा था तो इसको भी पहले ही सामने आ जाना चाहिये था और गवर्नमेंट से इसका सम्बन्ध न होने के कारण मैं माननीय मंत्री जी को तकलीफ नहीं दूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कोई रोशनी डालें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा आवश्यक मामला है, यदि मंत्री जी इस विषय में कोई वक्तव्य दें या जांच कराके इसके बारे में सदन को अवगत करायें..

श्री अध्यक्ष---आप मंत्री जी को पहले से लिखे होते तो वह तैयार हो कर आ सकते थे। मंत्री जी के पास कोई सूचना हो तो वह बतला दें।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगुलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास केवल इतनी ही सूचना है कि दुर्भाग्यवश वहां एक इस तरह की दुर्घटना हो गयी जिससे कि एक मजदूर मर गया, इसके अलावा मेरे पास कोई सूचना नहीं है। ऐसी दुर्घटनायें तो दुर्भाग्यवश अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर नहीं है। जो कुछ उचित कार्यवाही फैक्टरी इंस्पेक्टर के द्वारा हो सकेगी, वह की जायगी।

गन्ने के दामों में से जबरदस्ती अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत कटौती के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक और कामरोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुर वर्मा का है कि केन यूनियन बैतालपुर तथा गौरी बाजार देवरिया के वार्षिक अधिवेशन में जिला के विभागीय अधिकारियों ने प्रतिनिधियों के बिना मत दिये ही जबरदस्ती दो पैसा फी मन गन्ना में से अल्प-बचत योजना की कटौती का प्रस्ताव पास करा दिये। १२ दिसम्बर, सन् ५७ को गौरी बाजार में गन्ना किसानों ने प्रस्ताव पास कर इस अवैध कटौती का विरोध किया, फिर भी यूनियन के २० हजार से अधिक सदस्यों के गन्ने के दाम से यह कटौती हो रही है। इससे एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है और रोष का वातावरण व्याप्त है।

अतः उपर्युक्त विषय से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

[श्री अध्यक्ष]

इससे भी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई गवर्नमेंट की शिकायत नहीं है कि उस ने यह नहीं किया। शिकायत प्लानिंग अधिकारियों की ह। इसको मैं अवैध करार देता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---अध्यक्ष महोदय, यह २० हजार किसानों का मामला है....

श्री अध्यक्ष---आपको इसके बारे में पहले से सरकार को लिखना चाहिये था। लेकिन इसका कोई सीधा सम्बन्ध सरकार से नहीं है इसलिये इस वक्त यह नहीं लिया जा सकता।

पलिया, जिला लखीमपुर में कालोनाइजेशन के लिए किसानों के जमीने से बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री बंशीधर शुक्ल ने भेजा है वह यह है कि "जिला खीरी में परगना खैरीगढ़ के अन्तर्गत पलिया कालोनी बसाने के लिये सरकार ने लगभग ३०० किसानों की लगभग ६ हजार एकड़ जुतीजुताई बोई फसल खड़ी हुई जमीने छीन ली हैं ८० काश्तकारों की जमीनें लेना सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है....आदि..."

यह पहले भी एक बार आ चुका है और मैं इसको नामंजूर कर चुका हूं। वही फिर दोबारा आया है। मैं इसकी इजाजत अब नहीं देता...

श्री वंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---कृपा करके इसको पढ़ तो दिया जाय...

श्री अध्यक्ष---बार-बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आया था तभी पढ़ा जा चुका है। आप ने अब पेश कर दिया, सबको मालूम हो गया।

मोदीनगर मिल के मजदूर आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव मोदीनगर के मजदूर आन्दोलन के विषय में पहले आ चुका है और यह फिर आज आया है। इसको भी नामंजूर करता हूं, एक ही प्रस्ताव बार-बार नहीं आ सकता। इसकी भी मैं इजाजत नहीं दूंगा।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विभाजन की गणना का शोधन

श्री अध्यक्ष---एक सूचना मैं आदरणीय सदन को परसों अविश्वास के प्रस्ताव पर हुए विभाजन के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। उस दिन अविश्वास का प्रस्ताव जो आया था और उसमें जो गणना की गयी थी और जो रायें यहां मैंने उस समय बताई थीं उसमें १०६ पक्ष में बताई गयी थी और २६४ विरोध में बतायी गयी थीं। उस समय ८ कागजों में से जोड़ कर संख्या निकाली गई थी और उस समय जल्दी में जोड़ने में एक का अन्तर हो गया था। वह जोड़ विरोध की संख्या का २६४ की जगह २६५ होता है, एक कागज के ऊपर जोड़ ३४ का लगा दिया गया था, यद्यपि वह होता था ३५। इसकी वजह से एक का अन्तर हो गया था।

इस तरह से जब विभाजन के नाम छपेंगे तो यह संख्या २६४ की जगह २६५ होगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, यदि प्रस्ताव के पक्ष में भी फिर से गणना करा ली जाय तो हमारी भी संख्या बढ़ जाय।

श्री अध्यक्ष--जहां अधिक संख्या होती है वहीं गलती की संभावना अधिक होती है।

स्वतंत्र प्रगतिशील विधान सभाई दल के नाम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री इशहाक सम्भली ने मुझे यह सूचना दी है कि "स्वतन्त्र प्रगतिशील विधान सभाई दल, उत्तर प्रदेश का नाम, दल की जनरल कौंसिल की बैठक ता० १३-१२-५७ में बदल दिया गया है। अब दल का नाम हिन्दी में "स्वतंत्र प्रगतिशील धारा सभा दल" और अंग्रेजी में "इंडपेंडेंट प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर पार्टी" हो गया है। कृपा कर नोट फरमा लीजिये।"

मैंने तो नोट कर लिया है लेकिन मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि जब इस दल को वे सम्बोधित करें तो इसी नाम से करें ताकि उनको आपत्ति न हो।

श्री भगौती प्रसाद वर्मा द्वारा अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन

श्री भगौती प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--हमारा जो प्रस्ताव था, वहां बड़ी विकट स्थिति है।

श्री अध्यक्ष--उस विकट परिस्थिति पर कई बार माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री भगौती प्रसाद वर्मा--हमको बोलने का पहला ही मौका...

श्री अध्यक्ष--आपको मैं मौका दूंगा।

श्री भगौती प्रसाद वर्मा--वहां की स्थिति वही है जिस स्थिति में भगवती प्रसाद शुक्ल दिनदहाड़े मारे गये थे।

श्री अध्यक्ष--अच्छा तो आप कृपा करके बैठें। आप पहली दफा बोल रहे हैं इसलिए मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। आप ज्यादा कष्ट न करें। बहुत हो गया।

*इंटरमीडियट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधयक, १९५७, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय, विवाद जारी होगा।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष--सदन की बैठक के सम्बन्ध में, चूंकि कुछ लोग जानना चाहते हैं, पहले माननीय मुख्य मंत्री तारीख बता दें तो उस हिसाब से फिर विचार किया जाय।

---

*९ दिसम्बर, १९५७ की कायवाही में छपा है।

†२१ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही से।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इधर बैठे बठ माननीय सदस्य काफी थक गये हैं। हमारा तो ऐसा खयाल है कि अब जनवरी में उनको हम तकलीफ न देंगे और आज के बाद सायने डाई सदन की बैठक स्थगित हो जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---शाम को तो कोई परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि यही मुख्य मंत्री जी एक हफ्ते पहले ऐलान कर चुके थे कि दूसरी तारीख से बैठक होगी।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो उसी समय यही कहा था कि सम्भवतः होगी।

श्री राजनारायण---हम लोगों ने अपना प्रोग्राम उसके मुताबिक बना लिया।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि उसमें थोड़ी सी मुझसे भी परामर्श करने की जरूरत थी। पहले एक दफा मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि २६ तारीख को बैठक खत्म हो जायगी। इसीलिए इसके ऊपर पुनर्विचार उन्होंने किया और यह उचित समझा कि वह जो पहले कहा था उसके अनुसार बहुत से लोग प्रोग्राम बना चुके थे तो उनको असुविधा न हो, इसलिए बैठक को आज ही खत्म करने का निर्णय किया गया।

श्री सीताराम शुक्ल द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेहरबानी करके आज्ञा दें कि अर्ज कर लूं।

श्री अध्यक्ष---आपने सूचना तो भेजी नहीं। विशेषाधिकार का प्रश्न तत्काल तो उठाया नहीं जाता। क्या किसी ने इस वक्त विशेषाधिकार की अवहेलना की है?

श्री सीताराम शुक्ल---कल अखबार में छपा हुआ....

श्री अध्यक्ष---उसके लिए जब सेक्रेटरी को लिख कर आप भेजेंगे तब प्रश्न हो सकेगा।

पांच बजे के बाद प्रश्नोत्तर सम्बन्धी आध घंटा विवाद के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक इनफारमेशन चाहता हूं। मैंने पांच बजे के बाद आध घंटा विवाद के लिए प्रार्थना की थी। एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है न मुझे कोई सूचना दी गयी...

श्री अध्यक्ष---वह नामंजूर हुआ होगा। सूचना आपको मिल जायगी।

इंटरमीडियट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, अगर रोग कुछ हो और दवा कुछ की जाय तो उसका निश्चित परिणाम यह हुआ करता है कि या तो मर्ज बढ़ जायगा या अकाल में उस रोगी की मृत्यु हो जायगी। अध्यापकों की दशा कुछ ऐसी ही है। जब अध्यापकों का मर्ज बहुत कुछ बढ़ गया और सम्भावना यह होने लगी कि उनका रोग एक संक्रामक रोग हो जायगा और हो सकता है कि देश में यह बीमारी फैल जाय तब सरकार ने निश्चय किया कि इस रोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जांच पड़ताल होनी चाहिये। एक मेडिकल बोर्ड बैठाया गया जो हमारे इस प्रदेश के बड़े-बड़े डाक्टरों का बोर्ड कहा जाता है, जिसको हम आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी के नाम से पुकारते हैं। इस पर भी संतोष न करके केन्द्रीय सरकार ने एक और बड़े डाक्टरों का बोर्ड बैठाया, जिसमें देश भर के छंटे हुए डाक्टर रखे गये, जिसको मुदालियर कमीशन के नाम से पुकारते हैं। दोनों बोर्डों ने अपनी रिपोर्ट दे दी, अध्यापकों को क्या रोग है उन्होंने साफ-साफ बतला दिया कि यह रोग राजयक्ष्मा है। निदान भी बतला दिया, उसका अनुपान भी बतला दिया। लेकिन जब अध्यापकों को डाक्टर के सामने पेश किया गया और यह बतलाया गया कि रिपोर्ट के अनुसार इसकी दवा की जाय तो अध्यापकों का दुर्भाग्य है कि डाक्टर के बजाय उनको एक क्वैक से पाला पड़ा। क्वैक महोदय फरमाते हैं कि दवा सम्पूर्ण रूप से करना अभी सम्भव नहीं है। हम केवल दो मर्ज की दवा करना चाहते हैं। एक खांसी दूसरे जो खांसी के साथ कभी-कभी खून निकल आता है, उसकी। मैंने बताया कि पहले ही रोग राजयक्ष्मा है और आप दवा करना चाहते हैं खांसी की और खांसी के साथ कभी-कभी रोगी को जो खून निकल आता है, उसकी और दवा आप क्या तजवीज करते हैं चूंकि खांसी का सम्बन्ध गले से है इसलिये गले का आपरेशन हो जाना चाहिये और गला अगर लम्बा चौड़ा बना दिया जायगा तो खांसी की सम्भावना कम हो जायगी। खून निकलता है, इसके माने सिद्ध हैं कि मनुष्य के शरीर में खून की अधिकता हो गई है इसलिये अगर जोंक लगा दी जायं तो खून कम हो जायगा या मुंह से खून निकलने की शक्ति कम हो जायगी।

मैंने बताया कि अध्यापकों का यह दुर्भाग्य था कि डाक्टरों के निदान के बाद भी क्वैक से पाला पड़ा। अब अध्यापक बेचारा क्या करे, श्रीमन्, आप ही बतायें। अगर वह मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देता है, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी का वर्णन करता है, तो सम्भावना यह है कि मंत्री महोदय यह अपना फैसला दे दें कि पागल है और इसे पागलखाने भेज देना चाहिये। लेकिन पागल होना उतना बुरा नहीं है। मृत्यु का सामना करने के कारण मैं अध्यापकों का वर्णन जरूर करूंगा।

इस बिल में शिक्षा के गिरते हुए स्तर की बात की गयी है। पहला प्रश्न यही है। स्तर चारों तरफ गिर रहा है। यह बात न की गयी होती तो ज्यादा अच्छा होता। स्तर गिरने का प्रमाण तो अभी कल परसों पहले ही मुझे मिल गया था। १०, १२ वर्ष के पढ़े हुए आदमी, जिन्होंने पुराने जमाने में अंग्रेजी की शिक्षा पायी है "इज ब्राट" का ठीक-ठीक अर्थ ही न कर सके, वह यह न बता सकें कि "इज ब्राट" का मतलब क्या है, तो स्तर तो गिरा हुआ है ही। इतिहास का ज्ञान तो गिरा हुआ इसी से मालूम होता है कि राजा चेतसिंह के प्रश्न पर जब उसके समकालीन बर्क ने हेस्टिंग्स का इम्पीचमेंट करते हुए साफ-साफ कहा था कि राजा चेतसिंह एक स्वामिभक्त आदमी थे, ऐसे स्वामिभक्त आदमी के साथ निर्दयता दिखलायी गयी जो अंग्रेजों के लिये क्षम्य नहीं है। तो आजकल लोग उसको देशभक्त मानकर उसका स्मारक बनवाते हैं और कहते हैं राजा चेतसिंह बड़ा देशभक्त था। तो इतिहास का स्तर तो गिर ही गया है। शिक्षा का स्तर गिरा है या नहीं गिरा है इसकी जांच तो शिक्षा मंत्री ही से की जा सकती है। उनका स्तर देखिए। कुछ दिन पहले एक विद्वान अध्यापक शिक्षा मन्त्री था, जिसने कई वर्ष तक शिक्षा का काम किया था। उसके थोड़े दिनों बाद एक ऐसा शिक्षा मंत्री आया, जिनका सम्बन्ध शिक्षा से एक दिन का भी नहीं था। वकील जरूर था। विश्वविद्यालय में कभी कदम उन्होंने जरूर रखा था लेकिन शिक्षा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। शिक्षा का स्तर गिरा। उससे आगे की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वर्तमान शिक्षा मन्त्री ने विश्वविद्यालय में कदम नहीं रखा है, लेकिन तब भी वे विद्वान् हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है, क्योंकि अभी कल उन्होंने सिविक राइट और सिविक ड्यूटीज को गड़बड़झाले में मार दिया और फंडामेटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करने लगे।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो पिछले रोज की कार्यवाही है उसके ऊपर टीका आप नहीं कर सकते।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---उस पर टीका नहीं कर रहा हूं श्रीमन्, मैं शिक्षा का स्तर बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आपकी टीका तो वैयक्तिक हो रही थी।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---हां, तो मैं बता रहा था कि शिक्षा का स्तर चारों तरफ गिर रहा है। उसका वर्णन मैं नहीं कर रहा हूं और इस बिल में भी नहीं किया गया है।

अब मैं शिक्षकों की बात पर आ रहा हूं। शिक्षकों की हालत क्या है। मैंने पहले ही बता दिया कि मुदालियर कमीशन ने साफ-साफ लफ्जों में कहा है कि उसके दो मुख्य रोग हैं। पहला रोग तो है उसका वेतन कम होना। यहां तक कि संविधान की अवहेलना करके जहां साफ-साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि समान काम के लिए समान वेतन चाहिए, हमारे अध्यापकों के साथ यह भी नहीं किया जा रहा है।

दूसरे, उसके भविष्य का कोई प्रबन्ध नहीं है। दो चार दस वर्ष अध्यापकी करने के बाद जब वह बेकार हो जायगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा? पेंशन न मिलने के कारण उसकी क्या दशा होगी? मुदालियर कमेटी ने स्वयं बतलाया है और उसने साफ-साफ लिखा है कि शिक्षकों के लिए जब तक वेतन, प्राविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक शिक्षकों की हालत सुधर नहीं सकती। उसने साफ-साफ कबूल किया है कि इधर कई वर्षों से शिक्षकों की हालत गिरती जा रही है। उनका वेतन थोड़ा बढ़ जरूर गया है, लेकिन वस्तुओं का मूल्य इतना अधिक बढ़ा है कि उस वेतन के बढ़ने का कोई प्रभाव उनकी दशा पर नहीं पड़ा है। ये शब्द मुदालियर कमीशन के कहे हुए हैं जिनका पूरा-पूरा ज्ञान सरकार की आय और व्यय का रहा होगा। लेकिन उस पर यह विधेयक बिलकुल चुप है। एक शब्द भी नहीं कहता कि शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, शिक्षकों के प्राविडेंट फंड में कोई तरक्की होगी, शिक्षकों के लिए इन्श्योरेंस या शिक्षकों के लिए पेंशन की कोई बात की जायगी, कोई जिक्र नहीं है? क्या उत्तर है? कोई उत्तर उन मन्त्री ने नहीं दिया। लेकिन वह दे सकते थे और सनातन उत्तर है कि पैसे की कमी है। पैसे की अगर कमी नहीं है तो उन कामों में नहीं है जहां सरकार चाहती है। उदाहरण तो नहीं देना चाहता श्रीमन्, लेकिन अगर मैं कह दूं कि सरकार की दशा तो उस शराबी की तरह है जो बार में जाता है, ४०-५० रुपये की बोतल खाली कर देता है, लेकिन जब बाहर निकलता है और चीथड़े में लिपटा हुआ कोई भिखमंगा अपनी भूख की कड़ुवाहट के मारे उसके सामने अपना हाथ फैलाता है तो मदमस्त शराबी के मुंह से यह आवाज निकलती है कि तुम्हारी दीन दशा के ऊपर मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन क्या करूं, जेब खाली है, पैसा नहीं है। बात मैं समझता हूं यही है। वहां पैसे की कमी कहां है? आज तो बात सुधर गयी। दो दिन पहले यहां इसी हाउस में बतलाया गया कि २६ तक हाउस चलेगा और फिर २ को बैठेगा। तो २ दिन २७ और २८ को हाउस क्यों नहीं रक्खा। २०-२५ हजार रुपया इससे नुक्सान होने जा रहा था। यह बात सुझायी न गयी होती तो नुक्सान हो गया होता। यह २७ और २८ को हाउस क्यों नहीं बैठ रहा था? कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। वैसे सरकार के पास पैसा नहीं है। ३, ४ पहलवान अखाड़े में उतर आये हैं। एक तो शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रशिक्षत किए हुए हैं.....

एक सदस्य---प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष---(श्री देवीप्रसाद मिश्र से) यह जो आप कह रहे हैं वह प्रश्न इसमें नहीं है, यह असंगत है।

श्री राजनारायण---सोशलिस्ट पार्टी की चर्चा तो उधर से किसी भी बिल पर लोग कर दिया करते हैं।

श्री अध्यक्ष---ऐसी चर्चा को मैं रोक देता हूं।

श्री देवीप्रसाद मिश्र--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं और वह अपराध नहीं किया करता जो बड़े लोग किया करते हैं। तब भी मैं इतना कहूंगा कि खर्चे की कमी थी, वह वहीं पैदा होती है, जहां शिक्षकों का प्रश्न आता है और कहीं वह कभी नहीं पैदा होती। मैंने कहीं नहीं देखा कि सरकार को रुपये की कमी पड़ी हो। मैंने अगर कहीं अनुभव किया है तो यहीं पर अनुभव किया है, जब शिक्षकों के वेतन का प्रश्न आता है। शिक्षकों के बारे में जैसा मैंने पहले बतलाया दो चीजें खास हैं। एक तो वेतन की कमी और दूसर भविष्य के लिये उसका कोई प्रबन्ध न होना। सरकार इसके बारे में चुप है। सरकार, जैसा मैंने पहले बतलाया, दो रोगों का निदान करना चाहती है। एक तो अध्यापकों के जब चुनाव होते हैं तो योग्य अध्यापकों की जगह कभी-कभी अयोग्य अध्यापक चुन लिये जाते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रबन्धक समितियां यह गलती किया करती हैं कि उनके सामने जब योग्य अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र आते हैं तो भाई भतीजे के झगड़े में पड़ कर कभी-कभी वे गलत आदमियों का चुनाव कर लिया करती हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि जो गलत चुनाव हुआ करते हैं वे ज्यादातर उन प्रबन्धक समितियों के साथ हुआ करते हैं जो बड़ी-बड़ी संस्थाये हैं। उदाहरण के लिये कायस्थ पाठशाला है, छत्री हाई स्कूल है, शिया कालेज है, ये बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं जिनसे किसी न किसी मंत्री का सम्बन्ध है। वे संस्थायें इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार करती हैं। जातपांत के अनुसार वे ज्यादा चुनाव किया करती हैं बनिस्वत उन दरिद्र संस्थाओं के जो आज कल पैदा हो गयी हैं। लेकिन इस बिल में कहीं जिक्र नहीं है कि कैसे उनका सुधार किया जायगा। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट का मुझे वह अंश याद है जिसमें इन संस्थाओं को सुधारने के लिये उस कमेटी ने एक छोटा सा सुझाव दिया था कि सरकार की तरफ से तीन सदस्य बाहर के इन कमेटियों में रख दिये जायं ताकि जातपांत का विष कुछ कम किया जा सके। यह बात सरकार के लिये लाभदायक ही थी। वह इन कमेटियों पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन यह भी चीज इसमें नहीं है। जातपांत के अनुसार अध्यापक चुने जायंगे, उसकी कोई दवा नहीं है।

अयोग्य अध्यापक दूसरे कारण से भी चुने जाते हैं और वह यह है कि कमेटी के पास रुपया नहीं है, तनख्वाह अधिक वह दे नहीं सकती और योग्य अध्यापक चुनने के लिये एक खास वेतन तय है, तो जानबूझ कर वह मजबूर होती है कि छोटी तनख्वाह वाले अध्यापक को चुने। इसकी क्या दवा है? इंस्पेक्टर का ऐप्रूवल इसकी कोई दवा नहीं है। मुख्य प्रश्न तो ह कि कमेटी के पास रुपया नहीं है। वह प्रतिष्ठित अध्यापक को तनख्वाह देने की शक्ति नहीं रखती। जब तक इंस्पक्टर के हाथ में यह अधिकार न दिया जाय कि जिस अयोग्य अध्यापक का चुनाव करने की वह सलाह देती है उसकी तनख्वाह की भी व्यवस्था करेगी, तब तक यह सुझाव बिल्कुल व्यर्थ है। होगा क्या? अभी कमेटियां अपने भाई और भतीजों का खयाल करती हैं, तब इंस्पेक्टर और उसका आफिस, उसके क्लर्क अपने भाई भतीजों का खयाल करेंगे। होगी व्यवस्था वही, सिर्फ एम्फेसिस बदल दिया गया है।

दूसरा सुझाव यह कमेटी दे रही है कि अध्यापक निकाले जाते हैं, उनकी सुरक्षा के नाम पर इंसपेक्टर को अधिकार दिया जाय कि निकालने पर हस्ताक्षर किया करें। बात बिल्कुल सही है कि प्रबन्ध समिति के लड़के, उनको निकालने के बाद वहां नहीं लिये जाते तो बड़ा भारी अपराध है। कोई मंत्री गया है, स्वागत करने के लिये माला-फूल नहीं ले आते हैं, यह बहुत बड़ा अपराध है, वह निकाल दिया जायगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो अध्यापक निकाले जाते थे उनका निकालना बन्द कैसे होगा? इंसपेक्टर के हाथ में अधिकार दे देने से ही हरगिज बन्द नहीं हो पायेगा।

जहां तक मेरा अनुभव है प्रबन्धक समितियां अध्यापकों से अधिक शक्तिशाली हैं। आज भी इंसपक्टर से मिलकर वे सब काम करा लिया करती हैं जिनको वह चाहती

[श्री देवी प्रसाद मिश्र]

हैं। दो चार ही इंसपेक्टर ऐसे होंगे जो शायद इतनी हिम्मत रखते हों कि प्रबन्धक समितियों के खिलाफ चले जायं, वरना ९०-९५ फीसदी इंसपेक्टर ऐसे हैं। जो प्रबन्धक समितियों की हां में हां मिलाया करते हैं। अगर यह अधिकार इंसपेक्टर को दे दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि एक ऐब इसमें और बढ़ जायगा, सफेद करने के बजाय एक काला धब्बा और आ जायगा। अभी प्रबन्ध समितियां हम पर नाराज होती थीं और अब इंसपेक्टर और उनका आफिस और कलर्क हम पर नाराज होगा तब अध्यापकों की बुरी दशा हो जायगी। जितने अध्यापक आज निकाले जा रहे हैं, इस बिल के पास हो जाने के बाद उनकी संख्या दुगुनी जरूर हो जायगी। मैं तो स्वयं बहुत डरता हूं इस बात से कि कुछ अध्यापक ऐसे सिर फिरे हो गये हैं कि वह राजनीति में भी हिस्सा लेने लगे हैं। इस सदन में भी अध्यापकों की संख्या, इस तरफ और उस तरफ, कुछ बढ़ती हुई दीखती है और यह ऐसा खतरा है कि कम से कम पढ़े-लिखे जो गद्दियों पर बैठे हुए हैं उनको तो यह पसन्द नहीं होगा। कोई भी आदमी सदन में---चाहे इस तरफ या उस तरफ---अध्यापक और पढ़ा लिखा होकर चला आये तो खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए मैं विशेष करके अब खतरा महसूस करता हूं कि अगर सरकार के हाथ में यह अधिकार दे दिया गया कि हमारे निकालने और न निकालने का अधिकार इंसपेक्टर के हाथ में हो गया तो कल, अगर मैं यह तय करूं कि चुनाव लड़ूं और उसी दिन कमेटी यह तय करे कि राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिये तो इंसपेक्टर साहब का स्टाम्प उस पर लग जायगा कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिये और फिर दो चार मूर्तियां जो अध्यापकों की इस सदन में दिखाई पड़ती हैं वह भी दिखाई नहीं देंगी। (व्यवधान) आप क्या फरमा रहे हैं ? वह अध्यापक रहे हैं, उनका सुनना मेरा कर्त्तव्य है।

मैं कह रहा हूं कि यह अधिकार ऐसा है कि हमारे अधिकारों को छीनने का यह षड़यन्त्र है। हम पहले ही प्रबन्ध समितियों से तंग आकर त्राहिमाम् पुकार चुके हैं, सरकार से सहायता चाहते हैं, लेकिन हम पढ़े-लिखे हैं, सरकार हमें ऐसी कोई दवा न बताये, हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें। हम यह नहीं चाहते हैं कि पढ़ाई से उतर करके हम चूल्हे में पड़ जायं। हम चाहते हैं कि अगर निकलें तो ऐसी जगह रखे जायं, जहां आंच न लगे। तो यह प्रबन्ध किया गया है। मौलिक दोष कहां हैं, बुराइयां क्यों पैदा हो गयी हैं, इस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। मैं आपको बतला रहा हूं कि सारी बुराइयों की जड़, वह ग्रांट-इन-एड सिस्टम है। १८८२ में जब अंग्रेजी सरकार थी तो हंटर कमीशन की उस सिफारिश के अनुसार गोरे अंग्रेजों ने यह कहा था कि माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार अपने सिर पर नहीं लेना चाहती और उन्होंने कह दिया कि अगर हिन्दुस्तानी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो खुद पढ़ायें। सरकार जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। लेकिन उस गोरी सरकार ने भी कहा था कि अगर तुम अपना बोझा उठाना चाहते हो तो ५० फीसदी हम तुमको दे दिया करेंगे। यह मैंने बतलाया कि यह ग्रांट-इन-एड की बुनियाद है। हमारी सरकार तरक्कीयाफ्ता है।

आज मुल्क आजाद हो गया है और अंग्रेज यहां से चले गये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ७५ वर्ष का जमाना इतना बड़ा नहीं है कि सरकार कबूल करे कि अंग्रेजों ने अपने सिर पर जिम्मेदारी नहीं ली थी लेकिन हम लेने को तैयार हैं ? हमारा वेतन आप न बढ़ाइये और कुछ न करिये। हम दस पांच साल इंतजार करने के लिये तैयार हैं अगर आप इतने शब्द लिख दें कि माध्यमिक शिक्षा की पूरी-पूरी जिम्मेदारी सरकार अपने सिर पर लेना चाहती है। आप शिक्षा का स्तर तो बढ़ायेंगे और अध्यापकों की उन्नति भी करेंगे, लेकिन जो इसकी जड़ है उस पर एक शब्द भी नहीं कहेंगे।

मैंने बतलाया कि अंग्रेजों ने ५० फीसदी खर्चा बर्दाश्त करना स्वीकार किया था। लेकिन हमारी सरकार शिक्षा ज्यों-ज्यों बढ़ाती चली जा रही है त्यों-त्यों अनुदान का अनुपात

घटाती चली जा रही है। क्या शिक्षा मंत्री जी को मालूम नहीं है कि ७५ वर्ष के बाद आज शिक्षा का अनुदान घटकर २० फीसदी पर आ गया है ? हैलट और उनके गोरे साथी तो हमको ५० फीसदी अनुदान दें और आप केवल २० फीसदी दें और इस पर भी कहें कि माध्यमिक शिक्षा की समिति खराब है। क्या जबाव दिया जाय ? जमींदारियां भी टूट गयी हैं और आज दुबे जी भी राजा नहीं रह गये हैं। आप उनको चिढ़ाते हैं कभी-कभी राजा कह कर। लेकिन शिक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वही शिक्षा देंगे। आपने अनुदान घटाकर २० फीसदी कर दिया है फिर भी आप कहते हैं कि हम शिक्षकों की हालत सुधारते जा रहे हैं।

पहले एक लड़के पर जितना खर्च होता था आज उसका आधा ही कर रहे हैं ? रोग की दवा सरकार नहीं कर रही है। ग्रांट-इन-एड सब अपराधों की जड़ है। इसका एक सिस्टम अब भी है और कानून में लिखा हुआ है और सरकार उसका पालन करे कि जो प्रबन्धक समिति का खर्चा होगा और आमदनी होगी उसका अंतर सरकार देगी। सरकार इसको कबूल कर लें तो मैं अध्यापकों की तरफ से कहता हूं, प्रबन्धक समिति की तरफ से मुझे कहने का अधिकार नहीं है, कि कोई भी अवगुण बाकी नहीं रहेगा। लेकिन सरकार तैयार नहीं है। आप आंख मिचौनी खेलते हैं और कहते हैं कि आधा इंक्रीमेंट देंगे, पौन देंगे। मैं कहता हूं कि आप इसकी बात क्यों करते हैं ? अंग्रेजों ने जो कोड में लिखा है जो हमारे नहीं थे और सब की तरफ़ से नालायक थे, उन्होंने लिखा है कि अन्तर दिया करेंगे। वही आप क्यों नहीं देते हैं ?

आगे जब हम बढ़ते हैं तो शिक्षकों के बारे में एक बोर्ड है और उसके सुधार के लिये यह ऐक्ट है और इसके मूल में देखा जाय तो इसके सुधार के लिये कोई बात नहीं है। बोर्ड कितना बड़ा होता है और क्या करता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि बोर्ड का भ्रष्टाचार, बोर्ड की गड़बड़ी आज इतनी प्रचलित हो गयी है कि उसको दुहरा कर हम सदन का वक्त खराब करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुधार उसका होना था। आपने सुधार क्या किया है ? एक मात्र, दो जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे वे हटा दिये गये और सब कुछ वैसा ही है। मैं जमींदारों का हिमायती तो नहीं हूं, लेकिन मैं क्या शिक्षा मंत्री से यह नहीं पूछ सकता कि शिक्षा की जिम्मेदारी अब पूरी उन्हीं के ऊपर है, वही स्कूलों को चलायें, प्रबन्धक समितियों का संचालन वही करें और रुपया भी वही इकट्ठा करें। अगर कहीं से वे गायब हुए हैं तो सिर्फ शिक्षा बोर्ड से। अच्छा हुआ जमींदारी गयी, उसके साथ उनके अख्तियार गये यह भी अच्छा हुआ, लेकिन क्या मैं यह नहीं पूछ सकता कि शिक्षा बोर्ड अब इतना खराब हो चुका है कि उसके सुधारने की आवश्यकता है ? आप सुधारने के लिये कदम नहीं उठायेंगे। क्यों नहीं उठायेंगे यह तो आप जानें। बड़ी उदारता के साथ एक दिन कहा गया था कि विरोधियों का सब जगह सम्मान किया जा रहा है। शिक्षा बोर्ड में इस सदन के ही दो सदस्य जाया करते हैं। और अब तक परम्परा बनी हुई है कि वे सरकार के आदमी होते हैं। अभी तक परम्परा थी कि सरकार एक भी अध्यापक उसमें नहीं भेजती थी। इस साल उसकी मेहरबानी हुई है कि उसने एक अध्यापक भेजा है और दूसरा मैनेजर भेजा है, बराबर बैलेन्स कायम किया है। क्या यह उचित नहीं है कि अध्यापकों का अधिक प्रनिधित्व शिक्षा बोर्ड में दिया जाता ?

आपने कुछ सुधारों की बात की है। एक संयुक्त प्रवर समिति की बात कही गयी है। मैं सरकार के सामने एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं और वह यह कि उनके तरफ बहुत से अध्यापक चुन कर आये है। क्या सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार है कि संयुक्त प्रवर समिति में सिर्फ अध्यापक रख दिये जायं और हम अध्यापक चुप रहेंगे और उन्हीं की तरफ के अध्यापक जो सिफारिश कर दें उनको अगर सरकार मान ले तो हमें संतोष हो जायगा। लेकिन मैं जानता हूं कि वह इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं। उनकी तरफ बैठे हुए

[श्री देवी प्रसाद मिश्र]

अध्यापक चाहे उनके कितने ही प्रशंसक क्यों न हो लेकिन उनकी सिफारिश मानने के लिये वे बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अगर तैयार हैं तो हमारी समझ से हमारा मसला बहुत कुछ तय हो जायगा ।

अब मैं अधिक न कह कर शिक्षा मंत्री जी से एक ही प्रार्थना करूंगा। शिक्षा का क्षेत्र बहुत पवित्र है। उसमें अध्यापकों की मान मर्यादा का भी प्रश्न होता है। अगर आप उसे तनख्वाह नहीं दे सकते, उसकी सिक्योरिटी का प्रबन्ध नहीं कर सकत तो कम स कम उसकी मान मर्यादा की रक्षा तो आप कर ही दीजिये, इसमें तो आपका कुछ खर्च नहीं होता। वह कैसे हो सकता है ? अगर आप यह समझते हैं कि मालिक बदलने से हो जाता है या मैनेजर के स्थान पर इंस्पेक्टर के क्लर्क को रख देने से हमारे मान मर्यादा की रक्षा हो जायगी तो मैं यही कहूंगा कि यह आपका भ्रम है। हमको अधिकार दीजिये। आपने कई बातों का सुझाव दिया है। क्या यह सुझाव सम्भव नहीं है कि जिले में अध्यापकों के जितने प्रश्न हों वे एक ऐसी समिति के सुपुर्द किये जायं जिसमें अध्यापकों का बाहुल्य हो ? क्या यह सम्भव नहीं है कि जो स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन आप बनाने जा रहे हैं उसमें अध्यापक अधिक संख्या मे रख दिये जायं। उसमें एक अध्यापक रख कर आप क्या करेंगे ? मेरी समझ से अगर अध्यापकों की संख्या आप सब जगह पर बढ़ाते हैं तो हमें तनख्वाह भी कुछ दिनों कम मिले, हमारी अगर सुरक्षा भी कम हो तो कम से कम इसका घमंड तो हमें रहेगा कि हम शिक्षा का संचालन कर रहे हैं और संचालन के नाते अगर कुछ दुःख भी सहना पड़े तो सह लेंगे ।

*श्री अवधबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे इस इंटरमीडियेट शिक्षा विधेयक पर बोलने की आज्ञा प्रदान की है। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन में शिक्षा विधेयक के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मुझे इस वास्ते और भी इस विषय पर बोलने की खुशी हुई कि मैं विद्यार्थी भी रहा, अध्यापक भी रहा और इस समय आजमगढ़ जिले की तीन, चार शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्धक भी हूं। आवश्यकता इस बात की है कि बजाय इसके कि सुझाव की बातें की जायं, होना यह चाहिये कि इसको कार्य-रूप में किस तरह से लाया जाय। देवी-प्रसाद जी एक कुशल अध्यापक हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जितनी बातें कहीं हैं उनमें कुछ बातें एकतरफा भी हैं। वह अध्यापक ही नहीं अपने यहां के प्रबन्धक भी एक तरह से हैं। अंग्रेजी जमाने से लेकर आज तक के २० वर्ष का जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं दो चार बातें निवेदन कर रहा हूं ।

मान्यवर, वास्तविकता यह है कि शिक्षा की जो प्रगित देश में हुई है वह बहुत ही अतुलनीय है। आजमगढ़ का मेरा अपना अनुभव है, १९४६ स पूर्व वहां केवल ४ हाई स्कूल थे और इस समय ४५ हायर सेकन्डरी स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा की प्रगति बहुत हुई, अध्यापक भी बढ़ और यह कानून जो है वह वैसा ही बना हुआ है। अगर देवी प्रसाद जी की बात ही मान ली जाय कि इस विधयक से हानि ही होगी, तब भी उसमें बड़ा दोष आ जायगा उनके कहने के मुताबिक। सचमुच इस समय आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक अपने चरित्र बल को उठायें। अध्यापकों का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अध्यापकों ने महात्मा गांधी, बुद्ध, रामकृष्ण ऐसे बड़े-बड़े महापुरुषों को अपने अध्यापन से आगे बढ़ाया है। आजकल के जो अध्यापक है, हम लोग उसको उपमा में उसको देखते हैं। जब तक उनको उस उपमा में उनको नहीं देखा जायगा, शिक्षा चाहे जितनी भी बढ़ जाय, हम अपनी प्रगति को अच्छा नहीं समझ सकते। तो अध्यापक मिल मजदूरों की तरह से अपने वेतन के बारे में आन्दोलन करें और तरह-तरह के फसाद पैदा करें, इससे देश की कोई शोभा बढ़ती नहीं। अध्यापक में वह शक्ति है कि जिससे वह हमारे अज्ञानान्धकार को दूर कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकता है, देश की कठिनाइयों को हल कर सकता है, भूले भटकों को सन्मार्ग पर ला सकता है। इतना बड़ा गुण अध्यापकों में होता है। मुझे दुःख है कि आज के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से पैर छुवाने को भी क्षमता नहीं रखते। जिन विद्यार्थियों को वह १० से ४ तक पढ़ाते हैं वह भी उनके पैर नहीं छू रहे हैं। तो इन अध्यापकों और उनके संगठनों को सोचना चाहिये कि आखिर बात क्या है। जब हम इतना भी नहीं कर सकते तो--

"परोपदेशबेलायां शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै।
विस्मरन्तोह शिष्टत्वं, स्वकार्ये समुपस्थिते।।"

केवल उपदेश से, केवल सिद्धांत की बात करने से अब काम नहीं होगा। काम तो अध्यापकों को सोचना होगा। बजाय इसके कि प्रबंधक समिति न रहे, सरकार कुल खर्चा दे दे या उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जायं, उनको यह सोचना चाहिये कि उनकी वह जिम्मेदारी रही है कि त्रैलोक्य के राजा हमारे पैरों पर आकर गिरते थे और हमसे शिक्षा ग्रहण करते थे। अगर इस रिसर्च में वह जायं तो उनकी बड़ी कदर हो, बजाय इसके कि अपनी तनख्वाहों के बारे में इस तरह से बातचीत चलाई जाय।

जहां तक तनख्वाह देने का सम्बन्ध है सन् १९४६ में सी० टी० की तनख्वाहें ४५ रुपये थीं और एल० टी० को ७५ रुपये मिलते थे। उसके बाद महंगाई बढ़ी तो एल० टी० को १२० रुपये और जो एम० ए० कर लेते थे उनको १५० रुपये से शुरुआत मिली। सरकार ने एक पे कमीशन बैठाया था और उसके अनुसार यह वेतन बढ़ा दिया गया। तो जब तक हमारे मन की भावना प्रबल न हो जाय उस समय तक अध्यापकों का वेतन अगर आई० सी० एस० का वेतन भी हो जाय, तो भी आगे चल कर हमारी यही भावना होगी कि हमको कम मिलता है, और बढ़ाया जाय। सरकार देने को तैयार है, उसके पास साधन हों, रुपया हो तो दे देगी, लेकिन जहां तक इस शिक्षा विधेयक का सम्बन्ध है, जो इस समय लाया गया है, इसमें आवश्यकता इस बात की थी कि प्रबन्धक समितियों में और अध्यापकों में एक सामन्जस्य स्थापित हो। यह सरकार के बूते की बात नहीं है कि वह प्रबन्धक समितियों से स्कूलों को ले सके। यह ऐसी बात नहीं है, जैसा कि देवीप्रसाद जी ने कहा कि प्रबन्धक समितियों का जो खर्चा होता है, वह सरकार ले ले। सरकार का लेना अच्छा है लेकिन जो प्रबन्धक समितियां हैं वह स्कूलों को नहीं देंगे और वह इस कारण कि अलग-अलग जो स्कूल होते हैं उनका कुछ सिद्धान्त हुआ करता है। उन सिद्धान्तों के अनुसार ही वह स्कूल खोले गये हैं। सरकार के स्कूल तो खड़े हुये हैं जो कि चल रहे हैं। यदि सरकार उनसे उन स्कूलों को मांगे तो वह नहीं देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने मजबूरी है और वह प्रबन्धक समितियों से उनके स्कूलों को नहीं ले सकती।

अभी तक अध्यापकों के सामने कठिनाई थी। सचमुच आजकल जो उनका वेतन है वह बहुत न्यूनतम है। उसको बढ़ाना कुछ आवश्यक है। इसलिये इस बात की जरूरत थी कि एक विधेयक लाया जाय और थोड़ा बहुत जितना भी सरकार कर सके उनको थोड़ी सी शान्ति प्रदान करे। जहां तक मैं समझता हूं इसका यही उद्देश्य है।

जहां तक अध्यापकों की नौकरी का सम्बन्ध है वह अब भी सुरक्षित हैं। उनका एग्रीमेंट फार्म भरा जाता है और दूसरी बातें की जाती हैं। ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई मैनेजमेंट उनको आज रखे और कल निकाल दे। वह बराबर के लिये रखे जाते हैं और उनका फंड कटता है। इसके बाद वह रिटायर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वह बराबर निकाले जांय। जो अवान्छित व्यक्ति होंगे चाहे उनकी कैसी सिक्योरिटी हो और शिक्षा मंत्री जी कोई भी उस पर कानून बना दें लेकिन वह किसी दिन भी निकाले जा सकते हैं क्योंकि उनका काम ठीक नहीं है तो वह अलग किये जा सकते हैं।

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

इसके बाद मैं यह भी बताऊं कि प्रबन्धक समितियां बहुत सी चुपचाप पड़ी हुई हैं। प्रबन्धक समितियां इन लोगों को बुलाकर कुछ नहीं कह पाती हैं। अध्यापकों के शोर मचाने से मंत्रिमंडल भी डरता है। वह उनके बारे में कुछ करने का प्रयत्न कर रहा है। मुझे ऐसा पता है कि जिलों में जो एग्रीकल्चर विषय को पढ़ाने के लिये इन्टरमिडिएट स्कूल्स हैं उनमें बहुत से अध्यापक नहीं रह गये हैं। कुछ तो अगस्त में छोड़ कर चले गये हैं, कुछ दिसम्बर में चले गये और कुछ जनवरी में चले जांयेगे। वह सब मुस्तकिल अध्यापक हैं। पढ़ाई का कोई इन्तजाम वहां पर नहीं है इसलिये कि अध्यापक चले गये। ऐसा कोई इन्तजाम होना चाहिये और अध्यापकों के लिये कोई प्रबन्ध होना चाहिये कि जहां पर उनको रखा जाय वह रह सकें। शिक्षक मंडल पर भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिये। उसी कठिनाई को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है कि उनकी मांग को पूरा किया जाय लेकिन उनकी मांग जिस तरह से बढ़ रही है उसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि इतना करने पर भी उनकी मांग पूरी हो जायगी। हो सकता है शिक्षकों के लिये कोई और विधेयक लाना पड़े कि जिससे उनको सन्तोष हो जाय। ऐसी दशा में मेरा निवेदन यह है कि इन्सपेक्टर तो वहां की देख-भाल करता ही है लेकिन उससे काम नहीं चलता है। अच्छा तो यह होगा कि जिलों में शिक्षक मंडल स्थापित किया जाय जिसके जिम्में शिक्षा का सारा प्रबन्ध हो। इन्सपेक्टर उसका सेक्रेटरी हो। वह जो सिफारिश वहां से भेजे वही मानी जाय।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं अध्यापकों की समझता हूं। उसमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। वह तो ऊपर के काम करता है जैसे बिल्डिंग और वेतन आदि का देना। आजकल जो ३० फीसदी नतीजा हो गया है उसकी जिम्मेदारी अध्यापकों की है। जहां सरकार पर उनके वेतन देने और सर्विस को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है वहां उनकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है कि वह गिरते हुये नतीजे को रोकें। अगर वे भीतरी प्रबन्ध नहीं करेंगे तो वे असफल हैं। मेरा अनुभव है कि प्रायः अध्यापक भी पढ़ने लिखने के काम में लगे रहते हैं। चार संस्थाओं के अनुभव से कहता हूं कि उनका जो कर्तव्य है, विद्यार्थियों को उठाना, उससे वे दूर होते चले जा रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से थोड़ी सी समानता आ जायगी, अध्यापकों और प्रबन्धकों में।

श्रीमन्, देवीप्रसाद जी ने कहा कि ५० प्रतिशत तो सरकार की ओर से मिलना ही चाहिये। मिलता है। फीस का जो खर्चा होता है, तथा ग्रान्ट-इन-एड की और फीस की जो आमदनी होती है उसको जोड़ लिया जाता है, इसमें जो अन्तर होता है, उतना रुपया सरकार की ओर से दे दिया जाता है। अब रही यह बात कि मैनेजमेंट की ओर से जो अनक्वालीफाइड टीचर्स रख लिये जाते हैं या ऐसा खर्चा होता है जो संभावित नहीं होता, उतना खर्चा काट दिया जाता है, वर्ना हर खर्चा आधा दे दिया जाता है, इससे अधिक क्या हो सकता है? यद्यपि मैं इसमें विश्वास करता हूं कि प्रबन्धक इन संस्थाओं को सरकार को देने के लिये बाध्य नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा प्रबन्धक हूं, अगर सरकार लेना चाहे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो अपनी तमाम संस्थाओं को सरकार को दे देगा। लेकिन यह सरकार के बस की बात नहीं है कि वह ले सके।

इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये मेरा एक सुझाव है। आजकल रिकगनीशन मुफ्त बंट रहा है। इंटरमीडियेट बोर्ड के प्रति मेरी यह शिकायत है और बहुत दिनों से है। बोर्ड में जो भी पहुंच जाता है और किसी मेम्बर के पास अगर किसी की पहुंच हो जाती है तो वह अपना रिकगनीशन करा लेता है। आज आजमगढ़ में दर्जनों स्कूल खुले हुए हैं और सरकार को कुछ न कुछ हर स्कूल को देना पड़ता है। जो पुराने और बड़े स्कूल हैं उनमें लड़कों की कमी हो रही है और इस प्रकार से उनकी आमदनी कम होती जाती है

अब कि दूसरे स्कूलों में न बिल्डिंग है, न क्वालिफाईड स्टाफ है और न सामान ही है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इससे अधिक अंग्रेजी और भाषा के स्कूल न खोले जायं। इससे यह होगा कि पुराने स्कूलों में बच्चे बड़ी संख्या में आयेंगे, उनकी आमदनी भी बढ़ जायगी तथा सरकार को भी सहायता देने में सुविधा होगी। इसके लिये शिक्षा बोर्ड हर जिले में बना दिया जाय, जो अपने जिले के बारे में सरकार को लिखे और नये स्कूलों के रिकगनीशन के बारे में लिखे। मैं चाहता हूं कि अध्यापकों का वेतन बढ़े लेकिन साथ ही साथ अध्यापकों के लिये कोई नियम बनाना होगा जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार से वहन कर सकें। आज उनको कितना ही रुपया दे दीजिये लेकिन अनुशासनहीनता बढ़ती ही जा रही है।

श्री अध्यक्ष—अब आप दुहरा रहे हैं।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—अब श्रीमन्, मैं लौट आता हूं। इसमें शिक्षा मंत्री जी एक चीज छोड़ गये हैं। संस्कृत के अध्यापकों के वेतन का संरक्षण इसमें नहीं किया गया है। संस्कृत के अध्यापकों की सरकार कोई मदद नहीं करती है। उनको भी अनेक दिक्कतें है। पूर्ण क्वालीफाइड होने पर भी उनको ठीक वेतन नहीं मिलता है। लोगों में संस्कृत के प्रति अभिरुचि भी बहुत कम है। मेरा विचार है कि अगर संस्कृत को प्रमुख विषय बना दिया जाय और शिक्षा अमरकोष के जरिये से कर दी जाय तो विद्यार्थियों में चरित्रबल बढ़ सकता है। मैं यह जानता हूं कि संस्कृत अनिवार्य है लेकिन उसके अनिवार्य होते हुए भी उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि वहां पर उठने बैठने की जो परिपाटी है उसमें भी आमूल परिवर्तन होना चाहिये। हम लोग जब संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ते थे, जब मैं क्वीन्स कालेज बनारस में पढ़ता था तो उस वक्त अगर गुरु बैठा हुआ हो तो कहीं भी हम बैठ नहीं सकते थे। उनके सामने खड़े ही रहते थे, उनके सामने कोई आसन नहीं ग्रहण कर सकते थे। आज गुरुओं को यह कहना है कि—

श्री अध्यक्ष—यह विषय नहीं है, जरा विषयान्तर हो रहा है।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—तो उनसे मेरा यह निवेदन है कि अध्यापक अगर प्रबन्धक समितियों से अपना प्रेम स्थापित करके अपना कार्य सम्पादन करें तो जितना उत्तम वह होगा, उतना उत्तम यह नहीं होगा कि सरकारी हस्तक्षेप से उनकी मांगें पूरी करायी जायं और उनको लाभ पहुंचे। सरकार भी इस बात को समझती है कि प्रबन्धकों ने जितना त्याग किया है, देश विदेश में भ्रमण किया है और उन्होंने बहुत सी संस्थायें खोली हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि शिक्षा का प्रसार हो, जब कि अंग्रेजी जमाने में स्कूल नहीं थे, सरकार उधर ध्यान नहीं देती थी तो प्रबन्धक लोगों ने किसी न किसी रूप में बाहर जाकर इधर-उधर से धन एकत्र किया और संस्था को चलाया। मैं स्वयं बर्मा, लंका, इंडोनेशिया, जकार्ता, सिंगापुर आदि बड़े-बड़े देशों में गया और वहां से बहुत सा धन एकत्रित किया, तब कुछ संस्थायें रूप में आयीं। इस तरह से अध्यापकवर्ग को काफी रुपया सरकार से भी मिला। तो इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि अध्यापक अपनी शिष्टता से, अपने ज्ञान से और अपनी योग्यता से प्रबन्धक समितियों को इतना प्रोत्साहन दें कि प्रबन्धक लोगों को यह शिकायत करने का मौका न हो कि जिन लोगों के लिये हमने ये संस्थाएं खोली हैं, इतनी बड़ी-बड़ी संस्थायें खोली हैं, उनका हमारे प्रति अविश्वास है। क्योंकि प्रबन्धकों ने जब एक संस्था खोली है तो ऐसी दशा में प्रबन्ध समितियों में अध्यापकों का एक अधिकार हो जाय, इसके लिये कोई कानून बनाया जाय, तो वह ठीक नहीं होगा, ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह झगड़े का ही कारण बनेगा। ऐसी दशा में अध्यापक वर्ग की तनख्वाह जितनी भी बढ़ायी जाय, मैं उसके पक्ष में हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि अध्यापकों का प्रबन्ध समितियों पर अपना नियन्त्रण रखना सरकार द्वारा या अपने संघ के द्वारा, यह उनके लिये बिलकुल हानिकारक होगा।

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

इन शब्दों के साथ मैं इस शिक्षा विधेयक का इसलिये समर्थन करता हूं कि मैं स्वयं भी प्रबन्धक समिति से सम्बन्धित होने के नाते यह समझता हूं कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रबन्धकों ने भी देश की काफी सेवा की है। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी से है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रबन्धकों के लिये भी सुरक्षा दी और उनकी सेवाओं का ध्यान रखा। इसके पहले जितने भी शिक्षा मंत्री हुए हैं, किसी ने भी इधर नहीं ध्यान दिया था। केवल यही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने प्रबन्धकों का खयाल किया और इस बात को माना कि प्रबन्धकों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश के लिए अच्छा काम किया है। मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस विधेयक के द्वारा जो प्रबन्धकों और अध्यापकों के बीच में थोड़ी सी खाई पड़ी हुई है उसे दूर करने में समर्थ होंगे। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करता हूं कि सदन द्वारा इस शिक्षा विधेयक को पास कर दिया जाय।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय स्पीकर साहब, मैं उस बिल का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसे पिछले दिन माननीय शिक्षा मंत्री ने इस सदन के सामने पेश किया था। मेरा ऐसा खयाल है कि हाउस के माननीय सदस्य ख्वाह इधर के बैठने वाले हों या उस तरफ के बैठने वाले हों, कोई भी उस भावना से इन्कार नहीं कर सकता कि जिसके मातहत यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है। इसके मुताल्लिक भी कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि जो हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड हमारे इस सूबे में तकरीबन ३५ साल से काम कर रहा है उससे वह आशाएं पूरी नहीं हो सकीं जिनके मातहत वह कायम किया गया था। यह ठीक भी है कि जब वह बोर्ड कायम किया गया था उस वक्त इस प्रदेश के दूसरे हालात थे और उन्हीं के मातहत एक ऐसी सरकार ने उसे कायम किया था जो हमारी तालीम के मामले में वह नुक्तेनिगाह नहीं रख सकती थी जो इस सरकार की है या जो आज की हमारी जरूरत है। लेकिन जो कुछ भी उस बोर्ड ने किया वह मामला ऐसा भी नहीं है कि जिसके ऊपर इस वक्त बहस का मौका हो। यह बात भी सही है कि बोर्ड में खामियां रहीं और उसके जमाने में स्कूलों की ऐसी हालत हुई कि जिससे सरकार के सामने और दुश्वारियां और दिक्कतें पैदा हो गईं।

इस वक्त इस बिल के लाने का हमारा मकसद यह है कि जो सहूलियतें फोरी तौर पर हो सकती हैं या जो सुधार हो सकते हैं वह किये जायं। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा था कि इस बिल के जरिये से तालीम के मामले में या इन्टरमीडियेट एजूकेशन के सिलसिले में वह तमाम बातें तो नहीं लाई जा सकतीं कि जो हम चाहते हैं। यह एक तारीख है कि इस सरकार ने जब से इस सूबे में अपना काम शुरू किया है तालीम की तरफ खास तवज्जह दी है, शिक्षा के सम्बन्ध में कई कमेटियां बैठीं, आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी बैठी, बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट आई, बहुत से काम हुये और इस सिलसिले में यह कहना सही न होगा कि हम तालीम के मामले में आगे नहीं बढ़े। हम जरूर आगे बढ़े हैं लेकिन यह भी सही है कि अभी हम वह तरक्की नहीं कर सके हैं जिसकी हमें आशा थी और जिसकी जरूरत है। अगर हम अपने बजट के पन्नों को देखें तो हमें मालूम होगा कि तालीम पर जो रुपया सन् १९५७–५८ के बजट में सर्फ हो रहा है वह बराबर हर साल बढ़ता गया है। एक जमाना हमें वह भी याद है कि इस सूबे में पुलिस के महकमे की सबसे बड़ी बजट की रकम होती थी और एजूकेशन डिपार्टमेंट की ग्रान्ट बहुत कम होती थी। उस वक्त बार-बार गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाई जाती थी लेकिन एजूकेशन से पुलिस का खर्च ज्यादा होता था। लेकिन इधर कई साल से एजूकेशन का सर्फा पुलिस से कहीं ज्यादा है और बराबर बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी वह उन तमाम एडेड इन्स्टीट्यूशन्स और प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के लिये काफी नहीं है जिनकी तादाद १,५०० के करीब है। अगर उनको सही तौर पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलाया जाय और उनका मैनेजमेंट सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें तो जितने रुपये की जरूरत होगी वह हमारा बजट पूरा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि इस सिलसिले में रुपये का सवाल हमारे सामने आयेगा लेकिन पेश्तर इसके कि इस मसले पर बुनियादी तौर पर या किसी और तरीके पर गौर किया जाय बेहतर यह होगा कि पहले हम इस चीज पर गौर करें कि हमारी आशाओं और मांगों को पूरा करने के लिये जितने रुपये की जरूरत होगी वह रकम कितनी होगी और वह रुपया कहां से मिल सकेगा। हम यह कहें कि कुछ दूसरे खर्च कम किये जा सकते हैं और उनको कम करने के बाद एजूकेशन के लिये रुपया लाया जा सकता है तो वह कितना रुपया होगा ? आज प्लानिंग का जमाना है, उस पर हम रुपया खर्च कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर यह सदन चाहे भी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की मर्जी के खिलाफ प्लानिंग का रुपया किसी दूसरी जगह खर्च नहीं कर सकते। हालांकि प्लानिंग में भी एजूकेशन के सिलसिले में काफी खर्चा दिया जाता है लेकिन फिर भी हमको इस बात को खयाल करना है कि हमारे ध्यान में यह बात रहेगी कि अगर हमें एजूकेशन को तरक्की देना है तो हमें सबसे पहले फंड की जरूरत होगी। क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि वाकई हमें एजूकेशन को और खासतौर पर इंटरमीडिएट एजूकेशन को उस हालत में लाना है जैसी कि दूसरे मुल्कों में चल रही है, इसके लिये रुपये का क्या इंतजाम हो ? मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि हम लोग इस बात पर गौर करें कि हमको रुपया लाने के लिये चाहे एजूकेशन सेस ही क्यों न लगाना पड़े फिर भी हम एजूकेशन के काम को जोर से चलायेंगे। इस बात पर हमें गौर करना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हममें से कितने इस बात के लिये राजी होंगे कि अगर एजूकेशन सेस लगाया जाय और उससे तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाय तो हम लोग इसके लिये तैयार होंगे। मैं जानता हूं कि टैक्स का लगाना बहुत ही दुश्वार होता है, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा तकलीफदेह होता है, लेकिन जब किसी शख्स का हाथ पक जाता है, और उसको अच्छा करने में दवाएं नाकामयाब होती है तो नश्तर लगाने की जरूरत पड़ती है, उसको काटना पड़ता है।

सवाल यह है कि आया हम इस बात के लिये तैयार हो सकते हैं कि एजूकेशन सेस लगाया जाय ? एजूकेशन सेस दूसरे टैक्सों की तरह नहीं है। बल्कि जाहिर है कि हम उसके लिये सेस लगाने की जरूरत महसूस करेंगे क्योंकि जिन्दगी के किसी शोबे में हम किसी तरीके की तरक्की का ख्वाब भी नहीं देख सकते जब तक कि तालीम के मसले को न हल कर लें और इस बात का फैसला न कर लें कि हमारी तालीम क्या है, उसका ढांचा क्या है, उसको चलाने के लिये कैसे और कितना रुपया लाना है।

इसके बाद जब हम आगे बढ़ें तो इस सवाल के मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें और खासतौर पर हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तरक्की हो। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए इस बात की कोशिश की है इस छोटे से बिल के जरिये कि इसकी तरक्की हो सके। उन्होंने जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन इस बिल के जरिये पेश की है और जो आथोराइज्ड कंट्रोलर का जिक्र किया गया है वह इसीलिये किया गया है कि जो आज हालत है, उसको सुधारा जाय। यह खासतौर पर हमारे टीचर्स का मसला है। एक दोस्त जो अभी तकरीर कर रहे थे उन्होंने टीचर्स की दशा के मुताल्लिक बहुत शिकायत की। मैं उनके एक-एक लफ्ज से मुत्तफिक हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह मुनासिब न होगा कि शिकायत सरकार से करें। हम कांस्टीट्यूशन को देखें, उसमें टीचर्स को एक मुअज्जिज जगह दी गयी है। कांस्टीट्यूशन ने हमारी राज्य सभा में और विधान परिषद् में टीचर्स की कांस्टीटुएंसी को अलहदा कर दिया है। उनका रिप्रेजेंटेशन अलहदा कर दिया है। उन्हें इस बात का मौका दिया है कि वह लेजिस्लेचर के अन्दर आयें और तालीमी मसायल को हल करने में उन लोगों को जिनके हाथ में अख्तियार है, मदद दें। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा यह जाती खयाल है कि मैं इस बात को पसन्द नहीं करूंगा कि हमारे तमाम टीचर्स सबके सब लेजिस्लेचर में आ जायं और लेजिस्लेचर में रह कर काम करें।

[श्री सुल्तान आलम खां]

इसलिये कि अगर यही सवाल पैदा हो जाय फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन का, तो फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन इतना बढ़ जायगा कि हमारे यहां जितने इंटरेस्ट काम करते हैं हम उन सब को कामयाबी के साथ नहीं चला सकेंगे । अगर यही सवाल हो जाय, सब लोग, जितने लोग मैनेजमेंट कमेटी में लिये जाते हैं, सब के सब या बेश्तर हिस्सा टीचर्स का लिया जाय तो इस बुनियाद पर अगर फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन का तरीका हम मान लें तो यह भी हो सकता है कि लेजिस्लेचर के मेम्बर वही होने चाहिये जो कानूनदां हों, कम से कम बी० ए० एल०-एल० बी० हों .....

श्री अध्यक्ष—आप (श्री सुल्तानआलम खां से) लंच के बाद बोलें ।

स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा भुवाली सेनेटोरियम की परामर्श-दात्री समिति के निर्वाचन में नामजद सदस्यों द्वारा नाम वापस लेने की तिथि में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे एक सूचना देनी है । स्टेट हेल्थ बोर्ड और भुवाली सेनेटोरियम की जो नामजदगी हो चुकी है सदस्यों की उसकी वापसी की तारीख आज तीन बजे तक थी और यह इरादा था कि फिर सदन शीघ्र बैठता तो उसमें चुनाव हो जाता । लेकिन अब तो यह मालूम हो गया कि आज के बाद जनवरी में सदन नहीं बैठने वाला है तो इसलिये मैं इसके नाम वापसी की जो तिथि है उसको जब सदन फिर बैठेगा उसके ७ रोज के अन्दर कोई तिथि मुकर्रर कर दूंगा और उस दिन तीन बजे तक वापसी होगी । लेकिन तिथि अभी नहीं बता सकता क्योंकि मालूम नहीं सदन कब बैठेगा । तो जब सदन बैठेगा उसके ७ रोज के अन्दर तय करूंगा । जो आज नाम वापसी का आखिरी दिन था उसको मैं बढ़ाये देता हूं और सदन बैठने के ७ रोज के अन्दर कोई तिथि नियत करूंगा ।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री सुल्तानआलम खां—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, अभी एक घंटा पहले मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैनेजमेंट कमेटीज में फंक्शनल रेप्रेजेंटेशन के नाम पर कोई रेप्रेजेंटेशन मांगना सही नहीं होगा। लेकिन इससे इनकार नहीं कि जो हमारे टीचर इस वक्त एडेड स्कूल्स में काम कर रहे हैं उनकी दशा बहुत खराब है । उनको बहुत तकलीफ है। उनको तनख्वाह उतनी भी नहीं मिलती जितनी कि रजिस्टर पर लिखी होती है। उनको कोई प्राविडेंट फंड का, इंश्योरेंस का किसी किस्म का बेनिफिट नहीं मिलता। तनख्वाह भी बहुत इर्रेगुलरिली पे होती है और मैं समझता हूं कि अगर इसकी जांच की जाय तो सूबे में जितने भी इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट चल रहे हैं उनमें कम तो ऐसे होंगे, जहां का इन्तजाम अच्छा होगा, हैं जरूर, लेकिन कम हैं और ज्यादा इस किस्म के होंगे जहां इस किस्म की इर्रेगुलरिटी की बहुत ज्यादा शिकायतें हैं ।

इसका एक असर यह पड़ता है कि हमारे तालिबइल्म जैसा कि हम उनको बनाना चाहते हैं वह बन नहीं पाते । एक इंस्टीट्यूशन का सिर्फ यही काम नहीं है कि वह अपने यहां पास होने वालों की परसेंटेज ऊंची दिखाये बल्कि उसका उससे ज्यादा यह भी फर्ज है कि वह लड़कों के कैरेक्टर और डिसिप्लिन की तरफ खासतौर पर तवज्जह दे और उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करे। अफसोस से यह कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि डिसिप्लिन और कैरेक्टर कुछ अच्छा होता आज शायद वह पिछले जमाने से भी नीचे गिर गया है और इसके असबाब अगर

ढूंढे जायं, इसकी गहराई में जाया जाय तो यही मालूम होगा कि हमारे यहां मशरूम ग्रोथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज्यादा हो गई है जिनके पास कि फंड्स नहीं हैं और जो सही तौर पर इंतजाम नहीं कर सकते। इसी की वजह से टीचर भी परेशान हैं, तालिब-इल्मों में भी डिसिप्लिन बाकी नहीं रहा और उनका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। इसका इलाज हमें कुछ करना है।

सेकंड्री एजुकेशन जो तालीमी मामले में सबसे ज्यादा मैं कहूंगा इम्पार्टेंट स्टेज है क्योंकि वहीं से आगे बढ़कर आला तालीम में, यूनिवर्सिटी की तालीम में तालिबइल्म दाखिल होता है। तो इसकी तरफ तवज्जह करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि जो बिल हमारे सामने है उससे हमारी तमाम दिक्कतों का उतना इलाज नहीं हो सकता जितना कि जरूरी है। लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि यह सुधार की तरफ एक पहला और अच्छा कदम है। मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था सुधार उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जबतक कि हम तालीमी इदारों को चलाने के लिये रुपये का बन्दोबस्त न करें और वह सिर्फ उसी सूरत से हो सकता है जब हमारे पास काफी रुपया हो। बजट की आज की हालत को देखते हुये, प्लानिंग व दूसरे अखराजात को देखते हुये हम इतने रुपये का प्राविजन नहीं कर सकते जिससे हम १४००, १५०० स्कूल और इंटरमीडियेट कालेजेज जो हमारे चल रहे हैं उनके मैनेजमेंट को एक अच्छे ढंग से चला सकें। उसके लिये हम कोई रुपया हासिल करने की सूरत करें और वह यही हो सकती है कि एजूकेशन टैक्स लिया जाय।

टैक्स का नाम बुरा होता है, बाज लोग कोई भी टैक्स आये उससे इनकार करते हैं। हमारे बाज दोस्तों ने कहा कि यह गलत है। तो टैक्स भी न दिया जाय, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलें, सारी एमेनिटीज भी दी जायं तो अलादीन का चिराग तो है नहीं जिसके जरिये से ये तमाम चीजें चल सकें। हमको एक फैसला करना होगा कि इन तमाम चीजों को मुहइया करने के लिये हम रुपये का बन्दोबस्त करें और अगर रुपये का बन्दोबस्त करना हमारे इमकान से बाहर है और यह समझा गया कि टैक्स की बात हमारे मुंह से निकली नहीं कि सब लोग नाराज हो जायेंगे तो बेहतर है कि जिस हालत में आज हम हैं वहीं कायम रहें और किसी बात की मांग न करें।

एजूकेशन ऐसे सेकेंड काम से ज्यादा और क्या जरूरी चीज हो सकती है ? मैं यह समझता हूं कि अगर हम सब लोग मिल कर, सर तोड़ कर कोशिश करें और जनता को समझायें और इसको एक्सप्लायटेशन का तरीका न बनायें तो कोई वजह नहीं है कि लोग रुपया देने को तैयार न हों। इससे हम तालीम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और टीचर्स और स्टूडेन्ट्स दोनों को फलने फूलने का मौका मिल सकता है।

बाज स्कूल व कालेजेज हमारे तालीमी गरज से न चल कर बिल्कुल कामर्शियल बेसिस पर चलते हैं। बहुत से स्कूल इलइक्विप्ड हैं, वहां न इमारत है, न फर्नीचर है, न ट्रेंड टीचर्स हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। तो माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो यह समझता हूं कि हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर जोर दें और स्कूलों की तादाद बढ़ाने का हमारा कोई भी प्रोग्राम हो उसको कुछ दिनों के लिये बन्द कर दें और यह ज्यादा अच्छा होगा अगर हम पूरे रिसोर्सेज इस बात पर खर्च करें कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वे वेल इक्विप्ड हों, ट्रेंड टीचर्स हों, टीचर्स की सेक्योरिटी आफ सर्विस हो, उनमें डिसिप्लिन पैदा हो और जो तालिबइल्म पढ़ कर निकलें उनका कैरेक्टर अच्छा हो और यह तब मुमकिन हो सकता है जब हम किसी न किसी हद तक अपने स्कूलों के अन्दर कंट्रोल रक्खें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज डेमोक्रेसी का जमाना है। हर शख्स हर बात कहने की, हर काम के लिये कदम उठाने की आजादी रखता है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन जिस स्टेज पर हम पहुंचे हैं, जो हालात हमारे सामने हैं, उन तमाम को देखते हुये हम यह समझते हैं कि इस बात की जरूरत है कि हम एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस

[श्री सुल्तानआलम खां]

के अन्दर किसी न किसी तरह से कंट्रोल को खुद ही मंजूर कर लें, क्योंकि तालीम का मामला ऐसा है कि आजादी हासिल करने के बाद इस डेमोक्रेसी के जमाने में अगर हमने सही किस्म की तालीम न दी अपने सूबे व मुल्क के अन्दर तो इसके नतायज खराब हो सकते हैं। इसलिये यह बिल यहां कम से कम कंट्रोल लाने के खातिर हमारे सामने पेश किया गया है।

आचार्य नरेंद्रदेव की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें भी उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था, अगर्चे उन्होंने यह कहा था कि जो आज इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिये लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस मिस्मैनेज्ड हैं उनके ऊपर टेम्पोरेरिली, कुछ अर्से के लिये, कंट्रोल जरूर होना चाहिये। तो जब यह सूरत है, यह कमेटी की रिपोर्ट भी है और उससे ज्यादा आजकल के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि इंसान की अक्ल भी उसके साथ नहीं चल सकती, मैं समझता हूं कि आचार्य नरेंद्रदेव कमेटी ने जिसने बड़ी मेहनत की थी और बड़ी काबलियत की रिपोर्ट पेश की थी उससे लेकर अब तक काफी फर्क हो गया और गोमती के पुल के नीचे बहुत सा पानी बह गया है और जमाने के साथ हमारी जरूरतों में भी इजाफा हो गया है। हर दिन और हर घंटा हमको इतना आगे ले जाता है कि सब वादे और मसले पिछड़े रहते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन पेश की गयी है इस बिल के अन्दर और आथराइज्ड कंट्रोलर की जो बात कही गयी, वह ऐसी चीजें हैं जिससे जो हमारे स्कूलों की हालत है, मैं समझता हूं उसमें काफी बेहतरी हो सकती है। मैं यह जानता हूं कि यह बिल जो सरकार ने पेश किया है, वह खुद भी यह समझती है कि इसके जरिये से वह फौरी इलाज जिसकी जरूरत है, वह किया जा रहा है, लेकिन एजूकेशन का मसला ओवरहाल करने के लिये, एजूकेशन को हमारे हालात के मुताबिक बनाने के लिये अभी सरकार के पास बहुत सी बातें विचाराधीन हैं और शायद वह समय-समय पर हमारे सामने लायी जाती रहेंगी और उसके मुताल्लिक जो जरूरी कार्यवाही और बिल होंगे, वह लाये जायेंगे।

मैं इस वक्त सिर्फ सरकार का ध्यान दिलाने के लिये इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। जहांतक तालीम का ताल्लुक है, हमारे सेक्रेटेरियट में जो स्टाफ काम करता है उसने जहां तक मुमकिन हो सका हमेशा इस बात की कोशिश की कि एजूकेशनिस्ट्स बढ़ाये जायं, मैं समझता हूं इससे हमारी एजूकेशन को काफी नफा पहुंच सकता है और सरकार को भी बहुत मदद मिल सकती है और वह एजूकेशन के मसले जो हमें आइंदा चन्द सालों में हल करने हैं, उनमें भी काफी सहायता मिल सकती है।

एजूकेशन के रिफार्म का मसला कुछ इसी सूबे पर मुनहसिर नहीं है, दूसरे सूबे भी तवज्जह कर रहे हैं। केरल में जो को एजूकेशन का बिल आया है, जिसमें दो बातें क्या चार बातें कहीं गईं, उस पर बहुत से एतराज हुए और काफी स्टेप लिये जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में यह कहना कि यह इंटरफियरेंस का हक पहुंचता है, यह सही नहीं है। मैं समझता हूं कि एजूकेशन के मामले को हमें पार्टी से बहुत ऊंचा उठाना है और उसमें उसी वक्त रिफार्म मुमकिन हो सकते हैं जब हम लोग एजूकेशन के काज को सैक्रेड समझें और उसमें पूरा सहयोग दें ताकि हमारे बच्चों की और तालीम की बेहतरी हो सके और उनके लिये कोई ठिकाने की सूरत बन सके।

मैं एक दूसरी तजवीज सरकार के सामने रखता हूं। जब इसका मौका आये तो इस पर भी गौर करें कि जो ग्रांट हमारे यहां एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है उसके मुताल्लिक बहुत सी रायें होती हैं। कुछ अग्राज हैं जिनके मातहत दी जाती है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के आधार पर कोई सेकेंडरी एजूकेशन का एक ग्रांट्स कमीशन भी बनाया जाय और उसके मशवरे से अगर यह इमदाद देने का तरीका हम रायज

करें तो मैं समझता हूं, शायद इससे कुछ पब्लिक ओपीनियन, कुछ एजूकेशनिस्ट्स की ओपीनियन और सहायता एसोशिएट हो सकें और हम कुछ इसे ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकेंगे।

कुछ मांग यह भी हो रही है कि जिन इंस्टीट्यूशंस में लेडी टीचर्स हैं वहां उनको मैटरनिटी लीव दी जाय। मुझे मालूम है कि लेडीज को इस महकमे में मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती है और बिला तनख्वाह के मिलती है। हमने प्रावीजन किया है और हमारे सोशल वैलफेयर विभाग ने इधर कदम उठाया है कि मजदूर औरतों के लिये इस किस्म का प्रबन्ध हो। मैं समझता हूं कि एजूकेशन डिपार्टमेंट जो सब से ज्यादा नोबिल डिपार्टमेंट है, सब से ज्यादा खिदमतगार डिपार्टमेंट है और जो नेशनल ऐक्टीविटीज का बैक बोन है उसमें भी औरतों को यह रियायत मिलनी चाहिये। जहां तक औरतों की तालीम का ताल्लुक है हम और मुल्कों से बहुत पिछड़े हुये हैं। लेकिन फिर भी कुछ तवज्जह हुई है और हमारे यहां की औरतें आगे आ रही हैं। औरतों के इन इंस्टीट्यूशन्स की ज्यादा तादाद नहीं है इसलिये एनकरेज करने के लिये इस तरफ भी कुछ तवज्जह देने की जरूरत है।

मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है, स्वागत करता हूं और समझता हूं कि इस बिल को जैसा कि इसी मोशन में तय कर दिया गया है कि यह ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिये वहां वह इस पर गौर करके इसका और भी रिफार्म करेगी। ऐसी सूरत में ऐसा मोशन आना कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय, मैं समझता हूं कि जो इस बिल की खूबी है, अच्छाई है उसको खत्म कर देगा। इसलिये कि एजूकेशन के रिफार्म्स ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते हैं। खास तौर से जो लोग इस बात के शाकी हैं कि पिछले जमाने में बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन ने सही तरीके पर काम नहीं किया है। जिन लोगों को यह शिकायत है उनकी तरफ से मैं समझता हूं कि ऐसा मोशन बिल के मकसद को ही खत्म कर देता है। हमारे दोस्तों ने जो यह मोशन पेश किया है वह बिल की अर्जेन्सी को देखते हुये, मैं समझता हूं इसको वापस ले लेंगे ताकि बिल सिलेक्ट कमेटी में जल्दी से जल्दी चला जाय और जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाय और यह कानून की सूरत अख्तियार कर ले ताकि बहुत से इंस्टीट्यूशन्स जो गड़बड़ी की हालत में चल रहे हैं, जिनके तालिबइल्मों की खराब हालत है, उनका डिसिप्लिन खत्म हो चुका है, आज टीचर्स सिक्योरिटी आफ सर्विस नहीं है, उनको सहारा दे सकें, उनकी इम्दाद कर सकें। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव रखूंगा कि भाषणों के लिये कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय क्योंकि सुल्तान आलम खां साहब बीस मिनट बोले हैं और कुछ माननीय सदस्य २५-२५ मिनट बोल चुके हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं इतना निवेदन करूंगा कि आम तौर पर विधेयकों पर समय निर्धारित नहीं होना चाहिये। वैसे जैसी सदन की राय हो।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--समय बढ़ा दिया जाय, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष--अभी क्या बात है। अभी तो ढाई बजे हैं। इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि बातों को दुहराया न जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, बोलने वाले सदस्य बहुत ज्यादा हैं इसलिय समय निर्धारित कर दिया जाता तो अच्छा होता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के बारे में कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है क्योंकि इस पर काफी बहस मुबाहिसा हो चुका है और खास तौर पर जबकि यह प्रवर समिति को सुपुर्द किया जायगा। यहां तो ऐसा होता है कि जो बातें उधर बैठने वाले चाहते हैं, वही होती हैं। जब कि उनका बहुमत है तो हम कितनी ही अच्छी राय देंगे लेकिन जिनके हाथ ज्यादा खड़े होते हैं वही बात मानी जाती है। चाहे उनका दिल गवाही न दे और चाहे वह चाहते भी हों कि हमारी जैसी बात कहें व हमारी बात का समर्थन करें लेकिन चाहे उनको पार्टी का डर हो या व्हिप का डर हो जिससे वे अपनी बात नहीं कह सकते।

श्री उपाध्यक्ष--ऐसा मालूम होता है कि विरोध स्वरूप आप भाषण नहीं देंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, मुझे इतना ही अर्ज करना है कि इसे प्रवर समिति में जाना है, इसलिये ज्यादा वक्त न लेकर कुछ बातों की ओर इशारा भर कर दूंगा कि अगर इस ओर भी तवज्जह दी जाय तो शायद इस पर कुछ ज्यादा लाइट पड़ सकेगी। इस बिल की धारा १६-बी (२) में लिखा हुआ है :--

"If an institution which is already recognised at the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957, fails to comply with the provision of sub-section (1) within the period provided therefor, the Director may in his discretion either allow a further period, not exceeding twelve months, or make an order withdrawing the recognition and thereupon the institution shall, notwithstanding anything in this Act, be deemed to have ceased to be a recognized institution."

और धारा १६-बी(१) में लिखा है--

"In the case of an institution already recognized at the date of the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957, a draft of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Director for his approval in accordance with section 16—C within six months from the said commencement and in all other cases along with the application for recognition."

अब मान लीजिये डायरेक्टर को वह ड्राफ्ट पसन्द नहीं आया तो वे साहब उस इंस्टीट्यूशन को खत्म कर सकते हैं अकेली राय से, ऐज ऐन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से भी वह उसे खत्म कर सकते हैं जब कि इसके आगे धारा १६-डी (३) में लिखा है--

"If the management fails to comply with any direction made under subsection (2), the Director may after considering the explanation or representation, if any, given or made by the management—

(*a*) refer the case to the Board for withdrawal of recognition ;"

यहां पर डायरेक्टर साहब अकेले मान्यता नहीं खत्म कर सकते बल्कि उसको एक बोर्ड के सामने रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट की किसी गलती से रेकग्नीशन बिदड़ा हो जाता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा उन बेचारे छोटे छोटे बच्चों को जो वहां पढ़ते हैं क्योंकि वह इंस्टीट्यूशन बन्द हो जायगा। अभी माननीय सुल्तान आलम खां ने केरल का जिक्र किया। वहां जब इस तरह से कोई इंस्टीट्यूशन का रेकग्नीशन खत्म हो जाता है तो वह बन्द नहीं हो जाता है बल्कि उसे सरकार ले लेती है। मैं आपकी आज्ञा से उसका थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं।

"Whenever it appears to the Government that the Manager of any aided school has neglected to perform any of the duties imposed by or under this Act or the rules made thereunder and that in the public interest it is necessary to take the management of the school for a period not exceeding five years they may after giving the manager....."

तो मैं शिक्षा मंत्री जी से बाअदब अर्ज करता हूं कि इस बात का खयाल रखा जाय कि ऐसी अवस्था में स्कूल बन्द न होने पायें। इसके लिये कोई वाया मीडिया, (मध्यम मार्ग) निकाला जाय। इसके अलावा अगर स्कूल बन्द हो जाते हैं तो मास्टरों को तनख्वाहें समय से मिलनी चाहिये। अब तक तो शिकायत अक्सर यही है कि एडड स्कूलों में तनख्वाहें लिखवाते कुछ हैं और देते कुछ हैं। इसलिये यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर इसके लिये भी आप केरल के ऐक्ट जैसे प्राविजन यहां कर लें तो अच्छा हो। आपकी इजाजत से मैं पढ़ दूं।

"The Government shall pay the salary of all teachers in aided schools direct or through the Head Master of the School."

यानी स्कूल को एड देने के बजाय आप तनख्वाहें टीचर्स को दें आप जो एड देते हैं उससे कोई चेक नहीं रहता कि मास्टरों को तनख्वाहें मिल रही हैं या नहीं, लेकिन वहां मास्टरों को सरकार से सीधे मिलने के कारण उसको पूरी की पूरी तनख्वाह मिल जाती है। इसके अलावा जितनी तनख्वाह है वह सब स्टेट ही देती है। तो जब हमारे गणतंत्र में एक छोटा सा प्रांत यह व्यवस्था कर सकता है तो हमारा यह उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कर सकेगा, मैं नहीं समझता, कहां तक सही होगा। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी कहें कि हमारे पास फाइनेंसेज नहीं हैं तो शायद वह शोभा की बात न हो। मैं यही निवेदन करूंगा कि वह इस कमी को पूरा करें।

अनुशासन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यहां पर नरेंद्रदेव कमेटी और मुदालियर कमीशन की भी बात की गयी। उन्होंने सिफारिश की है कि लड़कों को पैनलाइज करने से या गालियां देने से अनुशासन नहीं बढ़ेगा, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिये। उनकी सहकारी समितियां बनाई जायं, गेम्स, ड्रामा आदि के काम उनको सौंपे जाय। उनको खुद जिम्मेदार बना दिया जाय और टीचर और स्टाफ आदि उसमें दखल न दें तो वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे और अनुशासन के लिये सबसे बड़ी बात यह होगी कि पोलिटिकल पार्टीज उनके जीवन में दखल न दें। एलेक्शन में स्कूल के बच्चों का नाजायज इस्तेमाल बन्द किया जाय। रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट की दफा १०० में इसको करेप्ट प्रेक्टिसेज में जोड़ दिया जाय और जो व्यक्ति स्कूल के बच्चों को वोट लेने भेजे उसका एलेक्शन नल एण्ड वायड करार दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—कितने वर्ष तक के विद्यार्थियों को?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इस रिपोर्ट में १८ तक तो होना ही चाहिये ऐसा लिखा है, लेकिन मैं कहूंगा कि १८ नहीं, इससे भी बढ़ाया जाना चाहिये।

इसके अलावा दूसरी बात हमारी पोलिटिकल पार्टीज की रही। हम लोग यह गलती करते हैं कि पोलिटिकल पार्टीज के नाम की पार्टीज ही विद्यार्थियों में बना देते हैं। कांग्रेस है तो स्टूडेंट्स कांग्रेस, जनसंघ है तो उसी के नाम की पार्टी कम्युनिस्ट है तो फेडरेशन ऐसी पार्टियां स्कूलों में बनाते हैं। मैं उनको भी कहता हूं और अपने को भी। शिक्षालय तो मंदिर हैं, देव स्थान है। वहां पर राजनीति का प्रवेश सर्वथा निषेध होना चाहिये। इसके लिए इस ऐक्ट में ऐसा प्राविजन अवश्य होना चाहिये कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी की ब्रांच किसी स्कूल में न खुल सकेगी और जहांतक हो सके पोलिटिकल लीडर्स को भी कम से कम बुलाया जाय। क्योंकि इस से कोई फायदा नहीं होता। आज सबसे ज्यादा जो लोग अनुशासन-हीनता का शोर करते हैं कि लड़के भी सत्याग्रह करने लगे हड़ताल करने लगे, वह सोचें कि यह सब आखिर सिखाया किसने? लकड़ी जब जलती है तो देखने में मजा आता है लेकिन जब जलते जलते हाथ के पास आती है, आंच अपने को लगती है तो कहते हैं कि जल गये। तो यह सब अनुशासनहीनता के साधन सिखाये किसने? किसने सिखाया कि कहना मत मानो? जिन्होंने उनको यह सिखाया आज वही लोग उनको बुरा कहते हैं।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

सुधार ऐसे नहीं होगा। सुधार घर से होना चाहिये। सुधार ऐसे होना चाहिये कि आप उनको अपने राजनीतिक संगठनों से दूर रखें। उनको आप शिक्षार्थी बनायें। उनका पहला कर्त्तव्य विद्या का अध्ययन हो। उसकी तरफ उनका ध्यान जाय। मैं समझता हूं उनका ध्यान खेलने की तरफ जाय और साहित्य पढ़ने की तरफ जाय।

दूसरी बात यह है कि अनुशासन के संबंध में ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि क्लास रूम से निकलने के बाद बच्चा एक दम घर की तरफ न जाय। उनके लिये स्कूल में इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये जिससे उनको कुछ मेंटल फूड मिले। उनके लिये लायब्रेरी का प्रबन्ध होना भी आवश्यक है। उनके लिये खेल की व्यवस्था भी समुचित तरीके से होनी चाहिये। यदि इसका प्रबन्ध किया जाय तो लड़कों का मन खराब तरफ नहीं जायगा। उनको खेलने को भी मिलेगा और किताबें भी मिलेंगी और सब से जरूरी उनको गाइडेंस मिलेगी। जितना छात्रों का और अध्यापकों का सम्पर्क होगा उतना ही लड़कों का का बौद्धिक विकास होगा। आचार्य नरेंद्रदेव कमेटी, मुदालियर कमीशन और राधाकृष्णन कमीशन सभी ने इस चीज को सेकेंड्री एजूकेशन के लिये जरूरी होना तस्लीम किया है। विदेशों की शिक्षा पद्धति में भी इस चीज को माना गया है कि लड़कों और अध्यापकों का ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क होना चाहिये। इस कारण मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में इसका विधान होना चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा वे अध्यापकों के सम्पर्क में आयें। स्कूल के अहाते के नजदीक ही अध्यापकों के रहने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। जो आधे दिन की छुट्टी शनिश्चर के दिन हो उस दिन मास्टर यह देखे कि लड़का उस छुट्टी में घर न चला जाय। उसको एक्स्ट्रा केरीकुलर ऐक्टीविटीज में लगाने की जरूरत है। उसमें लड़कों की अनिवार्य उपस्थिति लगाई जाय। इस तरीके पर यदि चलें तो अनुशासन को हम ठीक कर सकते हैं।

अनुशासन के लिये सब से अधिक आवश्यकता चरित्र की है। जब तक हम उनके चरित्र को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे नेता भी नहीं बना सकते हैं। न हम उनको अच्छा डाक्टर और न अच्छे विद्वान ही बना सकते हैं। आज वोकेशनल ट्रेनिंग के लिये तवज्जह की जा रही है लेकिन चरित्र के बनाने की ट्रेनिंग के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात को माना गया है कि हर स्कूल में कम से कम सप्ताह में एक या दो बार विभिन्न धर्मों की महत्ता पर, उनके जो अवतार या पैगम्बर हुये हैं, उनके बारे में बताया जाय। हमारे यहां बच्चों को यह बताने की जरूरत है कि इसलाम धर्म यह बतलाता है कि किस तरह से बहादुर होते हैं और ईसाई धर्म व पवित्र बाईबिल बताती है कि हमारे अन्दर सहिष्णुता कैसे बढ़ सकती है। "यदि कोई गाल पर चांटा मारता है तो वह मारने के लिये दूसरा गाल भी दे दे" इस तरह की सहिष्णुता की शिक्षा होनी चाहिये। इस तरीके से हमारे आपस में कौमी इत्तहाद पैदा होगा और बच्चे एक दूसरे के मजहब को अच्छी तरह से समझने लगेंगे। आज हमारे अन्दर घृणा की भावना फैली हुई है उसको तभी हम कम कर पायेंगे। मैं बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जैसा कि इन कमीशन की रिपोर्टों में लिखा हुआ है और जिसकी तारीफ इधर वाले और उधर वाले दोनों करते हैं, जिससे वे लिखी हुई बातें कोरी किताब में लिखी हुई बातें न रह जायं। यह सब बातें बड़े अनुभव के बाद लिखी गयी हैं।

श्रीमन्, जब हम आज ज्यादा सेक्युलर हो गये हैं तो ज्यादा उच्छृंखलता हमारे यहां हो गई है। राष्ट्र का उत्थान नौजवानों से ही होगा, इसलिये हमें लड़कों को तरक्की पर लाने के लिये ये सब बातें करनी हैं। आज करप्शन, नैपोटिज्म और घसखोरी की बातें हम हर जगह सुनते हैं। सब कहते हैं कि हमारा मारल स्टैंडर्ड गिर गया है और यह इसीलिये है कि हम मजहबी उसूलों को नहीं समझते हैं। अपने ही नहीं, दूसरे मजहबों की भी, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसलाम, ईसाई, सभी मजहबों की अच्छी-अच्छी बातें हमको अपने बच्चों को सिखानी चाहिये।

श्री सुल्तान आलम खां साहब ने कहा कि इसमें मैटरनिटी के बारे में कुछ नहीं है, जब बच्चा होता है तो उन्हें टी० ए० या वेतन नहीं मिलता है। अगर हम इस विधेयक की परिधि को नहीं बढ़ावेंगे तो ये सब बातें संभव नहीं हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि वह एक बड़ा बिल लाने वाले थे। अभी-अभी टीचर्स की कांफ्रेंस में शिक्षा मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने कहा था वह ऐसी बात करेंगे। इसलिये अभी एक बड़ा बिल बनना चाहिये वरना वही बात होगी जो इस बिल में हुई। टीचर्स की तनख्वाह, उनको निकालने या रखने या सजा के बारे में व्यवस्था होने की उम्मीद थी और लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि "बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो काटा तो एक क़तरये खूं न निकला"। हमें बड़ी आशा थी कि इस बिल में पैनेशिया फार आल एजूकेशनल डिजीजेज होगा, लेकिन हुआ यह कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया"। इसमें सरकार ने डैमोक्रेसी की दुहाई देकर कुछ ताकतें ली हैं कि इंसपेक्टरों को स्कूलों का खुदा बना दें। मेरी राय में टीचर्स को सजा देने की जो बात इसमें रखी गई है, उसमें टीचर्स का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिये, अधिक हों तो और भी अच्छा है।

एक माननीय सदस्य ने उधर से कहा था, जो अब यहां नहीं हैं, कि टीचर्स को पहले चरित्रवान होना चाहिये, मिल मजदूरों की तरह से लड़ना नहीं होगा। उन्होंने २, ४ बातें मैनेजरों की ओर से कहीं। अगर अध्यापक यह कहता है कि मैं भूखा हूं, मेरे बच्चों को भी शिक्षा और चिकित्सा चाहिये, तो क्या ताज्जुब है? वे पत्थर के बने नहीं हैं। वे हमारे गुरू हैं, चाहे टीचर शब्द के कहने से उसका भाव नहीं आता हो। वे हमारे नेताओं को बनाते हैं, बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को जैसे डाक्टर रमन और जे० सी० बोस को उन्होंने बनाया है। वे कब तक फाकाकशी करते रहेंगे? हमारे यहां कहावत है कि "भूखे भजन न होई गोपाला"। सो भूखे से तो ईश्वर का भी भजन नहीं होता है। मंत्री जी मानते हैं कि टीचरों का वेतन कम है और फिर कहते हैं कि तुम मांगो मत। अभी यहां पर यह भी कहा गया था कि त्रैलोक्य का राज्य भी यदि उन्हें दे दिया जाय तो उन्हें संतुष्टि नहीं होगी। मालूम नहीं कि वह त्रैलोक्य में गये हैं या नहीं, मगर मैं तो नहीं गया हूं। बाद में उन्होंने अपनी बात यह कहकर काट दी कि अध्यापक स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? केवल इसीलिये कि उन्हें अच्छा वेतन नहीं मिलता है। अच्छे लोग पहले आई० ए० एस० और पी० सी० एस० या अन्य दफ्तरों में जाते हैं और जो वहां नहीं सफल होते हैं वह बाद में टीचर बनते हैं, बी० टी० करते हैं या ला करते हैं। जब तक हम गुरू को गुरू का पद नहीं देंगे तब तक इस प्रोफेशन में विद्वान लोग नहीं आवेंगे। मैं मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह मेरी छोटी बातों पर भी उचित ध्यान देंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आज समय कम है, हमारे यहां से कोई नहीं बोल पाया है।

श्री उपाध्यक्ष—५ बजे तक है, आपके यहां से श्री देवीप्रसाद मिश्र जी बोले हैं।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—श्रीमन्, प्रस्तुत विधेयक मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिये एक कदम है, इसलिये महत्वपूर्ण है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इधर के लोग तो हमेशा वह कहते हैं जो संख्या के बल पर उचित समझते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी शिकायत क्यों है। इस बिल के महत्व को देखते हुये मंत्री जी ने स्वयं आवश्यक समझा कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, क्योंकि इसमें सभी दलों के, सभी वर्गों के, परामर्श और परिमार्जन से संशोधन की जरूरत है। फिर भी ऐसी शिकायत के लिये बड़े अदब से यही कहा जा सकता है कि कुछ लोग इसके आदी हो गये हैं।

जहां तक इस विधेयक से संबंधित विषय का संबंध है, मैं भी यही समझता हूं कि आज प्रदेश में मांग है कि शिक्षा पद्धति को सुधारा जाय। प्रदेश में ही नहीं, सारे देश की शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की मांग है। हम रोजाना कनवोकेशन ऐड्रेसेज सुनते हैं जिनमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

हमारे बड़े से बड़े नेता और शिक्षा के विद्वान इस मांग को दोहराते हैं कि हमारी मौजूदा शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की अत्यन्त आवश्यकता है। अभी हम विश्वभारती में दिये गये कनवोकेशन ऐड्रेस को सुन रहे थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही दिया था। अभी हमने पातंजलि महोदय का ऐड्रेस पढ़ा। इन सभी एड्रेसेज में प्रबल शब्दों में इस बात की मांग की गयी है और ये शब्द हैं उन व्यक्तियों के जिनके हाथ में देश की सत्ता है और वास्तविकता भी है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सेकेंडरी एजूकेशन को ही ले लें तो इसमें भी आज इस तरह की शिकायतें हैं। टेक्स्ट बुक्स जिस तरह से प्रेस्क्राइब की जाती हैं न तो उससे और न जो पाठ्यक्रम है उससे ही लोगों को संतोष है। इसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मेरा तो यह भी विचार है कि हमारी एजूकेशन में एक मूल खराबी यह है कि शिक्षा के जो भिन्न-भिन्न स्टेजेज हैं, उनमें कोआर्डिनेशन नहीं है। प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पर है। आठवें दर्जे तक के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी डायरेक्टर आफ एजूकेशन पर डाली गयी है। नवें दर्जे से इंटरमीडियेट तक की जिम्मेदारी हाईस्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड के ऊपर डाली गयी है तथा इसके आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पर डाली गयी है। लेकिन इन चारों स्टेजेज में सामंजस्य हो, एक दूसरे के परामर्श से काम करें, ऐसा कोई मार्ग हम नहीं निकाल सके हैं। इससे शिक्षा में बड़ी कमी रह जाती है। इसलिये इसमें बहुत ही ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। समय की मांग है कि इस ओर सरकार द्वारा कोई रिवोल्यूशनरी कदम उठाया जाय और सरकार की तरफ से ऐसे स्टेप्स लिये जायं जिससे यह काम पूरा हो सके। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस बिल को प्रस्तुत करते समय उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि अवश्य ही वे पिछले अनुभव के आधार पर एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाने की बात सोच रहे हैं। इसलिये मैं उनसे केवल यही प्रार्थना करूंगा कि वह जितनी जल्दी इसको ला सकें, उतना ही अच्छा है। जिस रूप में यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें केवल वह उपचार-मात्र किया जा रहा है जिसके लिये उस समय तक रुका नहीं जा सकता और उतनी देर तक रोकना माननीय मंत्री जी और यह सरकार उचित नहीं समझती। आज हम इस बिल को केवल इस दृष्टि से देखें तो उचित होगा।

जहां तक बोर्ड के कांस्टीट्यूशन का संबंध है, उसके बारे में इस संशोधन विधेयक में केवल नाम मात्र को ही परिवर्तन किया गया है। इसमें केवल ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन के प्रतिनिधि को हटाया गया है। मुझे तो आशा है कि जब माननीय मंत्री जी कांप्रीहेंसिव बिल लायेंगे तो अवश्य ही बोर्ड के कांस्टीट्यूशन के बारे में, जिस पर समय-समय पर आपत्तियां होती रही हैं, आमूल परिवर्तन करेंगे और उसके प्रतिनिधित्व को सक्रिय रूप में बदलेंगे। जहां तक इस संशोधन का संबंध है, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि किसी भी विधेयक में ब्रिटिश इंडिया ऐसोसियेशन का प्रतिनिधित्व रहना अच्छा नहीं मालूम पड़ता, भले ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य शिकायत करें कि जमींदारी उन्मूलन के साथ ही हमें उसके प्रतिनिधित्व को समाप्त कर देना चाहिये था। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके लिये उस समय तक नहीं रुके जब तक कि कांप्रीहेंसिव बिल वे लाते, तो ऐसा करके उन्होंने अच्छा ही किया है।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, इस संशोधन विधेयक में जो सेक्शंस १६, ए०, बी०, सी०, डी० और एफ० हैं उनके द्वारा यह आयोजना की गयी है कि सारे स्कूल्स में, सारे एडेड स्कूल्स में स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन हो। इस विषय में चर्चा करते समय सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कह दिया कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हिटलरशाही करना चाहती है और हिटलर की तरह से सारी शक्तियों को अपने हाथ में केन्द्रित करना चाहती है।

श्रीमन्, जिस क्वार्टर से ऐसी शिकायत हुई, मैं नहीं समझ सका कि वे कैसे उस शिकायत को कर सकते हैं। इस तरह का यत्न इस संशोधन विधेयक में पहली बार नहीं किया गया है। यदि हम थोड़े दिनों के इतिहास के पन्ने उलटें तो हम देख सकते हैं कि सन् १९३७ में श्री जे० सी० पावेल की अध्यक्षता में एक कमेटी इस प्रदेश में बनी थी जिसने सन् १९३९ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद सन् १९३८ में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में नरेन्द्र देव कमेटी बनी थी जिसने थोड़े दिनों के बाद अपनी बड़ी कांप्रिहेंसिव रिपोर्ट इस विषय में प्रस्तुत की। उसके बाद फिर सन् १९४६ में बेटर मैनेजमेंट आफ एडेड स्कूल्स कमेटी बनी, जिसने सन् १९४६ में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद फिर सन् १९५२ में द्वितीय आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी नियुक्त की गयी, जिसने १९५३ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यदि हम इन सारी रिपोर्टों के पन्ने उलटने का कष्ट करें तो हम देखेंगे कि सिद्धान्त रूप में इन बातों का जितना प्रतिपादन इस संशोधन विधेयक में किया गया है, स्वीकार किया जा चुका है। दूसरी आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट इस समय मेरे हाथ में है। उसने स्वयं यह सिफारिश की है कि कुछ स्कूलों की व्यवस्था खराब है, कुछ एडेड स्कूलों की व्यवस्था खराब है। उसमें कहा गया है—

"We recommend that their management should be superseded and an administrator with or without a small administrative committee be appointed for such time as Government may deem fit in public interest and in the interest of the institution itself."

तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी बात सोचना कोई हिटलरशाही का सबूत है, यह बात मैं समझ नहीं सका। आखिर आज की व्यवस्था में, आज के युग में राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना है ही और जब तक उस उत्तरदायित्व को राज्य अपने ऊपर नहीं लेता, यह चल नहीं सकता। हां, इतना मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि जिस वक्त इस बिल की उन धाराओं को देखते हैं तब कुछ मौलिक बातें हमारे सामने अवश्य आती हैं। इन धाराओं में ऐसी झलक अवश्य आती है कि जो इंस्टीट्यूशंस आज चल रहे हैं, उन पर कुछ ऐसा लगता है कि अधिक अविश्वास सा किया जा रहा है और कदाचित् डाइरेक्टर और इंसपेक्टर के डिस्क्रिशन पर कुछ मात्रा में अधिक विश्वास किया जाता है। मैं यह मानता हूं कि जो इंस्टीट्यूशंस आज मौजूद हैं, उनकी दशा और सारे एडेड इंस्टीट्यूशंस की दशा कम से कम इतना होते हुए भी इतनी अच्छी नहीं है, जितनी कि होनी चाहिये। मैं यह भी मानता हूं कि उनमें ऐसी दुर्व्यवस्था है जिसमें हस्तक्षेप आवश्यक है, लेकिन मेरा अपना निवेदन यह है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को एक रस्सी से नापना, एक लकड़ी से हांकना कदाचित् ठीक नहीं होगा। मेरी तो ऐसी सलाह होगी और ऐसा निवेदन है कि अच्छा यह हो कि आप एडेड इंस्टीट्यूशंस के लिये दो कैटेगरी रख सकते हैं, ए और बी कैटेगरी रखें या जो कुछ भी कैटेगरी रखें। 'ए' कैटेगरी में उन इंस्टीट्यूशंस को रखें जिनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है और एक में उनको रखें जिनकी व्यवस्था चिन्ताजनक है, जिनकी व्यवस्था में हस्तक्षेप की गुंजाइश है और हम केवल उन इंस्टीट्यूशंस तक ही जो दूसरी श्रेणी में आते हों, हस्तक्षेप करने की बात सीमित रखें। श्रीमन्, यह जो मैं निवेदन कर रहा हूं इस सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी में भी है। उस कमेटी ने भी इस प्रकार की सिफारिश की है कि एडेड इंस्टीट्यूशंस में यह अनिवार्य हो जायगा कि स्थितियों को देखते हुए हम उनको दो श्रेणियों में विभाजित कर सकें। मैं यह समझता हूं कि ऐसा करना हितकर और आवश्यक दोनों ही होगा।

श्रीमन्, मेरा यह भी नम्र निवेदन है कि जहां तक इंस्पेक्टर्स और डाइरेक्टर का सम्बन्ध है, यदि यह सत्य है कि एडेड इंस्टीट्युशंस की व्यवस्था खराब है, एडेड इंस्टीट्यूशंस के प्रबन्ध के खिलाफ शिकायतें हैं तो यह भी सत्य है कि जो डिस्क्रिशंस इस्पेक्टर्स और डाइरेक्टर के आफिस में होते हैं उनसे भी शिकायतें हो सकती हैं और हुई हैं। इसलिये एक ऐसा सामंजस्य करना पड़ेगा जिससे न तो उधर ज्यादा अधिकार पहुंच जायं, उनके डिस्क्रिशंस इतने बढ़ जायं कि वह हस्तक्षेप करने लगें और उन संस्थाओं की प्रगति में रोड़ा बन जायं। न यही हो कि उन एडेड इंस्टीट्यूशंस को अव्यवस्थित दशा में छोड़ दिया जाय और हस्तक्षेप किया ही न जाय।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

आज यहां केरल का भी जिक्र किया गया। एक माननीय सदस्य ने उस ऐक्ट की कुछ धारायें पढ़ कर सुनायीं। मैंने भी कुछ पढ़ने का यत्न किया। मैं तो आश्चर्य करता था कि उस केरल के विधेयक को बहुत प्रगतिशील बताया गया। उसमें यह कहा गया कि उसमें प्रगति की झलक दिखायी पड़ती है और हमारे संशोधन को हिटलरशाही स्टेप कहा गया। यह दोनों बातें कैसे संगत हो सकती हैं? इसमें यदि यह व्यवस्था है कि रिकाग्निशन विदहोल्ड किया जा सकता है, कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है और वह भी किन्हीं विशेष स्थितियों में तो वहां सारे मैनेजमेंट को अपने हाथों में लेने की बात है और बहुत से मैनेजमेंट पूर्णरूप में ले लिये गये। तो फिर वह एक सिद्धांत की बात हो जाती है कि क्या आज यह उचित है कि सारी एजूकेशन स्टेट कंट्रोल्ड हो या उसके लिये काफी स्वतंत्रता मिले। उस सिद्धांत पर चर्चा करने में श्रीमन्, समय लगेगा और कदाचित् आप की आरम्भ में दी हुई आज्ञा का पालन कर सकूं इसलिये सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी बातें जो मैंने निवेदन कीं, प्रवर समिति में यदि इन पर विचार कर लिया जाय तो इस संशोधन विधेयक का जो भंशा है, वह पूरा हो सकेगा और मैं यह आशा करूंगा कि इस संशोधन विधेयक के बाद वह काम्प्रीहेंसिव बिल शीघ्र आयेगा।

जहां तक बिल की परिधि बढ़ाने का सवाल है, मैं इसका विरोध करता हूं, केवल इसलिये नहीं जैसा एक माननीय मित्र ने कहा कि उधर बैठने वाले मित्र ने प्रस्तुत किया है, बल्कि इस लिये कि इस प्रकार परिधि बढ़ाने से हित नहीं हो सकता। वह एक पीस मील एफर्ट होगा। या तो कोई नानआफिशियल बिल सोच समझ कर आये या सरकार ही सारी बातों की जांच करके फिर कोई बिल लाये तभी उससे हित हो सकेगा। लेकिन केवल इतने से बिल की परिधि बढ़ाने की बात से हम अपने प्रदेश की शिक्षा का कल्याण नहीं कर सकेंगे।

जहां तक जनमत का सम्बन्ध है उसका विरोध करने के लिए मैं कोई दलील देने की आवश्यकता नहीं समझता। बार-बार माननीय मित्रों ने यह स्वीकार किया है कि जिस रूप में यह बिल आया है उसकी परिधि बहुत सीमित है। तो जनमत की कहां आवश्यकता पैदा होती है? और किस प्रकार होती है यह वह स्वयं न समझा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री चन्द्रजीत यादव से) आप से भी संक्षेप में भाषण करने की अपील है।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैं यह प्रयत्न करूंगा कि आपकी आज्ञा का पालन करूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में इस बात को माना गया है कि हमारे प्रदेश में जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वह अंग्रेजों के काल की बनी हुई शिक्षा पद्धति है, जब शिक्षा का उद्देश्य वह नहीं था जो आज है। उस समय शिक्षा का केवल एक उद्देश्य था कि अच्छे क्लर्क्स पैदा किये जायें अंग्रेजी शासन सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिये और अंग्रेजों के प्रति वफ़ादार लोग शिक्षा संस्थाओं से पैदा किये जायं। आज मुल्क के १० वर्ष से आजाद होने के बाद जब हम एक समाजवादी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मुल्क और जिन्दगी के हर पहलू में जब हम एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा का उद्देश्य बदल चुका है। आज उसका उद्देश्य है कि जन-शिक्षा होनी चाहिये, वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो ऐसे नागरिक का निर्माण करे, जिसके व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास हो सके, ऐसे नागरिक को पैदा करे, जिसके अन्दर नेतृत्व करने की क्षमता हो, ऐसे नागरिक पैदा करे जो अपने कार्य, उत्तरदायित्व और अधिकार को समझें और जो प्रजातान्त्रिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और समाजवादी उत्तरदायित्व हैं उनको वहन करने की शक्ति और क्षमता उनके अन्दर हो। इन सारी बातों को देखते हुए यह आवश्यक था कि आज १० वर्ष बाद जब यह शिक्षा विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ है तो यह विधेयक उन सारी बातों पर दृष्टि रखते हुए, उन तमाम कमीशनों और उनकी रिकमेन्डेशन्स को ध्यान में रखते हुये, सदन में आना चाहिये था।

सन् १९५२ में केन्द्रीय सरकार ने मुदालियर कमीशन की नियुक्ति की थी, इस बात को देखते हुए जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था है वह आज के युग में और देश की मौजूदा परिस्थिति में ठीक नहीं है। उस कमीशन के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे। मुझे इस बात का दुःख है कि जो यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है तो वह मुदालियर कमीशन, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की उन तमाम सिफारिशों को नजरअंदाज करके हमारे सामने आया है। मुदालियर कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया था कि जो शिक्षा पद्धति मुल्क की है वह संकुचित है, ऐसी नहीं है जिससे सही और कर्मठ नागरिक का निर्माण हो सके। उस कमीशन ने यह भी माना था कि आज की शिक्षा पद्धति वास्तविक जीवन से बहुत दूर है, जीवन में जो वास्तविकता है उस को वह सामने नहीं रखती है। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर एक पूर्ण रूप से शिक्षा विधेयक आना था। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो मौजूदा सरकार है, जो भी बिल सदन में लाती है वह पीसमील होकर आता है। इस बात को पहले ही मान लिया जाता है, कि हम सारी बातों को मानते हैं, आवश्यकताओं को मानते हैं, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से इस प्रकार का विधेयक नहीं ला पा रहे हैं। दुख है जब शिक्षा राष्ट्र के सही नागरिक बनाती है तब भी शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासन हीनता बढ़ती जा रही है। शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं उनसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो आप ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया कौन सी धारा इसके अन्दर है जो विद्यार्थियों को सही नागरिक होने की तरफ़ बढ़ाती है? कौन सी धारा है जो विद्यार्थी को इस बात का ज्ञान करा सके कि उसके ऊपर भी समाज की जिम्मेदारी है? कौन सी धारा ऐसी है जो इस बात की गारन्टी देती है कि जब यह विधेयक लागू हो जायगा तो हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जायगा? मैं साफ कहना चाहता हूं यह विधेयक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करता। इस विधेयक में कोई ऐसी भी व्यवस्था नहीं है जिससे कि हमारे अध्यापकों का जीवन कुछ अच्छी तरह से व्यतीत हो सके, जिसको कि वह मानते हैं कि आज उनके सामने बड़ी परेशानियां हैं। वह प्राइवेट स्कूलों के व्यवस्थापकों के हाथ में आज खिलौना बन कर नाच रहे हैं। उनको जो वेतन मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। उन्हें जीवन के लिये नितान्त आवश्यक वस्तुयें भी नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन यह विधेयक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करता जिससे कि उनकी दशा में कोई सुधार हो सके। सरकारी नियन्त्रण इनके ऊपर कुछ और अधिक बढ़ जाय। केवल इसकी तरफ कुछ इशारा किया गया है। मैंने पूरे संशोधन विधेयक को पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि सरकार इस बात को चाहती है कि शिक्षा संस्थाओं में सरकारी अधिकारी पहले की अपेक्षा कुछ और अधिक बढ़ जायं। इंस्पेक्टर्स और डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को कुछ और अधिक अधिकार प्राप्त हो जायं। इसके सिवाय कोई और विशेष बात इसमें उल्लेखनीय नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी मौलिक परिवर्तन की तरफ कदम नहीं उठाया गया है। इस बात को मानकर के कि जो वर्तमान प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, उसे ठीक करने का प्रयत्न इसमें किया गया है जिसके लिये कुछ धारायें इस संशोधन विधेयक के अन्दर हैं, उनकी तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इस विधेयक की धारा १६–ए में स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गयी है। मैं समझता था कि सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि आज जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अन्दर व्यवस्थापक मनमानी कर रहे हैं, आज के प्राइवेट स्कूल्स अधिकांशतः व्यापार के साधन बने हुए हैं, सरकारी सहायता लेकर के उसका दुरुपयोग करना, अध्यापकों को अधिक वेतन

[श्री चन्द्रजीत यादव]

के नाम पर नियुक्त करके कम तनख्वाह देना। सौ दो सौ पर उनकी नियुक्ति होती है और वास्तव में उनको सौ सवा सौ दिया जाता है और उनसे हस्ताक्षर कराया जाता है, यह भी देखा गया है कि सरकारी सहायता ली गयी, इसके उदाहरण दिये गए, सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजे गये कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एक्सटेंशन के नाम पर भूमि ली और फिर सरकार से रुपया लिया, उस रुपये का उपयोग उन्होंने अपने निजी स्वार्थ में कर लिया। जब इसकी शिकायत हुई अधिकारियों से तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि हर स्कूल में आज ऐसे गंदे लोग घुस गये हैं, कोई ऐसी शिक्षा संस्था नहीं है जहां ऐसी गन्दी व्यवस्था न हो। अगर इसके नाम पर स्कूलों को बन्द करने लगेंगे तो प्रदेश के अन्दर एक भी शिक्षा संस्था नहीं चल सकेगी। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि क्या आज इन शिक्षा संस्थाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कुव्यवस्था बढ़ रही है, वह क्यों है ? वह व्यवस्था वहां इसलिए है कि वह इससे कोई बेहतर इन्तजाम नहीं कर सकते। या तो वह इस बात को मान लें कि उनके अंदर यह क्षमता नहीं है, दूसरी कोई सुन्दर व्यवस्था उनके सामने है नहीं या वह इस बात को मानते हैं कि भ्रष्टाचार रहेगा लेकिन हम मजबूर हैं, ऐसी शिक्षा संस्थायें, ऐसे स्कूल खुलते जायेंगे और काम इसी तरह होता जायगा। इसमें यह कहा गया है कि जब यह स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन लागू होगी तो इस विधेयक के लागू होने के बाद हर स्कूल के लिये आवश्यक होगा कि छः महीने के अन्दर वह इस नियम को लागू करेगा और अपनी एक प्रबन्धक समिति का निर्माण करेगा। मेरा कहना यह है कि सरकार को यह अवधि कम करनी चाहिये। छः महीने की जगह अधिक से अधिक तीन महीने से अधिक की अवधि नहीं होना चाहिये। उसके बाद आगे उपधारा (२) में कहा गया है कि यदि कोई शिक्षा संस्था इसको लागू नहीं करेगी और डाइरेक्टर को इस बात की इत्तिला मिलेगी तो वह उसको एक चेतावनी देगा और अगले बारह महीने के अन्दर उसको इसे पूरा करना चाहिये। इस प्रकार से कोई शिक्षा संस्था जिसका मैनेजमेंट खराब है वह चाहे तो कम से कम डेढ़ साल तक तो उसी तरह से काम करती रहेगी। उसको डेढ़ साल का मौका मिलता है कि उसी भ्रष्ट व्यवस्था के अन्दर स्कूल का शोषण कर सके। जब छः महीने का अवसर आप देते हैं तो कोई वजह नहीं है कि उन्हें चेतावनी देने के बाद आप एक साल का पूरा अवसर दें। अगर यह अवसर देना है तो ३ महीने का अवसर देने के बाद, जैसा संशोधन प्रस्तुत किया, अधिक से अधिक १ महीने का अवसर उन्हें और होना चाहिये।

दूसरी बात मुझे अध्यापकों के बारे में कहनी है, वह यह कि अध्यापकों की जो व्यवस्था है और जिस प्रकार से प्राइवेट शिक्षा संस्थायें उनका शोषण कर रही हैं उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। उन्होंने अपनी आवाज एक अरसे से बुलन्द की है, लेकिन सरकार ने अभी तक उस तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। मेरा निश्चित मत है कि यह दुर्व्यवस्था तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि सरकार जो खुद भेदभाव की नीति को बरतती है, उसको खत्म नहीं करती। सरकारी स्कूलों में एक ग्रेड हैं और प्राइवेट स्कूलों में दूसरे ग्रेड हैं। इस प्रकार का मतभेद किसी प्रजातांत्रिक सरकार के अन्दर, जो अपने को समाजवादी सरकार कहती हो, नहीं होना चाहिये और निश्चित रूप से गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अध्यापकों के ग्रेड में जो भेदभाव है, वह दूर होना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि सरकार को अध्यापकों को वेतन देने का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये। हम इस बात को जानते हैं कि आर्थिक अनुदान प्राप्त करने के बाद भी, स्कूलों की आर्थिक दशा अच्छी होने के बावजूद भी ऐसे व्यवस्थापक हैं जो अधिक वेतन पर अध्यापकों को नियुक्त करते हैं और सचमुच उनको कम वेतन देते हैं। यह कमी तभी दूर हो सकती है जब सरकार यह वेतन देने का काम अपने हाथ में ले और सरकारी खजाने से उनको पहली तारीख को वेतन मिल जाया करे।

मुदालियर कमीशन ने भी सिफारिश की थी कि अध्यापकों की जिन्दगी बिल्कुल अनिश्चित रहती है। वे किसी भी वक्त मैनेजिंग बाडी का शिकार हो सकते हैं। चाहे कोई

अध्यापक कितना ही अच्छा काम करने वाला क्यों न हो, अगर स्कूल के मैनेजमेंट के इशारे पर नहीं चलता है तो उसकी जिन्दगी में कोई स्थिरता नहीं है । इस सेक्योरिटी को देने के लिये यह निश्चय होना चाहिये कि किसी भी स्कूल की प्रबन्धक समिति को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि मनमाने ढंग से जब चाहे किसी अध्यापक को रख ले और जब चाहे निकाल दे । इसको दूर करने के लिये कुछ प्रयत्न किया गया है और इसके लिये इंस्पेक्टर को, डाइरेक्टर को अधिकार दिया गया है । डाइरेक्टर का जो आर्डर होगा वह फायनल होगा, उस आर्डर के खिलाफ वह कोर्ट के अन्दर नहीं जा सकता । मेरा इस सम्बन्ध में निश्चित मत है कि राज्य के पैमाने पर एक बोर्ड बनना चाहिये जिसके अन्दर डारेक्टर आफ एजूकेशन हो सकता है, लेकिन जो अध्यापक एसोसियेशन बना हुआ है, उसके भी प्रतिनिधि उसके अन्दर होने चाहिये । इसके अलावा हमारे प्रदेश में जो विश्वविद्यालय हैं उनके वाइस-चांसलर्स का कोई प्रतिनिधि या सभी वाइस-चांसलर्स का एक-एक प्रतिनिधि उसमें हो । उस बोर्ड को यह भी अधिकार होना चाहिये कि वह शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह भी काम करे । शिक्षा के अन्दर जनता की भावनाओं का अधिक अच्छा प्रतिनिधित्व हो सके इसके लिये नितान्त आवश्यक है कि उस बोर्ड के अन्दर जन प्रतिनिधि हों, शिक्षा-विशारद हों, स्कूलों के मैनेजर्स के प्रतिनिधि हों और वह यह तय करें कि शिक्षा की क्या प्रणाली हो, शिक्षा कैसे जनोपयोगी बनायी जा सके ।

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---ऐसा बोर्ड है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---वह बोर्ड ऐसा नहीं है जिसके अन्दर सही लोगों का प्रतिनिधित्व होता हो । मैं जिस बोर्ड की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूं वह दूसरी रूपरेखा है । तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अध्यापकों के जीवन में जो इनसेक्योरिटी है, उसको दूर करने के लिये जरूरत है कि सरकार ठोस कदम उठाये ।

दूसरी बात, मुदालियर कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की थी कि अध्यापकों को ट्रिपिल बेनिफिट-उनको पेंशन मिले, उनके जीवन का बीमा हो और उनको प्रावीडेंट फंड मिले । इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिये, वरना अध्यापकों की जो आर्थिक दशा है, जो गिरी हुई दशा है उससे वह खुले मस्तिष्क से शिक्षा संस्थाओं में योग नहीं दे पायेंगे । यह कहने से काम नहीं चल सकता कि वह गुरू है, उसे तनख्वाह के लिये मांग नहीं करनी चाहिये और संगठन कर के मजदूरों की तरह से आवाज नहीं उठानी चाहिये । इस प्रकार के संकुचित आदर्शों से जो वास्तविकता है उसको नजरअन्दाज कर देने से काम नहीं बन पायेगा और निश्चित रूप से वह सफल नहीं हो सकते ।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जिले के स्तर पर भी, जिस तरह से राज्य स्तर पर एक एजूकेशनल ऐडवाइजरी बोर्ड का आपने प्रस्ताव रखा है,उसी तरह से जिला स्तर पर एक एजूकेशनल ऐडवाइजरी बोर्ड होना चाहिये और उसके अन्दर सारे स्कूलों के मैनेजमेंट के प्रतिनिधि हों, वहां की जो स्वशासन संस्थाएं---म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायतें हैं उनके प्रतिनिधि उसके अन्दर हों । वहां इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स भी रह सकता है, और भी जो दो शिक्षाविद् उस जिले के अच्छे जानकार लोग, जिनके अपने स्कूल के अनुभव हों, वह भी उसके अन्दर हों, उसकी संख्या ७ से लेकर ११ तक, जो भी सरकार उचित समझे, वह हो सकती है । इस प्रकार की भी एक बाडी होनी चाहिये और यही नहीं कि ऐसी एक बाडी बना दी जाय, लेकिन जो वास्तविक अधिकार हों वह इंस्पेक्टर आफ स्कूल के हाथ में हों, सरकार के हाथ में हों, और यह बाडी महज एक नामिनल बाडी हो, बल्कि यह जो समिति बने, वह जो सलाह दे उसके अनुसार ही वहां का प्रबन्ध होना चाहिये ।

सरकार ने मैनेजमेंट के लिए एक बात यह कही है कि अगर व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो सरकार ऐसे स्कूलों का रिकग्निशन छीन लेगी । मैं समझता हूं कि केवल रिकग्निशन छीन लेना और वहां के विद्यार्थियों का क्या हो, इस पर सरकार का ध्यान न जाना, खेद की बात होगी । अगर कोई स्कूल कमेटी काम नहीं कर रही है, वहां की व्यवस्था खराब है तो

[श्री चन्द्रजीत यादव]

रिकग्निशन छीन कर काम नहीं चल सकता, निश्चित रूप से उस स्कूल में व्यवस्था कायम करना सरकार का कर्त्तव्य होगा। जब तक ऐसे लोग जो अधिक क्षमता रखने वाले हों, जो सरकार को गारंटी दें कि फिर से व्यवस्था ठीक चला सकेंगे, आगे नहीं आते, तब तक सरकार को वहां का प्रबन्ध अपने हाथ में रखना चाहिये वरना विद्यार्थियों को भटकना पड़ेगा और उनका भविष्य क्या होगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं होगी। यह उचित नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे मुल्क में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में सन् १९४४ में एक ब्रिटिश एजूकेशन ऐक्ट बना था, उसमें इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जिनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये, इससे वहां के विद्यार्थियों की शिक्षा हो सकेगी और उस स्कूल की व्यवस्था सुधर सकेगी।

ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जो मैंने सरकार के सामने प्रस्तुत किये हैं और मुझे पूरी आशा है कि जब यह बिल प्रवर समिति के अन्दर जायगा तो उसको अपनी परिधि बढ़ाने का अधिकार होगा, तब इन सुझावों को ध्यान में रख कर हम एक अधिक काम्प्रिहेंसिव बिल सदन के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे।

मैं माननीय अग्रवाल जी से इत्तफाक नहीं रखता कि प्रवर समिति को अपनी परिधि बढ़ानेका अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि यह बिल इसी स्वरूप में सदन ने पास कर दिया तो फिर आइंदा १० सालों में कोई आशा नहीं है कि कोई अधिक कांप्रिहेंसिव और कम्पलीट बिल आ सकेगा। मुल्क के आजाद होने के बाद पहला काम होना चाहिये था कि सरकार जल्दी से जल्दी इस तरह का बिल लाती जिससे अध्यापकों और विद्यार्थियों की समस्याओं का हल हो सकता और शिक्षा भी उचित रूप से सुसंगठित हो सकती। इस बात को इस तरह से छोड़ देना उचित नहीं होगा।

एक बात और श्रीमन्, मुझे कहना है कि सरकार का ध्यान अध्यापकों की तरफ खिचा है और सरकार ने विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को भी माना है तो स्कूलों में एक नान टीचिंग स्टाफ भी रहता है, जैसे क्लर्क्स होते हैं, चपरासी वगैरह होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है और उनका कोई निश्चित वेतन भी नहीं होता है, इनकी व्यवस्था कुछ भी नहीं की गई है। जहां इन सारी बातों को ध्यान में लाने की सरकार ने कोशिश की है वहां सरकार को इनकी व्यवस्था भी करनी चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि यह बिल जब प्रवर समिति में जायगा तो इसकी परिधि वहां बढ़ सकेगी और वह इस बिल को अपने सुझावों के साथ वापस भेजेगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक इस प्रदेश के ऐसे विषय से संबंध रखता है जिसमें नागरिकता के निर्माण का प्रश्न है। १९२१ में जब यह ऐक्ट पास हुआ तब से अब तक ३७ वर्ष हो गये और हमारी राष्ट्रीय सरकार को भी बने दस वर्ष हो गये हैं। लेकिन इस बीच में हमारी सरकार के सामने इतनी समस्यायें आई हैं कि शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका है। यह सभी मानते हैं और शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि वह ३६ वर्ष के बाद एक छोटा सा बिल ला सके हैं और उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया है कि वह शीघ्र ही एक काम्प्रीहेंसिव बिल लायेंगे जिसमें शिक्षा की सारी समस्याओं का हल हो सके।

श्रीमन्, शिक्षा का विषय व्यापार का विषय नहीं है। अंग्रेजों ने जब शिक्षा की व्यवस्था की तो हर जिले में एक राजकीय विद्यालय था और ७०–८० प्राइवेट विद्यालय थे। लेकिन इन दस सालों के अन्दर ही आज ८०० इन्टर कालेज और ४०० हाई स्कूल हैं और उनमें २,८०० या ३,००० टीचर्स काम करते हैं। माध्यमिक शिक्षा का विषय ऐसे है जिसमें से निकल कर आदमी प्रारम्भिक शिक्षा में यानी प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक होता

है। इसका सीधा-सादा संबंध प्रारम्भिक शिक्षा से है। जिस स्वतंत्र देश में शिक्षा में गड़बड़ी है उसमें कोई भी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल सकती है।

यह सभी मानते हैं, और है भी यही, कि अभी तक माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था प्राइवेट लोगों के हाथ में रही है और जन सेवा के नाते लोगों ने इन संस्थाओं को खोला है। इस तरह से राष्ट्र की ओर से ७०-८० और समाज की ओर से १,२००-१,४०० विद्यालय खुले हुये हैं। एक मिसाल दी जा सकती है कि जंगल में बहुत से फूल खिल जायं और कोई माली न हो और यह कहा जाय कि सुन्दर फूल निकलें तो यह मुमकिन नहीं है। यह तो ठीक है लेकिन इस सम्बन्ध में गड़बड़ी यह है कि हमने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई नमूना नहीं दिया जिसमें एक ही ढांचे में यह सारी संस्थायें ढाली जा सकतीं। सांचा यदि कोई एक होता और फिर गड़बड़ी होती तब तो कहा जा सकता था, लेकिन श्रीमन्, इसमें दोष सरकार का भी नहीं है, क्योंकि सरकार के सामने बहुत सी कठिनाइयां थीं। खाने-पीने का सवाल था और यह बहुत जरूरी था। शिक्षा की तो एक लांग रेंज पालिसी होती है। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर सारा समाज विकृत हो सकता है। अभी तक जितने इंस्टीट्यूशन्स चल रहे हैं उनमें ९० फ़ीसदी प्राइवेट हैं और एजूकेशन कोड में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बहुत कम व्यवस्था है। सन् १९२१ का ऐक्ट केवल २० धाराओं का है। उसकी धारा १६ में बोर्ड को रेगुलेशन्स बनाने की पावर्स हैं और इस विधेयक के द्वारा उस धारा १६ में केवल ९ उपधारायें जोड़ी जा रही हैं। उसकी धारा ३ बोर्ड का कांस्टीट्यूशन बनाने की है। बोर्ड ३५-३६ मेम्बरों का है। उसमें से एक यह उपधारा, "वन मेंबर ईच एप्वाइंटेड बाई दि ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन" निकाली जा रही है। श्रीमन्, ३६ वर्ष के बाद इतनी कम तरमीम से हम संतोष नहीं कर सकते, अगर माननीय शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन न दिया होता कि शिक्षा की एक बहुत ही विस्तृत योजना वे लायेंगे। वह केवल माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में ही नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा तो प्रारम्भ से लेकर यूनिवर्सिटी तक मानव को बनाती है। इस लिये जब माध्यमिक शिक्षा के बारे में कोई चीज़ हो तो प्रारम्भिक और यूनिवर्सिटी शिक्षा को भी देखना पड़ेगा। इसलिये शिक्षा मंत्री के यह कहने से संतोष है कि वे कोई ऐसा बिल लायेंगे जिसमें शिक्षा के सभी अंगों पर विचार हो सकेगा।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसमें केवल ९ उपधारायें जोड़ी जा रही हैं, जिनमें केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स की, प्रबन्ध समितियों की, अध्यापकों के स्थायित्व की, उनकी नियुक्ति आदि की समस्यायें हैं। मेरे देखने में ऐसा लगता है कि यह जो व्यवस्था है उस से बहुत संतोष अध्यापकों को नहीं हो सकेगा। अध्यापक पिछले ३६-३७ वर्ष से बहुत कुछ आशा करता था और माननीय कमलापति जी ने अपने मन्त्रित्वकाल में जो कई जगह अध्यापकों के संघों में भाषण दिये उसके कारण उसकी आशायें और भी बढ़ गयी थीं।

इधर माध्यमिक शिक्षा की कार्यकारिणी की बैठक हुई और मैनेजर्स एसोसियेशन की भी बैठक हुई। दोनों के विचार अखबारों में निकले। मैनेजर्स एसोसियेशन कहता है कि हम जरा भी हाथ नहीं डालने देंगे। वे समझते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनकी जमींदारी है। जैसे जमींदार कहा करते थे कि अगर जमींदारी खत्म की गयी तो खून बह जायगा उसी तरह से ये मैनेजर्स भी कहते हैं। लेकिन शिक्षा सारे राष्ट्र का प्रश्न है। इसमें समाज के कल्याण की दृष्टि से, प्रशासन को ठीक से चलाने की दृष्टि से, सही नागरिक बनाने की दृष्टि से विलम्ब नहीं होना चाहिये। जैसे शिक्षा मंत्री ने लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयकों को पास कराया है उसी तरह से उनको इस सम्बन्ध में भी करना चाहिये। इसमें भिन्न-भिन्न संस्थायें हैं। उन्होंने अपने अलग-अलग दृष्टिकोण बना लिये हैं, इसलिये तरह-तरह की बातों को ध्यान में रख कर इसका विरोध कर रहे हैं। जब यह इतना निर्दोष विधेयक है और इसमें बहुत थोड़े क्लाजेज हैं फिर भी इसका विरोध हो रहा है तो जब व्यापक विधेयक आयेगा तो उसका तो बहुत ही वि रोध होगा। जो इस वक्त आलरेडी एजूकेशन कोड है उसमें ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। केवल इस विधेयक में इतना ही

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

प्रयास किया गया है कि उसको एक कानूनी रूप दे दिया जाय। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैनेजर लोगों का विधान सभा में ज्यादा रेप्रेजेन्टेशन रहा है। वे शिक्षा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। वे समझते हैं कि हमने सेवा संस्थायें चलायी हैं, इसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि यह प्राइवेट इस्टेट वाली मेन्टेलिटी बहुत ही हानिकारक है इससे इस राष्ट्र के लिये बड़ा भारी खतरा पैदा हो रहा है और वह समझते हैं कि हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष—पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—अच्छी बात है। इस के सिलसिले में मैं दो चार लाइनें मुदालियर कमीशन की आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। उस ने कहा है कि :

"During our tour many witnesses expressed disappointment with the present set-up of Secondary Education and referred to various defects which, in their opinion, made it wasteful and ineffective and hindered the realization of its aims and objectives. They pointed out that this education was too bookish and mechanical, stereotyped and rigidly uniform and did not cater to the different aptitudes of the pupil or to pupils of different aptitudes. Nor did it develop those basic qualities of discipline, co-operation and leadership which were calculated to make them function as useful citizens. The stress on examinations, the over-crowded syllabus, the methods of teaching, and lack of proper material amenities tended to make education a burden rather than a joyous experience to the youthful mind."

इस तरह से श्रीमन्, उन्होंने इसकी अनुपयोगिता बतायी है। इतना ही नहीं, १९४० में सर जे० सी० पावेल प्राइस डाइरेक्टर आफ एजुकेशन थे। उन्होंने भी १९३६ में जो कमेटी बनी थी उसमें कुछ सुझाव दिये थे। लेकिन वार के कारण वह इम्प्लीमेंट न हो सके। उस के बाद एक कमटी बनी, उसकी कुछ सिफारिशें आई जिसमें उन्होंने टीचर्स के लिये छुट्टियों की व्यवस्था आदि में कुछ सुधार किये। फिर आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने १९५३ में अपनी रिपोर्ट दी और मुदालियर कमीशन ने १९५४ में। फिर एक इन्टरनेशनल टीम आई और उसने बताया कि शिक्षा की क्या व्यवस्था हो। रघुकुल तिलक बेटर मैनेजमेंट कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें पेश कीं। इसके बाद जो यह धारा १६ है उसमें स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात है। इसमें मैं समझता था कि हमारा प्रशासन कोई अच्छी स्कीम देगा कि जिसमें एक कामन पैटर्न होगा और जिसमें सबको फिटइन करना पड़ेगा, लेकिन उस दिन शिक्षा मंत्री जी को सुनने के बाद मुझे निराशा हुई। अगर मैनेजमेंट की जितनी कमेटीज हैं वह एग्जिस्ट करती रहें और पैटर्न वही रहे तो उसमें सुधार ही क्या हुआ? उन्होंने अपने ढंग से एक क्रम बना रखा है। इस पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी अपनी सिफारिशें जून, १९५७ में शिक्षा मंत्री के यहां भेजी थीं और उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि हमारी जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन हो वह एक प्रदेशीय स्तर पर एक ढंग की हो जिसमें सरकार तय कर दे कि कमेटीज की यह ब्राड आउटलाइन्स हों और जो इंस्टीट्यूशन्स चलाना चाहते हैं वह उसे इस ढंग पर चलायें और उसमें डिटेल्स वह खुद वर्क आउट करें।

दूसरी व्यवस्था इंस्पेक्टर को पावर देने की है। इंस्पेक्टर नियुक्ति के बाद और डिस्मिसल के पहले स्वीकृत देता है। इसमें कोई नयी बात नहीं है। बहुत सी पावर्स दी हुई हैं, बहुत से जी० ओ० हो चुके हैं कि जिनके आधार पर स्वीकृति लेनी पड़ती है, लेकिन इतने से ही अध्यापक की दशा नहीं सुधरेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन पर संयुक्त प्रवर समिति में विचार किया जाय और इस पर विचार किया जाय कि किस प्रकार से संस्थाओं को चलाया जाना चाहिये। वह काम सेवा भाव से किया जाना चाहिये। उस में कौन रहे और कौन न रहे, इसको सोचना होगा और प्रशासन को बहुत मजबूती के साथ कदम उठाना पड़ेगा।

हमारे शिक्षा मंत्री जी दृढ़ व्यक्ति हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको देखें। ४०,००० टीचर्स जहां काम करते हों और जहां आपने यह फैसला किया हो कि जो जेल गये हैं उन्हीं को आप मानते हैं कि आन्दोलन में भाग लिया, बाकी को नहीं मानते तो वास्तव में बात ऐसी नहीं है। अध्यापकों ने इतिहास और भूगोल पढ़ा कर विद्यार्थियों में इस विद्रोह की भावना पैदा की कि जिसके कारण ही १९४२ में हमारे विद्यार्थी उठे और उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिये। इसलिये एक अध्यापक हजारों का नेतृत्व करता है। आज उसके मन में असंतोष है। समाज में भी कठिनाइयां हैं। तरह-तरह की संस्थायें उसका तरह-तरह से उपयोग करना चाहती हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी अगर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और मुझे विश्वास है कि वह निश्चय ही होंगे, वह अध्यापक रह चुके हैं, उनकी दिक्कतों को जानते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करुंगा कि जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह एक कंप्रिहेंसिव बिल यहां लायेंगे, वह ला कर इन दिक्कतों का निराकरण करें। मैं यही निवेदन करूंगा कि यह बिल बिलकुल निर्दोष है।

जितनी भी शिक्षा संस्थायें चल रही हैं उनके विषय में जो जी० ओ० निकाले गये हैं, इस समय उन पर विवाद करना सदन के समय को बरबाद करना होगा। इसलिये मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सन्मुख आज जो विधेयक प्रस्तुत है उस पर काफी विवाद हो चुका है। सरकार ने स्वयं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये मांग की है। विरोधी पक्ष के ऊपर चाहे कितना लान्छन क्यों न लगाया जाय, लेकिन गौरीशंकर राय जी ने इसमें एक संशोधन दिया है कि प्रवर समिति को इसके परिधि बढ़ाने का भी अधिकार दिया जाय। सिर्फ इतनी हमारी मांग है कि इस विधेयक को आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, लेकिन उसके सदस्यों को यह अख्तियार भी हो कि वह इसकी परिधि बढ़ा सकें। दुख है कि सरकार की ओर से हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया।

किसी विधेयक के पेश करने से पहले उसकी प्रस्तावना और कारण व उद्देश्यों पर ध्यान देना आवश्यक होता है और वह उस विधेयक की पृष्ठभूमि होती है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसमें लिखा हुआ है कि "इस राज्य में माध्यमिक शिक्षा इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ द्वारा जो ३५ वर्ष पूर्व बनाया गया था तब से शिक्षा संस्था के क्षेत्र में प्रचुर वृद्धि हुई है", शिक्षा संस्थाओं में काफी वृद्धि हुई है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन जरा ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इन शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा संस्था न कहकर व्यापारिक संस्था कहा जाय तो उचित होगा। आज इन संस्थाओं के नाम पर कुछ लोगों ने व्यापारिक संस्थायें खोल रखी है। मैं फिरोजाबाद का उदाहरण आप के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। फिरोजाबाद में ५ इंटरमीडियेट कालेज लड़कों के लिये हैं और एक लड़कियों के लिये है, लेकिन वहां हर इन्टरमीडियेट कालेज में क्या होता है? मैंने स्वयं एक बार पत्रों में इसको प्रकाशित कराया था और शिक्षा मंत्री जी के पास भी भेजा था। आज मैं इसको सदन के सामने रखना चाहता हूं। वहां पर अध्यापकों को नौकर इस बात के आधार पर किया जाता है कि यदि नये वर्ष में ३० विद्यार्थी इस शिक्षा संस्था में वह प्रविष्ट करा सकें तो उसको नियुक्त किया जायगा। आप यह देखिये कि एक अध्यापक काफी योग्य है, दूसरा अध्यापक जो अयोग्य है उसके मुकाबले में, लेकिन उस योग्य अध्यापक को नियुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि वह विद्यार्थियों को प्रविष्ट कराने का कोटा पूरा नहीं कर पाता है। अयोग्य अध्यापक जब कोटा पूरा कर देता है तो उसको नियुक्त किया जाता है। आज आप यह देखें कि उन शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति निर्धारित कोटे के आधार पर होती है और विद्यार्थियों को प्रवेश कराने पर होती है।

दूसरी चीज मैं आपको यह बतलाऊं कि बहुत से प्रबन्धक यहां पर बैठे हुये हैं। आज उन्होंने अपना एक भ्रष्टाचार का तरीका अपना लिया है। वे हमारे प्रबन्धक सरकार से विभिन्न प्रकार की ग्रान्ट लेते हैं। फर्नीचर के नाम पर, लायब्रेरी के नाम पर, बिल्डिंग के नाम पर और शिक्षा के नाम पर, लेकिन जब बिल और वाउचर सरकार को पेश किया जाता है तो कुछ बढ़ाकर उसमें रुपया

---

* वक्ता ने भाषण, का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

दिखाया जाता है । हरएक इस बात का प्रयत्न करता है कि उसमें से कुछ रुपया बचा ले । उसमें एक हजार की जगह २ हजार रुपया का बिल और वाउचर सरकार के पास भेजा जाता है । असल में होता यह है कि सामान ८०० या ९०० का ही लिया जाता है । तो मैं सरकार से यह बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं में प्रचुर वृद्धि तो हुई है, लेकिन कोई प्रबन्धक इस बात का प्रयत्न नहीं करता कि वह अपने कोटे को, अपने हिस्से के रुपये को वसूल करने का प्रयत्न करे, बल्कि वह सरकार की ग्रान्ट द्वारा ही उन शिक्षा संस्थाओं को चलाते हैं और अध्यापकों से वे लोग त्याग करवाते हैं । एक अध्यापक की नियुक्ति १५० रुपये पर होती है और १५० रुपये पर ही उससे हस्ताक्षर कराये जाते हैं, लेकिन वास्तविक वेतन उसको ८०, ९० या १०० रुपया ही दिया जाता है । इस प्रकार यह प्राइवेट शिक्षा संस्थायें भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं । जब विद्यार्थियों को लाने का प्रयत्न किया जाता है तो जो विद्यार्थी दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, उसको माध्यमिक विद्यालयों की छठवीं कक्षा में प्रवेश करा दिया जाता है फिर कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है । अगर इस प्रकार से दूसरे तीसरे दर्जे के विद्यार्थियों को छठीं कक्षा में दाखिल करा दिया जायगा तो फिर क्या होगा ? क्या हमारी सरकार, जो इस प्रकार से शिक्षा संस्थाओं में भ्रष्टाचार होता है, उसको रोकने का कोई उपाय करेगी ?

अध्यापकों के बारे में एक बात बता दूं । इस विधेयक के सदन में आने से पूर्व आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने सभाओं में कहा था कि वे इसी अधिवेशन में माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के बारे में कोई ऐसा विधेयक ला रहे हैं जो अध्यापकों के वेतन में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेगा । इस प्रदेश के अध्यापक उसकी आशा लगाये बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे । प्रतिदिन किसी न किसी संस्था के अध्यापक मेरे पास आते थे और मुझसे उस विधेयक की प्रति के बारे में पूछते थे जो कि माननीय मंत्री जी सदन में प्रस्तुत करने वाले हैं । १ दिसम्बर, १९५७ को हमारे पास इस विधेयक की प्रति पहुंची और असाधारण गजट भी पहुंचा । मैंने इस विधेयक की प्रतियां अध्यापकों को दीं । उन्होंने इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा और अन्त में निराश होते हुये विधेयक की प्रति मुझे लौटाते हुये कहा कि हमें इससे बहुत-बहुत आशायें थीं, लेकिन इसमें कोई नयी चीज नहीं है ।

जहां तक अध्यापकों के स्थायीकरण की बात है, उसके लिये जो नियम पहले से बने हुये हैं उन्हीं में यह विधेयक कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तब्दीली करता है । यह कहा जाता है कि इस विधेयक के द्वारा अध्यापकों की नौकरियों के लिये कुछ गारंटी अवश्य रखी गयी है, लेकिन अध्यापकों के वेतन के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

हमारे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन् ने गतवर्ष कहा था कि समान योग्यता वाले अध्यापकों और राज्य कर्मचारियों के वेतनों में बहुत अन्तर है । यही कारण है कि लोग सर्वप्रथम सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । जब वे सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में विवश हो जाते हैं तब उन्हें अध्यापकों का जीवन स्वीकार करना पड़ता है । यदि आज हमारे देश में इस तरह का क्रान्तिकारी परिवर्तन करा दिया जाता है कि अध्यापकों और समान योग्यता वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कोई अन्तर न हो यानी एक एस० डी० एम० को अगर ७०० रुपया मासिक वेतन मिलता है तो समान योग्यतावाले अध्यापक को भी वही वेतन मिलना चाहिये फिर वह एस० डी० एम० बनने का कभी प्रयत्न न करेगा । लेकिन हमारे यहां सरकारी अधिकारियों और समान योग्यता वाले अध्यापकों के वेतन में जमीन आसमान का अंतर है । यही कारण है, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि दिसम्बर, जनवरी या जुलाई में अध्यापक भाग जाते हैं। हर व्यक्ति ऊंची आकांक्षा रखता है, उच्च आदर्श रखता है, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न करता है, यदि अध्यापक भी ऐसा करते हैं तो क्या दोष करते हैं । मेरा निवेदन है कि हमें इस तरह का प्रयत्न करना चाहिये जिससे अध्यापकों के वेतन में वृद्धि हो ।

श्रीमन्, इस विधेयक की परिधि बढाने का एकमात्र उद्देश्य यही है तथा इसके साथ ही साथ यह भी कि उनकी नौकरियों की सुरक्षा और गारंटी हो । इन शब्दों के साथ, इसकी परिधि बढाने का जो प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, इस बिल के सम्बन्ध में अपने विचार रखते समय मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि कुछ बातों को स्पष्ट रूप से रखूं। मुझे इस बिल के उद्देश्य और कारण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना है। उसमें ये शब्द आये हैं "राज्य में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान के प्रतिमान एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अनुशासन और कार्य में संलक्षहीनता आ गयी है"। उसका भाव है कि अनुशासन में बहुत पतन हुआ है जिसको अंग्रेजी में मेंटिनेंस आफ स्टैंडर्ड कहते हैं। मैं थोड़े में इधर आप का तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करूं कि शिक्षा के विशेष तौर पर तो तीन अंग हैं ही, विद्यार्थी, शिक्षक और प्रबन्धक। यद्यपि उद्देश्य में इस बात का निर्देश है कि हम विद्यार्थियों के स्टैंडर्ड के एटेनमेंट के बारे में कुछ सोच सकते हैं, किन्तु मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि अध्यापकों की सेवा की भी कोई उचित व्यवस्था की जाय। इसका उल्लेख विशेष तौर से किया गया है किन्तु यह भी कहा गया है कि इन अध्यापकों के साथ-साथ उन प्रबन्धकर्ताओं से सामंजस्य रखने का भी प्रयत्न किया गया है। तो मैं यों कहूंगा कि इन तीन बातों का उल्लेख होते हुये भी सिर्फ एक बात का प्रयास किया गया है कि अध्यापकों के लिये उचित व्यवस्था की जाय ताकि अध्यापक वर्ग और प्रबन्धकर्ताओं के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सके।

मैं थोड़े में आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं कि इस संशोधन विधेयक में सचमुच ही विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कोई बात नहीं है। विधेयक का नाम तो इन्टरमीडियेट एजूकेशन बिल है यानी यह माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में है। लेकिन यह बिल माध्यमिक शिक्षा वर्ग के सम्बन्ध में नहीं है जैसा कि उसके नाम से दिखलायी देता है, और आज दिन भर विवाद को सुनने के बाद मैं यह महसूस कर पाया कि माननीय सदस्यों द्वारा बिल के अन्दर माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों की सेवा के सम्बन्ध में, निरीक्षक या निरीक्षण के सम्बन्ध की बातें रख कर केवल अध्यापकों की ही बातें कही जाती हैं। आज हम सब इस पर विचार कर रहे हैं; मैं स्पष्ट कहूं कि शायद यह हाउस समझता नहीं है कि मैं यहां अध्यापक के नाते नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं अध्यापक हूं और रहा, किन्तु अध्यापक होते हुए भी मैं अपने को मानता हूं कि मैं विद्यार्थियों का प्रतिनिधि हूं। इसमें वास्तविकता भी है कि न मैंने अध्यापकों से कोई व्यक्तिगत सहायता ली और न उनकी संस्थाओं से सहायता ली, और यदि मैं यह कहूं कि मुझे बहुत कम सहायता अपनी पार्टी से भी मिली तो कोई गलत नहीं होगा। यदि मैं कहूं कि सचमुच अगर मुझे कुछ प्रेरणा मिली तो वह विद्यार्थियों की ओर से मिली और उन्हीं की इच्छा और सहयोग से मैं यहां पहुंचा हूं। इसलिये मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि उन विद्यार्थियों की करुण कहानी की थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूं।

मैं अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इंटरमीडियेट एजूकेशन की बातें करते समय केवल उन थोड़े से अध्यापकों की बातें ही न सोचें, वे केवल उनके और प्रबन्धकर्ताओं के बीच सामंजस्य ही स्थापित करने की बात न सोचें बल्कि उन ६, ७ लाख विद्यार्थियों की बातें भी सोचें जो कि हमारे १६, १७ सौ विद्यालयों में फैले हुए हैं। कुछ ने अध्यापकों की बात कही, कुछ ने प्रिंसिपल्स की बात भी कही, लेकिन केवल एक माननीय सदस्य, श्री गोविन्द सिंह ने विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। उनकी बातों को मैंने ध्यान से सुना, लेकिन वे बातें भी वही थीं जो पहले कमेटियों में कही जा चुकी हैं और उन्हीं को उन्होंने दोहरा दिया। जैसे, विद्यार्थियों और अध्यापकों में कंटेक्ट हो, विद्यार्थियों के लिये काफी वाचनालय हों, उन्हीं को उन्होंने दोहरा दिया; किन्तु मैं उनसे प्रार्थना करूं और अन्य सदस्यों से भी कि मैं विद्यार्थियों के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह माध्यमिक शिक्षा उनके लिये उपयुक्त है? यदि है, तो आप उनकी दो बातों पर ध्यान दें। क्या इस शिक्षा से विद्यार्थी संतुष्ट हैं? क्या इस शिक्षा से विद्यार्थियों के लिये अच्छे परिणाम निकल रहे हैं? संतुष्टि के बारे में स्वयं उद्देश्य में कहा गया है कि उनमें अनुशासन की कमी हो गयी है। सरकार इस बात को मानती है, प्रत्येक सदस्य इस बात को मानता है कि उनमें संतोष नहीं है। तो इसका क्या कारण है? क्या उनका दिमाग बिगड़ा हुआ है, या जन्म

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

से ही वे उच्छृंखल हैं? उनमें असंतोष होने का कारण कुछ और ही है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उस कारण को रखूंगा।

दूसरे, इन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में अगर जांच कर सकें तो यह देखना है कि इस शिक्षा का परिणाम उनके प्रति क्या है। परिणाम यह है कि आज विद्यार्थियों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ४० और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ६० है। इन दोनों रूपों से यह पता लगता है कि न तो विद्यार्थी संतुष्ट है और न इस शिक्षा से उनके प्रति अच्छा परिणाम निकल रहा है। क्या वजह है कि आज हम शिक्षकों के वेतन को बढ़ा कर, उन्हें संतोष दिला कर यह समझते हैं कि विद्यार्थियों के प्रति न्याय कर रहे हैं। आप समझ लें, देख लें, मान लें, आपने इन विद्यार्थियों की समस्या को तनिक छुआ भी नहीं है, उस समस्या का सोचा तक नहीं है। बड़े-बड़े विद्यार्थियों की बात करने वाले, माननीय गोविन्द सहाय, माननीय जगदीशशरण अग्रवाल, जब कभी खड़े होंगे मालूम होता है कि विद्यार्थियों की तरफ से बात करने के लिये खड़े हुए हैं। लेकिन मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि इन व्यक्तियों का सारा ज्ञान यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों तक सीमित है, जिन में वे घूमे हैं। क्या वह माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में भी गये हैं? वह ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थी, आज सौजन्यपूर्ण, अनुशासनपूर्ण और अपने अध्यापकों के प्रति आदरभाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनमें अनुशासनहीनता कतई भी नहीं है। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को हमने देखा है? आपने देखा ही नहीं है। उन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उनकी प्रशंसा क्या करूं, उन्होंने कांग्रेस में रह कर सेवा के बड़े कार्य किये हैं। आज उनके ऊपर शिक्षा का भार है। लेकिन उस भार को वह कहांतक संभाल पा रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। यह शिक्षा विभाग माननीय शिक्षा मंत्री हरगोविन्द सिंह के पास पांच साल तक रहा। बड़ी-बड़ी आशायें बंधीं। लेकिन पांच साल के बाद खोदा पहाड़ और चुहिया भी नहीं निकली। आज माननीय शिक्षा मंत्री को एक पूरा साल हो गया है, और एक छोटा सा बिल आया है इस आशा को लेकर कि एक कांप्रीहेंसिव बिल आयेगा। इसमें नयी बात क्या है? एक बेटरमेंट कमेटी बनी थी, ११ साल के बाद उसकी एक आध चीज रख दी, पावेल कमेटी, मुदालियर कमेटी सब की खिचड़ी बटोर कर आप ले आये और यह कहा कि मैं अध्यापकों की समस्याओं को सुनूंगा, उनकी बातें सुनेंगे। बड़ी-बड़ी बातें कीं, बड़ी-बड़ी सुन्दर आशायें बंधायीं लेकिन प्रत्यक्ष जब देखने लगता हूं तो कुछ नहीं। उनके ज्ञान के प्रति मैं नत मस्तक हूं। मुझे एक दिन किसी सेलेक्ट कमेटी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें शिक्षा सम्बन्धी विवाद हो रहा था। श्रीमन्, शिक्षा मंत्री किसी सेक्रेटरी से पूछने लगे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी बड़ा होता है या डिप्टी सेक्रेटरी?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत तारीफ इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहियें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैंने पहले ही क्षमा मांग ली, मैं उनकी विद्वत्ता का आदर करता हूं। लेकिन मुझ सरीखे को यह देखने का अवसर मिला कि जो शिक्षा के मंत्रित्व का भार संभाले हुये हैं, जो इस प्रान्त की सात करोड़ जनता में सात लाख विद्यार्थियों का भाग्य विधाता हो उसको अपने शिक्षा विभाग की छोटी-छोटी बातों का भी पता न हो।

आज विद्यार्थियों के भाग्य का निर्णय करने वाले उस बोर्ड का कांस्टीट्यूशन देख कर हमें आश्चर्य होता है। यह बोर्ड सी० वाई० चिन्तामणी ने बड़ी आशा के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शक्ति लेकर स्थापित किया था। उस बोर्ड का कांस्टीट्यूशन संक्षेप में बताना चाहता हूं। उसमें ३६ या ३९ मेम्बर होते हैं। उनमें से ९ ऐसे हैं जो इलेक्टेड होते हैं और बाकी २४ सदस्य ऐसे होंगे जो नामीनेटेड होंगे। गौरीशंकर राय जी ने जैसा एक दफा कहा था कि वहां तो एक सेक्रेटरी एक्स चेयरमैन जो डाइरेक्टर है, उसका एक गुट है, नामीनेटेड परसन्स का गुट है जो शिक्षा को हाथ में हथियाये हैं। कहां है इलेक्टेड बाडी यह, जिसमें जनतान्त्रिक बातें आ सकें? सन् १९२१ से आज तक लदा हुआ है। लेकिन बार-बार अच्छी आशायें दिलाने पर भी उसमें

हेरफेर नहीं हो सका। सेक्शन 'आ' बदल दिया गया है। श्रीमान् जी, यह भी सोचिये, आपने सेक्शन 'आ' तो हटाया उसी के बीच में दूसरा सेक्शन रख देते कि यह जो ३३ हजार अध्यापक हैं उनका भी कोई नुमाइदा उसमें पहुंचना चाहिये, मेरा मतलब उन ३३ हजार असिस्टेंट टीचर्स से है जिनका एक भी नुमाइन्दा नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष—आपने एक प्रस्ताव रखा था जिसको मैंने इजाजत नहीं दी थी। आप स्वयं १५ मिनट से ज्यादा बोल रहे हैं। संक्षेप में आप दो, तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे तो अपने भाव व्यक्त करने के लिये समय चाहिये। आप या तो मुझे पूरा मौका दें वरना मैं बैठ जाऊं। इस सदन में आ करके प्रवचन तो बहुत मैंने सुने, उधर से भी, इधर से भी, और शिक्षा सम्बन्धी बड़े कनवोकेशन ऐड्रेसेज, कोटेशन्स, कमीशन्स और कमेटीज के बड़े-बड़े आंकड़े सुनते-सुनते जी उकता चुका है इसे समझना मेरे लिये मुश्किल है। मैं तो सीधी सी बात जानता हूं कि इस बोर्ड का निर्माण इस प्रकार का है जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। नामिनेटेड और एलेक्टेड मेम्बरों के साथ इसमें एक क्लाज यह भी है कि माइनारिटीज का रिप्रजेन्टेशन भी होना चाहिये। बताइये सेपरेट एलेक्टोरेट संविधान ने इनकार कर दिया लेकिन यहां तब भी माइनारिटी का रिप्रजेन्टेशन होगा। एक धारा यह भी मौजूद है कि इसके साथ-साथ नार्थ इंडिया चेम्बर आफ़ कामर्स का प्रतिनिधि होना चाहिये लेकिन इन सब की आड़ में यहां गुटबन्दी होती है। कुछ दिन राज चला परिपूर्णानन्द जी का, कुछ दिन चला डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप का, यह बोर्ड का निर्माण ....

श्री उपाध्यक्ष—ऐसे लोगों का नाम आप न लें जो यहां नहीं हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैंने नाम नहीं लिया। ऐसे-ऐसे गुट चल रहे हैं जो भाग्य विधाता हैं। आज भी हेड ऐग्जामिनरशिप, ऐग्जामिनरशिप दे करके अपने पक्ष को बढ़ा रहे हैं। यह बोर्ड सिलेबस बनाता है, स्क्रूटिनी कमेटी बनाता है, कोर्स कमेटी भी बनाता है।

एक बात यह कहना चाहता हूं स्क्रूटिनी कमेटी के बारे में कि विद्यार्थी जब कभी नकल करते पकड़े जाते हैं तो उनकी जांच करते-करते सवा साल लगता है। दूसरे साल जब उसे फिर बैठने का समय आता है और वह आवेदन पत्र देता है यह जानने के लिएकि वह बैठे या नहीं, तो वहां से जवाब आता है कि इसकी जांच हो रही है।

यह कोर्सेज कमेटी जो है यह आज तक यह न तय कर सकी कि अंग्रेजी को आप्शनल रखे या कम्पलसरी। एक बार आप्शनल करते हैं, दूसरी बार फिर कम्पलसरी कर देते हैं। कहते हैं कि बिना अंग्रेजी के शिक्षा पूरी नहीं होती। आज जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अंग्रेजी से अप्रियता पैदा हो गई है तब अंग्रेजी से भी प्रेम नहीं रखना चाहिए, यह मानते हुए भी आप अंग्रेजी को चलाये जाते हैं, यह देखते हुए भी कि ६० फीसदी हर साल अंग्रेजी में असफल होते हैं; क्योंकि उस कोर्सेज कमेटी में तो वही लोग भरे हुए हैं जिनकी नस-नस में अंग्रेजी भरी हुई है, जो अंग्रेजी के बिना कोई वाक्य बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनसे हम यह आशा करें कि वह अंग्रेजी को बदलेंगे ?

उसी बोर्ड के अन्दर और दूसरी कमेटीज भी हैं। एक रिकग्निशन कमेटी है। यह एक ऐसी लेने देने वाली कमेटी है कि अगर हमारे साथ रसूक रखो, डाइरेक्टर साहब को ऐनिवर्सरी पर बुलाते रहो, चीफ मिनिस्टर साहब को या मिनिस्टर साहब को ऐन्युअली सैल्यूट दिलाते रहो, तो तुमको ग्रान्ट मिलती रहेगी। मैं इस हाउस में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह लेने देने का काम खुले आम इस बोर्ड की कमेटीज में होता है।

बोर्ड एक नियम बनाता है कि प्राइवेट विद्यार्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब प्राइवेट विद्यार्थी वही तो होंगे जो गरीब होंगे और चाहते होंगे कि किसी तरह अपने जीवन निर्वाह के योग्य हो जायं। वह कहीं से मांग कर या किसी तरह किताब इकट्ठा करते हैं, इम्तहान देने

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जाते हैं। अब पहले साल तीन लाख विद्यार्थी बैठे। तो फिर यह नियम बन गया कि प्राइवेट विद्यार्थियों को रोक दो। पहले तो इजाजत थी कि प्राइवेट विद्यार्थी कोई हलफनामा लगा दे और अपनी उम्र २८ से २३ साल कर दे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दूसरे साल नियम बना दिया गया कि नहीं प्राइवेट विद्यार्थी ज्यादा नहीं आने चाहिए। तीन लाख से ढाई लाख की तादाद उनकी हो गई। अब उनका प्रबन्ध हो नहीं पाता। अध्यापक धमकाये जाते हैं, पुलिस इमदाद के लिए है नहीं। वह विद्यार्थी देखते हैं कि यहां तो थर्ड डिवीजन की कोई पूछ है नहीं, फर्स्ट डिवीजन और सिफारिश के बल पर नौकरी मिल सकेगी लिहाजा इम्तहान में डिग्री या डिप्लोमा लेने से ही काम चलेगा, इसलिए वह जान हाथ में लें लेते हैं।

आज इस तरह हम बोर्ड को सुधार नहीं सकते हैं। अभी मंत्री जी के दिमाग में यह है। लेकिन आप सोचिए कि अध्यापकों को वेतन देकर आप विद्यार्थियों को संतुष्ट कर लेंगे? वह विद्यार्थी भी सुनेंगे कि इंटरमीडियेट बिल पेश है और उसमें सुधार होने वाला है। जब वह सुनेंगे कि स्कीम बन चुकी है अध्यापकों के लिए तो उनको कितनी आशा होगी इससे? समझ में नहीं आता कि यह सुधार है, इसको हम स्वीकार करें या इन्कार करें? खन्दक से कूदो, खाई में जाओ, ऐसी ही दशा है। अगर मैनेजमेंट कमेटी का कंट्रोल कम हो तो इंस्पेक्टर का बढ़े। मालूम होता है हमारे इंस्पेक्टर बहुत सुन्दर होकर के आयेंगे। मैनेजमेंट कमेटी और इंस्पेक्टर दोनों में से कोई भी इसके योग्य नहीं है। एक तो व्यापारिक संस्था है और दूसरा आटोक्रेटिक रूल का अवतार है। दोनों में से किसी को चिन्ता नहीं है कि वास्तविक शिक्षा किस प्रकार से दी जाय।

मैंने बड़े ध्यान से देखा इस हाउस के अन्दर कि क्या उन विद्यार्थियों की पुकार सुनाने वाला भी कोई यहां है? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी पक्ष की बात तो मैं क्या कहूं, किसी दिन हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे तो डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी न मालूम कितने हैं, आठ-आठ डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी सब मौजद हैं लेकिन आज तक इस अमेंडमेंट के लिए कोई सोच न सका, एक मिनिस्ट्री खत्म हुई, दूसरी मिनिस्ट्री...

श्री उपाध्यक्ष--माननीय अवस्थी जी, आप बार-बार दुहरा रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं रकीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें कोई आइडियल बात नहीं है। वही जो रवैया चल रहा है उसी में कहीं-कहीं हेर फेर करेंगे। डाइरेक्टर साहब कहीं हेरफेर कर देंगे और रद्दोबदल करके अपना काम चलायेंगे। आप एक आदर्श रकीम बनाते। मैं आपका ध्यान १६ जी (२) की तरफ दिलाता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है:-

"Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub section (1) the Regulations may provide for—"

इसमें जो पावर्स दी हुई है उसी प्रकार की पावर्स ओरिजिनल ऐक्ट की धारा १५ के सब सेक्शन २ में दे रक्खी हैं जो इस प्रकार हैं:

"In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power the Board may make regulations providing for all or any of the following matters—"

तो यह धारा १६ बिल्कुल रिडंडेंट है। इसमें भी वही रेगुलेशंस करने की बात है जिस प्रकार कि धारा १५ में है। आप एक चीज बनाना चाहते हैं लेकिन उसे ठीक से सोच नहीं सकते। सिर्फ अध्यापकों को राजी करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के अध्यापक राजी कर लिए गये, सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापक राजी कर लिए गये। विद्यार्थी चाहे गड्ढे में जायं। बस यह कह दिया कि बड़ा इनडिसिप्लिन है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इनके साथ अन्याय आप ने किया तो एक दिन नहीं रुक पाइयेगा। उनके प्रति हमको बड़ा आभारी होना चाहिये। सन् ४२ में हमने जो कुछ दिखलाया है वह सब इन विद्यार्थियों की ताकत पर

ही दिखाया है। आज हम उनको भूल बैठे हैं। सिर्फ अध्यापकों को राजी करना चाहते हैं और वह भी चन्द टुकड़े दे कर। मैनेजिंग कमेटी और इंस्पेक्टरों के बीच में एक द्वन्द छेड़ कर आप अध्यापकों से यह कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। यह इंटरमीडियेट अमेंडमेंट बिल विद्यार्थियों के लिए आया है तो उनके लिए सोचना भी आप का कर्त्तव्य होना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो शिक्षा के विशारद हैं ही। क्या उन्होंने कभी यह भी सोचा है कि विद्यार्थी उनकी तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं और आज अगर वे चूक गये और वे उनके हृदय से हट गये तो उनको ही नहीं, कांग्रेस संस्था को भी वे अपने दिलों से हटा देंगे, चाहे फिर आप कितनी ही यूथ कान्फ्रेन्सेज बुलाइये और हजारों रुपया खर्च कीजिये और खूब मिठाइयां खिलाइये। शहर के विद्यार्थी तो भले ही आप के भुलावे में आ जांय लेकिन ग्रामीण विद्यार्थियों का क्या होगा जिन्होंने लखनऊ देखा तक नहीं है, जिन्होंने आप को नहीं देखा, जिनको केवल आपकी शिक्षा मिल रही है। वह विद्यार्थी जब फाइनल एग्जामिनेशन में बैठता है तो थर-थर कांपता है। उसे शिक्षा ऐसी मिलती है जो ग्राह्य नहीं। शिक्षा उसको इस प्रकार मिल रही है कि रट-रट कर वह इम्तिहान में बैठता है और उसकी वही स्थिति होती है जैसे कसाई के आगे गाय कटने को खड़ी हो। विद्यार्थी इम्तिहान से डरता है। यह शिक्षा न तो उसको ग्राह्य है और न उसके लिये सामयिक है। उसके लिये आप इस किस्म का सुधार का बिल ला रहे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय अवस्थी जी, आप विद्यार्थियों की समस्याओं पर काफी बोल चुके हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे काफी बातें कहने का आपने मौका दिया। शेष बातें जो रह गई हैं वे मैं शिक्षा बजट जब आयेगा तब रखूंगा।

स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा भुवाली सैनिटोरियम की परामर्शदात्री समिति के निर्वाचन के संबंध में जानकारी

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता था वह यह कि आदरणीय सदन के इस सेशन में यू० पी० हेल्थ बोर्ड और भुवाली सैनिटोरियम ऐडवायजरी बोर्ड का चुनाव होना था, उसके विषय में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय अध्यक्ष ने नाम वापसी की तारीख जो आज ३ बजे तक थी उसे अगले सेशन में पहले ७ दिन के अन्दर नाम वापसी के लिये बढ़ा दी है।

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

*श्री कैलाश प्रकाश--इस सदन में इस विधेयक के विषय में जो विचार विनिमय हुआ वह मैंने बहुत ध्यान से सुना। प्रस्ताव यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। बहुत से माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको मैंने सुना। इन विचारों से प्रवर समिति को और माननीय सदस्यों को लाभ होगा। जब यह विधेयक प्रवर समिति में पेश होगा तो जो कमी इसमें रह गई है, प्रवर समिति उस पर विचार करेगी और उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेगी। मैं चाहता था कि जो बातें विधेयक के विषय में कही गयीं, या शिक्षा के स्तर को उठाने के विषय में कही गयीं, उन पर कुछ अपने विचार व्यक्त करता, किन्तु समयाभाव के कारण वह मैं न कर पाऊंगा और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे।

हमारी इच्छा है कि यह विधेयक शीघ्र ही पारित हो, इसलिए अधिक समय के लिए माननीय सदन के समक्ष इसको रखना कुछ आवश्यक नहीं है और इसलिये मैं बहुत समय भी नहीं लूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

प्रश्न दो हैं। एक यह बात कही गयी है कि इस विधेयक को जनमत के लिए घुमाया जाय। मैं दोहराना नहीं चाहता, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि माध्यमिक शिक्षा के विषय में कितना विचार हो चुका है। इस प्रदेश में भी समितियां बैठी हैं और देश में भी कमीशन नियुक्त हुए हैं। आज भी सेकेंडरी एजूकेशन कौंसिल है, वह सतत इस विषय पर विचार करती रहती है कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर किस तरह से ऊंचा किया जाय। जितनी ये कमेटियां या कमीशन बैठे हैं, और बातों में चाहे मत-भेद रहा हो, और कुछ बातों में विभिन्न मत प्रदर्शित किये गये हों, किन्तु एक बात में सब ही सर्वसम्मत रहे हैं कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिए, शिक्षक को उसके पद पर आरूढ़ करना आवश्यक है। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सेवा और पवित्र कार्य करते हुये सुरक्षित हो सके और जो वेतन उसको मिलता है वह समय से और पूरा उसको मिल जाय। माननीय सदस्य जो सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने भी शिक्षक की दशा का और कुछ माध्यमिक विद्यालयों का चित्र खींचा। वह सब इस बात की दलील है कि जो विधेयक इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसको शीघ्राति-शीघ्र पारित किया जाय। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ माननीय सदस्यों को इस विधेयक में यह बात दिखलाई नहीं दी कि शिक्षक का इससे कोई फायदा हो सकता है। मैं पूरी धाराएं पढ़ कर माननीय सदन का समय नहीं लेना चाहता, किन्तु इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य यदि कोई कहा जा सकता है तो वह यह है कि शिक्षकों की दशा सुधारी जाय और जितनी धाराएं अधिकांश में यहां रखी हुई हैं उन सब का वही उद्देश्य है। इस कारण, क्योंकि कोई विभिन्न मत नहीं है, क्योंकि जितनी कमेटियां और कमीशन बैठे हैं, उन सब ने प्रदेश में और देश में घूमकर स्थिति का अध्ययन किया है, गवाहियां ली हैं और वह सब इस नतीजे पर पहुंचे कि शिक्षकों का स्तर ठीक किया जाय, तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि इससे कोई विशेष लाभ होगा कि इसको जनमत के लिये घुमाया जाय और इसीलिये मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय।

श्रीमन्, एक दूसरी बात कही गई है जिस ऊपर काफी जोर भी दिया गया है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय और इसकी परिधि बढ़ाई जाय। और भी बहुत सी बातें कही गई हैं, इंटर बोर्ड के बारे में और बहुत से सुझाव दिये गये हैं, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये। श्रीमन्, यदि इसको पेश करते समय शिक्षा मंत्री जी के निवेदन को सुना गया होता तो उसमें इस बात को स्पष्ट कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये हम इस विधेयक को ही पूर्ण नहीं मानते हैं। यह तो केवल एक अंग है। एक और विधेयक जो इस प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा पर पूर्ण रूप से प्रभाव डाल सकें, शीघ्र ही माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। प्रश्न यह उठ सकता है कि यदि ऐसा विचार है, ऐसा इरादा है तो इसी विधेयक में इन सब चीजों को शामिल क्यों नहीं कर दिया जाता? यदि ऐसा भी हो सकता तो हम बड़ी खुशी के साथ करते। किन्तु श्रीमन्, जब हम समस्त माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र पर दृष्टि डालने का यत्न करेंगे तो एक नहीं वरन् बहुत सी समस्यायें सामने आयेंगी, और क्या हमारे मुल्क की इसको चलाने के लिये नीति है? प्रश्न यह भी उठता है कि किस तरह से माध्यमिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जाय? जिस तरह से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है उसी तरह से माध्यमिक शिक्षा भी बढ़ती चली जा रही है। एक बात और कही गई है कि इसका उपाय और इसका हल विकेन्द्रीकरण नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, प्रश्न यह भी है और एक बार नहीं वरन् अनेक बार चर्चा हुई है और प्रदेश के स्तर पर नहीं बल्कि देश के स्तर पर हुई है कि हमारी परीक्षा प्रणाली किस तरह की हो? यह बात भी कही गई है कि जो बोर्ड बहुत वर्ष पूर्व बना था, उस को यदि रखना है तो उसमें किस-किस का प्रतिनिधित्व हो और क्या उसकी व्यवस्था हो। ये सब प्रश्न एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसका प्रभाव न केवल समस्त नागरिकों पर पड़ता है बल्कि जिसका प्रभाव देश के भविष्य के ऊपर भी पड़ता है। ऐसे व्यापक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षकों की स्थिति सुधारने की बात सभी ओर से एक मत से कही गयी है और आवश्यक है और उसके लिये शीघ्रता महसूस

होती है। यह प्रयत्न किया गया कि इस एकांगी विधेयक को माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय और यही कारण है कि मैं इस बात को माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति के पास उसी परिधि में भेजे जो कि इसका लक्ष्य और उद्देश्य है। उस सीमित परिधि में कार्य करने से शीघ्र ही इसके ऊपर विचार हो सकेगा और शीघ्र इसको पारित किया जा सकेगा।

यहां आशंका जाहिर की गयी इस बात की कि यदि यह विधेयक पारित कर दिया गया तो फिर दूसरा विधेयक आने वाला नहीं है। इतना ही निवेदन किया जा सकता है कि दूसरा विधेयक लाने के लिये यदि उस ओर के माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हैं तो इस ओर बैठने वाले और यह सरकार भी बहुत उत्सुक है और यह भी निवेदन किया जा सकता है कि उस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये आवश्यकता से अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिये मेरा निवेदन यही है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द इसी परिधि में किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक के प्रति मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ भ्रान्तियां हैं। एक ओर तो यह विचार व्यक्त किया गया कि यह विधेयक तो शिक्षकों के अधिकारों को छीनने का एक षड्यंत्र है। मुझे आश्चर्य है, श्रीमन्, कि किस तरीके से यह विचार पैदा हुआ। कौन धारा इस विधेयक में है जिसके द्वारा जो वर्तमान अधिकार शिक्षकों को हैं उनको छीना जा रहा है? कौन सा षड्यंत्र इसमें है? किन्तु दुर्भाग्य है कि आज कुछ इस तरह का संदिग्ध वातावरण हो गया है और यह एक स्वभाव सा हो गया है कि जो भी चीज इधर से सामने रखी जाय उसी में एक षड्यंत्र प्रतीत होने लगता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—बात ऐसी ही है।

श्री कैलाश प्रकाश—तो दोष तो यह उनका है जो बात ऐसी ही मानते हैं। दोष उनका नहीं है जो अपना कार्य करते चले जाते हैं।

श्रीमन्, एक ओर तो यह विचार व्यक्त किया गया है और दूसरी ओर व्यवस्थापकों का दृष्टिकोण भी यहां रखा गया है और शिक्षकों की ओर से भी बहुत सी बातें कही गयीं। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी के उन शब्दों का कि माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में आज हमारे प्रदेश में सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने भी बहुत भार वहन किया है। यदि सार्वजनिक कार्यकर्त्ता शिक्षा के भार को वहन न करते तो सम्भवतः इतने थोड़े समय में इतना प्रसार होना सम्भव नहीं था। ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का शासन आभारी है और मैं तो समझता हूं कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उनका आभारी है। वह भी शिक्षा के क्षेत्र में एक कार्य करते हैं। शिक्षक भी उचित स्तर की शिक्षा देने के लिये केवल आवश्यक नहीं, मुख्य अंग हैं। उन के द्वारा ही अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। इन दोनों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है। दोनों का मार्ग एक है। इसलिये कोई दो दृष्टिकोण, मैनेजर्स और शिक्षकों के हो नहीं सकते और इस बात का पूरा प्रयत्न है कि यदि इन दोनों के बीच में कहीं कोई खाई पड़ गई हो तो उसको कम किया जाय।

श्रीमन्, यह सुझाव आया कि इस विधेयक के द्वारा विभाग को या इंस्पेक्टर्स को बहुत अधिकार दिये जा रहे हैं और उसी के साथ एक सुझाव यह भी आया कि कुछ जिलों के स्तर पर मंडल नियुक्त किये जायं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन का तो यही प्रयत्न है। अभी शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में यहां एक सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रदेश के स्तर के जो मैनेजर्स और शिक्षकों का संगठन बना हुआ है, उन दोनों के प्रतिनिधि थे। आपस में वे बैठे, विचार विनिमय किया। वातावरण बहुत अच्छा रहा और वहां यह भी सुझाव स्वीकार किया गया कि प्रयोगस्वरूप इस प्रदेश के कुछ जिलों में इस तरह की कमेटियां नियुक्त की जायं. . . . .

श्री उग्रसेन—वातावरण बहुत अच्छा रहा, यह बात नहीं समझ पाया।

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो समझ की बात है। आप डिक्शनरी लीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—किसी अध्यापकों की सभा में भी गये?

श्री कैलाश प्रकाश—तो ऐसी कमेटियां नियुक्त की जायं कि जिनमें व्यवस्थापकों के प्रतिनिधि हों, शिक्षकों के प्रतिनिधि हों और विभाग के लोग भी हों और वहां की शिक्षा के कार्य में वह परामर्श दें। इस तरीके से कार्य करने की एक इच्छा है। एक प्रयोग है। श्रीमन्, यहां यह भी बात कही गयी कि इंस्टीट्यूशन्स जो हैं उनकी कैटेगरीज कर दी जायं। यह भी बात कही गयी कि जो धारा १६ है उसमें डाइरेक्टर को बहुत अधिकार दिए हुए हैं। और वह रिकग्निशन वापस ले सकते हैं।

जहां तक उस धारा का संबंध, है उस धारा में केवल एक बात कही गयी है कि हरएक इंस्टीट्यूशन को अपनी एक स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन रखनी होगी और वह जो स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी उस को डाइरेक्टर के पास भजना होगा। डाइरेक्टर उसका एप्रूवल देगा और जब वह स्कीम प्राप्त होगी तो वह उस स्कीम में कुछ संशोधन या परिवर्तन भी कर सकेगा। इसकी सूचना डाइरेक्टर उस विद्यालय को देगा और उसकी राय लेने के पश्चात् वह उस चीज को फाइनल करेगा। कहां इसमें डिक्टेटरशिप की बात है? और कहां इसमें आशंका की बात है?

श्रीमन्, एक बात यह भी कही गयी कि शिक्षकों के लिये तो इसमें कोई चीज नहीं है। इस विधेयक की एक धारा है जिसमें यह नीयत है कि शिक्षकों के वेतन के लिये, शिक्षकों की छट्टी के लिये, उनकी नौकरी के लिये, उनके सेवाकाल क लिये और उनके कन्फर्मेशन के लिये नियम बनाये जायंगे जिन नियमों के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की सेवायें रहेंगी। इस व्यवस्था से मैं यह आशा करता हूं कि जो बहुत शिकायतें, खासकर हमारे मित्र ने जो फिरोजाबाद के विद्यालयों के बारे में कहीं, वे शीघ्र ही समाप्त हो जायंगी।

जहां तक बोर्ड का सम्बन्ध है, मैं निवेदन कर चुका कि इसमें बोर्ड के विधान को बदलने का कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके लिये बार-बार निवेदन किया जा चुका कि जो नया विधेयक प्रस्तुत किया जायगा उसमें इसकी व्यवस्था होगी और उसी समय उस पर विचार होगा।

इससे अधिक मुझे निवेदन नहीं करना है और मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव यह सदन स्वीकार करेगा।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस प्रस्ताव को नहीं ले रहा हूं। विवाद तो वैसे ही समाप्त हो गया।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, को जनमत संग्रह के लिये प्रदेश के प्रत्येक शिक्षा संस्थाओं के पास १ माह तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में	..	३७,
विपक्ष में	..	१३१।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि शिक्षा मन्त्री के प्रस्ताव के अन्त में शब्द "समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट इसी सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें" जोड़ दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी। इस बीच में निम्न कार्यवाही हुई।)

श्री जगदीश शरणअग्रवाल---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय ५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं इसे अपोज करता हूं। जब हमने १ घंटा बढ़ानें के लिये कहा था तो उस समय उधर से विरोध किया गया था। तो अब कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---अभी चूंकि एक प्रश्न पर सदन का मत लिया जा रहा है, इसलिये बीच में कोई प्रस्ताव नहीं ले सकता। इसलिये विरोध का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में .. ४१,
विपक्ष में .. १३८।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री उपाध्यक्ष---अब ५ बज गये हैं, इसलिये अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ दिसम्बर, १९५७।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, १९५६ के नियम २९ की प्रति

२९—बहु-विवाह—कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, इस बात के होते हुये भी कि तत्समय उस पर लागू किसी वैयक्तिक विधि के अधीन उसे इस प्रकार की बाद की दूसरी शादी करने की अनुमति प्राप्त है, बिना पहिले सरकार की अनुमति प्राप्त किये, दूसरा विवाह नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६३ पर)

इटावा जिले की प्लानिंग स्कीम की विभिन्न शाखाओं में अस्थायी कार्य करने वाले लिपिकों का विवरण

क्रम-संख्या	विभाग	अस्थायी लिपिकों की संख्या	पिछड़ी जाति	परिगणित जाति
१	जिला नियोजन एकीकृत कार्यालय	१६	४	..
२	अल्प सिंचाई योजना ..	१	..	..
३	पंचायत राज विभाग ..	६	..	..
४	कृषि विभाग ..	७	..	..
५	प्रोजेक्ट महेवा ..	७	१	..
६	प्रोजेक्ट अजीतमल ..	६	२	..
७	प्रोजेक्ट भाग्यनगर ..	५	१	..
८	विकास क्षेत्रीय खंड, औरैया	२	..	..
९	विकास क्षेत्रीय खंड, चकरनगर	२	..	..
१०	विकास क्षेत्रीय खंड, बढ़पुरा	२	..	..
११	प्रसार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, लखना	४	..	..
	कुल योग ..	६१	८ .	..

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २३० एल० ए०—१९५८—८१० ।